राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषय:– राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 24/01/2023 को सम्पन्न 448वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:–

1. डॉ. शैलेष कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एम.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री विक्रम सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री कार्तिकेय तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:–

एजेण्डा आयटम क्रमांक–1: 445वीं, 446वीं एवं 447वीं बैठक क्रमशः दिनांक 11/01/2023, 12/01/2023 एवं 13/01/2023 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 445वीं, 446वीं एवं 447वीं बैठक क्रमशः दिनांक 11/01/2023, 12/01/2023 एवं 13/01/2023 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–2: खनिज/मुख्य खनिजों, औद्योगिक परियोजना एवं कन्स्ट्रक्शन परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स निसदा फर्शी स्टोन खदान (प्रो.– श्री लालचंद अग्रवाल), ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2232)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/410236/2022, दिनांक 02/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फर्शी पत्थर (लाईम स्टोन) खदान है। खदान ग्राम–सिरसा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1342, कुल क्षेत्रफल–0.882 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता–6,070 टन (2,228 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार, परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ..., अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में फर्शी पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1342, कुल क्षेत्रफल–0.882 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता–6,070 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा दिनांक 15/11/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष हेतु वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14/11/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. निर्धारित कार्ययोजना 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 144/खनि./2023 रायपुर, दिनांक 20/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
01/10/2021 से 31/03/2022	802
01/04/2022 से 30/09/2022	752

समिति का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति के जारी दिनांक 18/11/2017 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत निवाड़ा का दिनांक 20/08/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – खनन प्लान पुनरीक्षण मय फाइनल क्लोजर प्लान मय प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनिज), जिला–जयपुर के पत्र क्रमांक 8/खनि./टीम-4/2016/10862 जयपुर, दिनांक 03/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदानें** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जयपुर के पत्र क्रमांक 143/खनि./2023 जयपुर, दिनांक 23/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अतिरिक्त 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.44 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जयपुर के पत्र क्रमांक 143/खनि./2023 जयपुर, दिनांक 23/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, श्मशान, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ऐतिहासिक स्थल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह खातेदारी भूमि है। वर्तमान में लीज डीड श्री लालचंद अग्रवाल के नाम पर है। पूर्व में लीज डीड 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 19/05/2006 से 18/05/2016 तक थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्ष अर्थात् दिनांक 19/05/2016 से 18/05/2036 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में लीज श्री हरी सिंह पुत्र के नाम पर थी। समिति का मत है कि लीज हस्तांतरण की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2016 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में अनुरोध किया गया कि लीज क्षेत्र से जारी हुई अन्य खसरा (खसरा क्रमांक 1344 एवं 1345) को वन विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को ही आवेदित प्रकरण हेतु मान्य किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके अनुसार कार्यालय उप वनसंरक्षक, जयपुर वनमंडल, जिला–जयपुर के पत्र क्रमांक/एफ./व./2343 जयपुर, दिनांक 23/06/2008 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि आरक्षित वन/संरक्षित वन के अंतर्गत नहीं आता है। उक्त हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-निवाड़ा 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम-निवाड़ा 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. दूर है। बरसाती 300 मीटर एवं नहर 500 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, अंतर्राज्यीय सीमा, संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनिज संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,03,950 टन, माईनेबल रिजर्व 66,645 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 63,313 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,027 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी पूर्व से उत्खनित है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में डम्प प्रस्तावित नहीं है, इसकी ब्लास्टिंग का प्रावधान नहीं किया गया है। ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। छेनी हथौड़ा का उपयोग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,505	षष्ठम	6,558.75
द्वितीय	6,945	सप्तम	6,217.5
तृतीय	7,391.25	अष्टम	6,187.5
चतुर्थ	7,567.5	नवम	6,181.25
पंचम	6,077.5	दशम	5,062.5

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाता है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान में आने जाने हेतु रास्ते के लिए डेमार्केशन उपरांत फेंसिंग का कार्य दिनांक 15/10/2021 से 14/01/2022 को बंद किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,027 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग 14 से 20 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। समिति का मत है कि उत्खनित 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का उल्लेख माईनिंग प्लान में करते हुए खदान सिस्टम में रिजर्व की गणना कर संशोधित अनुमोदित खनन प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियम उपरांत नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ग्रीन स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक 1(a)(i) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be develope within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़ी सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेन्द्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लीकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 143/खलि./2023 रायपुर, दिनांक 23/01/2023 के अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर के परिधि अंतर्गत 14 खदानें, क्षेत्रफल 11.44 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–निसदा) का रकबा 0.882 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–निसदा) को मिलाकर कुल रकबा 12.322 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर अविलंब उपरोक्त नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को आगे पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण "बी" श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचना 2006 में प्रावधानित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इनवायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) एवं खनन परियोजना हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit the copy of lease transfer document.

iv. Project proponent shall submit the production detail from EC date 15/11/2017 to till date from the mining department.

v. Project proponent shall calculate the mined out area of 7.5 meter of mine lease periphery accordingly do the reserve calculation & submit the revised approved mining plan.

vi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

vii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

ix. Project proponent shall submit a study report regarding the impact on Riverine Ecology of the study area including Mahanadi River. Project proponent will also submit an action plan for conservation/protection of water bodies.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xviii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को भी सूचित किया जाए।

2. मेसर्स सुभम सिलिकेट्स एलएलपी, प्लाट नं. 03 से 05, बोरई इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, ग्राम–रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग (प्राधिकरण का नस्ती क्रमांक 2051)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी2/ 27881/2022, दिनांक 26/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी2/ 41301/ 2022, दिनांक 23/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित सोडियम सिलिकेट [illegible] पोटेशियमसिलिकेट है। यह इकाई बोरई इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, ग्राम–रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग स्थित प्लाट क्रमांक 1, 2, 3, 4 एवं 5, कुल क्षेत्रफल–0.8168 हेक्टेयर (8,168 वर्गमीटर) में पोटेशियमसिलिकेट क्षमता–36,000 टन प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित है। परियोजना का [illegible] होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/12/2022 द्वारा प्रकरण 'बी2' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 8(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री सुधीर जैन, पार्टनर उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि पर्यावरण सलाहकार उपस्थित नहीं होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतिकरण किया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक दिनांक 25/01/2023 में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी आयोजित बैठक दिनांक 25/01/2023 में प्रस्तुतिकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं दूरभाष के माध्यम से सूचित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. **मेसर्स भूटोरिया टॉउनशीप प्रोजेक्ट (अभी एसोसिएट्स), ग्राम–पोटियाकला, तहसील व जिला–दुर्ग (प्रकरण का नस्ती क्रमांक 2236)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ इनफ्रा2/411321/ 2022, दिनांक 21/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा गणित पेट्रोल पंप के समीप, पोटियाकला रोड, तहसील व जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक – 1800/2 (पुराना खसरा क्रमांक 21/1, 13/8 अन्य 14), क्षेत्रफल – 4.0168 हेक्टेयर (7.0982 हेक्टेयर में से) कुल बिल्टअप एरिया – 38,620.38 वर्गमीटर में प्रस्तावित टॉउनशीप प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 115 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री [illegible], पार्टनर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में प्रस्तुत जानकारी में एवं प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारी में बिल्टअप क्षेत्र एवं अन्य जानकारियों में भिन्नता है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में ए.डी.एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को निम्नलिखित बिंदुओं एवं अन्य जानकारियों में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन से ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. **मेसर्स बासीन फर्शी पत्थर माईन्स (प्रो. – श्री मनीष कुमार साहू), ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2227)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/408862/2022, दिनांक 11/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बासीन, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 1442, 1419, 1420/1, 1420/2, 1445/1, 1446 एवं 1444, कुल क्षेत्रफल–1.88 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अधिकतम उत्पादन क्षमता–12,107 टन (5,044.5 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 16/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 44वीं बैठक दिनांक 24/01/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनीष कुमार साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बासीन का दिनांक 24/02/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – सतही प्लान, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एवं खदान क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उपसंचालक (खनि.), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 888/खनिज/उत्ख.यो.अनु./उ.प./2022–23 कांकेर, दिनांक 06/10/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदानें** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 478/खनि./2022–23 गरियाबंद, दिनांक 29/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत 50 खदानें, क्षेत्रफल 50.534 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 479/खनि./2022–23 गरियाबंद, दिनांक 29/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. की प्रति संलग्न कर दी गई है जो जिलाधिकारी कार्यालय (खनिज शाखा), जिला–गाजियाबाद के पत्रांक क्रमांक 387/ख. लि./एल.ओ.आई./गाज़./2022 गाजियाबाद, दिनांक 28/06/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1445/1 की स्वीकृत खसरा सूची, खसरा क्रमांक 1419, 1420/1, 1420/2, 1443 की स्वीकृत खसरा सूची एवं की खतौनी तथा खसरा क्रमांक 1444 एवं 1446 की स्वामित्व सूची संलग्न कर दी है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गाजियाबाद वन प्रभाग गाजियाबाद, जिला–गाजियाबाद के पत्रांक क्रमांक/भू.नि./अनि.प./2730 गाजियाबाद, दिनांक 21/06/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1.8 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 300 मीटर, स्कूल ग्राम–[illegible] 860 मीटर एवं अस्पताल [illegible] 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.55 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.85 कि.मी. दूर है। [illegible] 8.3 कि.मी. एवं [illegible] नदी 3.7 कि.मी. दूर है। कच्ची सड़क 17 मीटर, तालाब 880 मीटर, पक्की सड़क 880 मीटर एवं नहर 175 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन योजना एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,22,980 टन (1,34,400 घनमीटर), माइनेबल रिजर्व 1,80,142 टन (82,676 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,42,873 टन (59,447 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,480 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 11 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 10,200 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में ओवर बर्डन की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 20,400 घनमीटर है। बैंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में आवास स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। [illegible] का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु पानी का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,004
द्वितीय	12,073
तृतीय	12,038

[illegible]	12.107
रात्रि	12.018

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.42 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् केन्द्रीय भूजल अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 432 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र से कच्ची सड़क 17 मीटर दूर है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार लीज एरिया में उत्खनन कार्य कच्ची सड़क से 50 मीटर दूरी बनाये रखने हेतु लीज क्षेत्र के भीतर कुल 2,200 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कलस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 15/10/2022 से किया गया है। उक्त के संबंध में सम्बन्धित दिनांक 14/10/2022 को सूचना भी दी गई।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेन्द्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग), जिला–गाजियाबाद के पत्रांक 474/खनि./2022-23 गाजियाबाद, दिनांक 26/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल 50.538 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–[illegible]) का रकबा 1.68 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–[illegible]) को मिलाकर कुल रकबा 52.218 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टी.ओ.आर.) सहित ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट एवं प्रोजेक्ट/एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टैण्डर्ड टी.ओ.आर.

[illegible] [illegible] समिति) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
iv. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
v. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
viii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
ix. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
x. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
xi. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation (5 to 6 feet) during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
xii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. **मेसर्स [illegible] पत्थर खदान साइट (प्रो.— श्री रोहित साहू), ग्राम–[illegible], तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद (अधिकरण का नस्ती क्रमांक 2226)**

ऑनलाइन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/सीजी/एमआईएन/409743/2022, दिनांक 11/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रकरण का विवरण — यह प्रस्तावित पत्थर खदान (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–[illegible], तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 51/2 एवं 51/3, कुल क्षेत्रफल–0.62 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अधिकतम उत्पादन क्षमता–4,861 टन (2,337.76 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 44वीं बैठक दिनांक 24/01/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री तुकेश कुमार साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 13/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** — माईनिंग प्लान, प्रोग्रेसिव माईनिंग प्लान एवं माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उपसंचालक (खनि.), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 585/खनिज/उ.खनि.यो.अनु./उ.प./2022-23 कांकेर, दिनांक 06/12/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 476/खलि./2022-23 गरियाबंद, दिनांक 29/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत 32 खदानें, क्षेत्रफल 51.696 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 477/खलि./2022-23 गरियाबंद, दिनांक 29/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, श्मशान, बांध, एनीकट, हाईटेंशन लाईन एवं अन्य सार्वजनिक स्थल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** — एल.ओ.आई. श्री रोहित साहू के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 383/ख.लि./एल.ओ.आई./न.क्र./2022 गरियाबंद, दिनांक 26/08/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु है।
7. **भू–स्वामित्व** — भूमि खसरा क्रमांक 51/3 आवेदक एवं खसरा क्रमांक 51/2 श्री तुकेश कुमार साहू के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय [illegible] वनमण्डल [illegible], जिला–[illegible] के पत्र क्रमांक/[illegible]/[illegible]/2728 [illegible], दिनांक 21/08/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1.8 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 480 मीटर, स्कूल ग्राम–[illegible] 980 मीटर एवं अस्पताल [illegible] 4.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.68 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.4 कि.मी. दूर है। महानदी 8.88 कि.मी. एवं [illegible] नदी 3.8 कि.मी. दूर है। नहर 620 मीटर, तालाब 580 मीटर एवं कच्ची सड़क 500 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 88,840 टन (41,600 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 37,632 टन (15,[illegible] घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 35,802 टन (14,918 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,080 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 11 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,180 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में ओवर बर्डन की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,300 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7 वर्ष है। लीज क्षेत्र में [illegible] प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। [illegible] का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	4,822
द्वितीय	4,896
तृतीय	4,891
चतुर्थ	4,809
पंचम	4,878

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.68 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 201 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए डेमार्केशन (?) का कार्य दिनांक 15/10/2022 को किया गया है। जिसके संबंध में सूचना दिनांक 14/10/2022 को सूचना भी दी गई।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेंद्र पाण्डेय बनाम भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लीकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-गाजियाबाद के पत्रांक ...म./खनि./2022-23 गाजियाबाद, दिनांक 26/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान की 500 मीटर के भीतर आवेदित 22 खदानों, क्षेत्रफल 31.696 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-...) का रकबा 0.52 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-...) को मिलाकर कुल रकबा 32.216 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होता है जिसके कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी जायेगी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इनवायरमेंट क्लियरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) एवं खदान स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की संस्तुति की गई:-

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

iv. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

v. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

viii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

ix. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

x. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xi. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & its plantation (5 to 6 feet) during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स ग्रामीण फर्शी पत्थर माईन (प्रो.– श्री विकास चतुर्वेदी), ग्राम–[illegible], तहसील–[illegible], जिला–[illegible] (प्रकरण का नस्ती क्रमांक 2226)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/410010/2022, दिनांक 11/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रकरण का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–[illegible], तहसील–[illegible], जिला–[illegible] स्थित खसरा क्रमांक 1386, 1414, 1395, 1374, 1374/4148 एवं 1384/4177, कुल रकबा–2.344 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अधिकतम उत्पादन क्षमता–7,353 टन (2,882.76 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की [illegible] बैठक दिनांक 24/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विकास चौधरी, प्रोपराइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा [illegible] प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 24/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – खसरी प्लान, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड खदानी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उपसंचालक (खनि), जिला–[illegible] कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 508/खनिज/[illegible]/2022-23 [illegible], दिनांक 08/10/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गाजियाबाद के ज्ञापन क्रमांक 470/खनि/2022-23 गाजियाबाद, दिनांक 29/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवेदित 90 खदानें, क्षेत्रफल [illegible] हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गाजियाबाद के ज्ञापन क्रमांक 471/खनि./2022-23 गाजियाबाद, दिनांक 29/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, ऐतिहासिक एवं सार्वजनिक स्थल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. श्री विकास चौधरी के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गाजियाबाद के ज्ञापन क्रमांक 365/खनि/एल.ओ.आई./म.क./2022 गाजियाबाद, दिनांक 26/08/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु है।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1414 [illegible], खसरा क्रमांक 1308 [illegible] तथा खसरा क्रमांक 1366, 1374, 1374/4148 एवं 1384/4177 श्री [illegible] के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गाजियाबाद वनमंडल गाजियाबाद, जिला–गाजियाबाद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./अभिलेख/2728 गाजियाबाद, दिनांक 21/10/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1.8 कि.मी. की दूरी पर है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 400 मीटर, स्कूल ग्राम–[illegible] 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल [illegible] 3.3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.2 कि.मी. दूर है।

महानदी 8.2 कि.मी. एवं सुखा नदी 3.68 कि.मी. दूर है। लगभग 1 कि.मी. वाली नाला 580 मीटर एवं छोटी नाला 162 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन क्षमता एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,80,480 टन (75,200 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 43,764 टन (18,235 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 41,575 टन (17,323 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,560 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 11 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 4,560 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में ओवर बर्डन की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,320 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की अनुमानित आयु 6 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। स्टोन कटर का उपयोग किया जाएगा। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	7,285
द्वितीय	7,319
तृतीय	7,250
चतुर्थ	7,216
पंचम	7,353

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.36 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 450 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में संकीर्ण क्षेत्र होने के कारण 690 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खसरा में आने वाली अन्य खदानों के लिए बैकफिलिंग उक्त कार्यवाही का कार्य दिनांक 15/10/2022 से किया गया है। उक्त के संबंध में उपस्थित दिनांक 14/10/2022 को सूचना भी दी गई।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतीश प्रसाद विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजिनल एप्लिकेशन सं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. सम्बन्धित कार्यालय (खनिज शाखा), जिला-गाजियाबाद के पत्रांक 470/खनि./2022-23 गाजियाबाद, दिनांक 29/08/2022 के अनुसार आवेदित खनन से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 02 खदानों, क्षेत्रफल 81.279 हेक्टेयर है। आवेदित खनन (ब्लाक-आदि) का रकबा 0.94 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खनन (ब्लाक-आदि) को मिलाकर कुल रकबा 82.219 हेक्टेयर है। खनन की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह प्रकरण 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इनवायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में उल्लिखित श्रेणी 1(a) का स्टैण्डर्ड टीओआर (पब्लिक सुनवाई सहित) एवं अन्य अतिरिक्त टीओआर हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

iv. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

v. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

viii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

ix. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

x. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xi. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation (5 to 6 feet) during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 06 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

तथा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. **मेसर्स परसदा फर्शी पत्थर माईन्स (प्रो.– श्री कुलेश्वर साहू), ग्राम–परसदा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद [सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2236]**

ऑनलाइन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/408885/2022, दिनांक 11/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–परसदा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 61/4 एवं 61/5, कुल क्षेत्रफल–2.08 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता–12,126 टन (5,050.2 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 44वीं बैठक दिनांक 24/01/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री कुलेश्वर साहू, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 12/08/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** — क्वारी प्लान, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.), जिला—[illegible] कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक 587/खनिज/उत्ख.यो.अनु./न.क्र./2022-23 कांकेर, दिनांक 06/10/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 472/खनि./2022-23 गरियाबंद, दिनांक 29/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 50 खदानें, क्षेत्रफल 44.028 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 473/खनि./2022-23 गरियाबंद, दिनांक 29/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग, ऐतिहासिक एवं सार्वजनिक भवन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** — एल.ओ.आई. श्री [illegible] साहू के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 369/खनि./एल.ओ.आई./गौ.ख./2022 गरियाबंद, दिनांक 28/06/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु है।

7. **भू—स्वामित्व** — भूमि खसरा क्रमांक 81/4 आवेदक एवं खसरा क्रमांक 81/5 श्रीमती [illegible] साहू के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** — वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, गरियाबंद वनमंडल गरियाबंद, जिला—गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./अभिमत/2032 गरियाबंद, दिनांक 21/06/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1.8 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** — निकटतम आबादी ग्राम—[illegible] 500 मीटर, स्कूल ग्राम—[illegible] 670 मीटर एवं अस्पताल [illegible] 4.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2.4 कि.मी. दूर है। महानदी 5.75 कि.मी. एवं सूखा नदी 3.75 कि.मी. दूर है। तालाब 830 मीटर, कच्ची सड़क 580 मीटर एवं नहर 230 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनिज संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,16,480 टन (2,15,200 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 3,18,720 टन (1,32,800 घनमीटर) एवं रिकवरेबल रिजर्व 3,02,784 टन (1,26,160 घनमीटर) है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,000 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 11 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है जिसकी कुल मात्रा 20,800 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में ओवर बर्डन की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 41,600 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 25 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। स्टोन कटर का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,157
द्वितीय	12,073
तृतीय	12,036
चतुर्थ	12,090
पंचम	12,126

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.62 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से बाहरी ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 597 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 15/10/2022 से किया गया है। जिसके संबंध में उपरोक्त दिनांक 14/10/2022 को सूचना भी दी गई।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेन्द्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-[illegible] के ज्ञापन क्रमांक [illegible]/खलि/2022-23 [illegible], दिनांक [illegible]/[illegible]/2022 के अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर अवस्थित 10 खदानें, क्षेत्रफल [illegible] हेक्टेयर है। आवेदित खदान (क्षेत्र-क्लस्टर) का रकबा [illegible] हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (क्षेत्र-क्लस्टर) को मिलाकर कुल रकबा [illegible] हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा निर्णय लिया गया उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटिज रिक्वायरिंग इनवायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में उल्लेखित श्रेणी [illegible] का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) तथा [illegible] प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

iv. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

v. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

viii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

ix. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

x. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xi. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & its plantation (5 to 8 feet) during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance

cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स कासीन फर्शी पत्थर खदान (श्री– श्री शरद चतुर्वेदी), ग्राम–कासीन, तहसील–[illegible], जिला–गरियाबंद (प्राधिकरण का नस्ती क्रमांक 2234)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 409886/2022, दिनांक 11/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कासीन, तहसील–[illegible], जिला–गरियाबंद स्थित खसरा क्रमांक 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335 एवं 1336, कुल रकबा–0.80 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की अधिकतम उत्पादन क्षमता–7726.2 टन (3,220.6 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 44वीं बैठक दिनांक 24/01/2023

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री शरद चतुर्वेदी, ऑनलाईन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कासीन का दिनांक 24/03/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.), जिला–[illegible] कार्यालय कलेक्टर के ज्ञापन क्रमांक 873/खनिज/उत्ख.यो.अनु./2022-23 [illegible], दिनांक 12/10/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 462/खनि./2022-23 गरियाबंद, दिनांक

27/09/2022 के अनुसार प्रस्तावित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 02 खदानों, क्षेत्रफल 21.206 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 442/खनि./2022-23 गरियाबंद, दिनांक 27/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, श्मशान, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, ऐतिहासिक एवं सार्वजनिक स्थल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – भूमि एवं एल.ओ.आई. की प्रति पट्टेदार के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 443/खनि./एलओआई/गौ.ख./2022-23 गरियाबंद, दिनांक 21/09/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, गरियाबंद वन मंडल गरियाबंद, जिला–गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./खनिज/2876 गरियाबंद, दिनांक 05/07/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 390 मीटर, स्कूल ग्राम–[illegible] 1.4 कि.मी. एवं अस्पताल [illegible] 5.8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.86 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.4 कि.मी. दूर है। महानदी 5.16 कि.मी. एवं सूखा नदी 3.4 कि.मी. दूर है। सड़क 200 मीटर, [illegible] 580 मीटर, छोटी नहर नाली 300 मीटर एवं तालाब 210 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन क्षमता एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,74,720 टन (72,800 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 87,300 टन (36,375 घनमीटर) एवं [illegible] रिजर्व 82,808 टन (34,560 घनमीटर) है। सीमा की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,800 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 11 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,000 घनमीटर है। लीज क्षेत्र में ओवर बर्डन की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 12,000 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की प्रस्तावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। स्टोन कटर का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल

का निष्कासन किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	7,000
द्वितीय	7,728.2
तृतीय	7,562.4
चतुर्थ	7,636.6
पंचम	7,715.52

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.50 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण बोर्ड अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 276 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्लस्टर में आने वाली अन्य खदानों के लिए डेमारकेशन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 15/10/2022 को किया गया है। उक्त के संबंध में उपलब्ध दिनांक 14/10/2022 को सूचना भी दी गई।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेन्द्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 402/खनि./2022-23 गरियाबंद, दिनांक 27/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर् स्वीकृत 50 खदानें, क्षेत्रफल 51.309 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-कसौन्दा) का रकबा 0.91 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-कसौन्दा) को मिलाकर कुल रकबा 52.219 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गई।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए.

[illegible]

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.

iii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

iv. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

v. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

vi. EIA study shall be done at minimum 5 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

viii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

ix. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

x. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xi. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation (5 to 6 feet) during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xiii. Project proponent shall submit CSR proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. **मेसर्स पण्डरी मिट्टी ईंट खदान एवं निवास मिट्टी खदान (प्रो.– श्रीमती अनिता जायसवाल), ग्राम–पण्डरी, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (एसईएसी का फाईल क्रमांक 2232)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 411134/2022, दिनांक 17/12/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (ईंट भट्ठा) खदान है। खदान ग्राम–पण्डरी, तहसील–वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 1260 एवं 1261, कुल रकबा–1.238 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन क्षमता–1,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्रांक दिनांक 16/01/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री विजय कुमार जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पण्डरी का दिनांक 20/06/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एवं प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के पृ. पत्रांक क्रमांक 742/खनिज/खलि.2/2021, कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 22/06/2021 द्वारा अनुमोदित है। तत्पश्चात् खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के पत्रांक क्रमांक 1026/खनिज/खलि.2/2022, कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 19/01/2022 द्वारा उत्खनन योजना के अध्याय पांच में निम्नानुसार 90 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किये जाने हेतु उत्पादन क्षमता में संशोधन किया गया है। प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि निकटतम आबादी ग्राम–पण्डरी 660 मीटर की दूरी पर होने के कारण प्रस्तुत उत्खनन योजना में चिमनी/किलन के प्रस्ताव को हटाकर मिट्टी उत्खनन ही किया जाएगा। तदानुसार संशोधित अनुमोदित उत्खनन योजना सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा केवल मिट्टी उत्खनन हेतु विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के पत्रांक क्रमांक 582/खनिज/उत्खनि./2021 बलरामपुर, दिनांक 08/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर स्वीकृत अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 503/खनिज/उत्खनि/2021 बलरामपुर, दिनांक 08/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** — एल.ओ.आई. श्रीमती ललिता जायसवाल के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्र. 286/गौण खनिज/उत्खननपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 18/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष हेतु वैध थी। तत्पश्चात् [illegible] [illegible] तथा खनिजों, छत्तीसगढ़ के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2419-A/खनि 02/प्र.-अनुज्ञा/1(8.90/2017)(1) नवा रायपुर, दिनांक 13/06/2022 द्वारा एल.ओ.आई. में वैधता वृद्धि बावत् पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 14/03/2022) हेतु वैध है।

7. **भू-स्वामित्व** — भूमि खसरा क्रमांक 1260 की [illegible], श्री राजा कुमार, श्रीमती कुमारी एवं खसरा क्रमांक 1261 श्रीमती ललिता जायसवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** — वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बलरामपुर वनमंडल, जिला-बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2021/886 बलरामपुर, दिनांक 22/02/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** — निकटतम आबादी ग्राम-पंडरी 860 मीटर, स्कूल ग्राम-पंडरी 780 मीटर एवं अस्पताल रामानुजगंज 18.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 36.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.50 कि.मी. दूर है। [illegible] नदी 6.30 कि.मी., [illegible] नाला 250 मीटर, तालाब 540 मीटर एवं नहर 2.2 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधिता संवेदनशील क्षेत्र** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधिता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **जल आपूर्ति** — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.56 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् केन्द्रीय भूजल [illegible] की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** — लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 118 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत बजट अनुसार पौधों के लिए राशि 1,180 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 60,000 रुपये, खाद के लिए राशि 8,800 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 1,20,000 रुपये, इस प्रकार कुल

राशि 1,80,080 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं कुल राशि 5,20,200 रूपये आगामी पांच वर्षों हेतु पर्यावरण मद का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु राशि के साथ विवरण के सभी प्रस्ताव निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
17.34	2%	0.3468	Following activities at nearby Govt. Primary School **Village-Parsatola**	
			Water Tank Installation for Drinking water and Pipeline, Tap, Sanitary ware, drain line & others for Toilet	0.27
			Donation of Elmira & Books related to Environment Conservation	0.10
			Total	**0.37**

15. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

16. प्रस्तावित खदान उत्खनन के निरीक्षण हेतु निर्धारित जल निकासन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. प्रस्तावित लीज क्षेत्र में अधिक सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सर्वाइवल रेट (Survival rate) का प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन के तहत् त्रिपाल्युक्त वाहनों द्वारा परिवहन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत कार्यवाही का निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तावित लीज क्षेत्र में उत्खनन किये जाने हेतु संशोधित व अनुमोदित उत्खनन योजना सक्षम अधिकारी से अनुमोदन कराकर प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तद्नुसार सूचित किया जाए।

19. मेसर्स साजन मक्कड़ लाईम स्टोन क्वारी, (प्रो.–श्री साजन मक्कड़), ग्राम–लमीतराई, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1981)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नंबर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 70382/2022, दिनांक 26/01/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने के कारण दिनांक 12/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 13/12/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–लमीतराई, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 72/1, 73/1, 78, 87 एवं 102/2, कुल क्षेत्रफल–2.0214 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता–6,473 टन प्रतिवर्ष है।

तद्नुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 446वीं बैठक दिनांक 24/01/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री साजन मक्कड़, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 72/1, 73/1, 78, 87 एवं 102/2, कुल क्षेत्रफल–2.0214 हेक्टेयर, क्षमता–6,473 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा दिनांक 06/09/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this

notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 04/08/2023 तक वैध होगी।

अ. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी कंडिकावार सहित प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

ब. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 685/तीन-6/न.क्र./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 14/10/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)
2017	निरंक
2018	10
2019	2,705
2020	40
2021 (31 मार्च 2021)	4,885

समिति का मत है कि मार्च 2021 के उपरान्त किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में खसरा क्रमांक 72/1 एवं 73/1 के लिए ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 07/08/2007 तथा खसरा क्रमांक 78, 87 एवं 102/2 के लिए ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 04/04/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – खदान योजना प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (खनि प्रशासन), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 287/खनि./तीन-1/2017 बलौदाबाजार, दिनांक 01/06/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 685/तीन-6/न.क्र./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 14/10/2022 के अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर की परिधि में अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 81.643 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 685/तीन-6/न.क्र./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 14/10/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, बाजार, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज डीड 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 05/03/2008 से 04/03/2018 तक किया गया। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्ष अर्थात् दिनांक 05/03/2018 से 04/03/2038 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई। पूर्व में 0.8 हेक्टेयर भूमि की लीज श्री संजय मनवाड़ा के नाम पर थी तथा 1.1374 हेक्टेयर भूमि की लीज श्रीमती ... मनवाड़ा के नाम पर थी तथा दोनों लीज के बीच का क्षेत्र 0.084 हेक्टेयर था। लीज अमलगमेशन (Amalgamation) उपरांत कुल 2.0214 हेक्टेयर की लीज श्री संजय मनवाड़ा के नाम पर है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 72/1, 73/1 श्री संजय मनवाड़ा, खसरा क्रमांक 78, 87 एवं 102/2 श्रीमती ... के नाम पर है। उत्खनन हेतु भू-स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, कबीरधाम वनमंडल, जिला-कबीरधाम के पृष्ठांकन क्रमांक/तकनीकी/खनिज/20 कबीरधाम, दिनांक 09/01/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन भूमि की सीमा से 11 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी एवं स्कूल ग्राम-... 2.2 कि.मी., अस्पताल ग्राम-... 2.2 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20.8 कि.मी. एवं राजमार्ग 15.08 कि.मी. दूर है। तालाब 2.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 4,57,112 टन, माईनेबल रिजर्व 1,61,026 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,35,924 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,085.48 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,753.4 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की प्रस्तावित आयु 21 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ... ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	7,191.75	षष्ठम	7,191.75
द्वितीय	7,191.75	सप्तम	7,191.75
तृतीय	7,191.75	अष्टम	7,191.75
चतुर्थ	7,191.75	नवम	7,191.75
पंचम	7,121.4733	दशम	7,191.75

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में जल की आपूर्ति का माध्यम/स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 840 नग वृक्षारोपण किया जायेगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,080.48 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग पूर्व से उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गौण खनिज माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक 1(ii) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 886/खनि-4/न.क्र./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 14/10/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के परिधि अंतर्गत 32 खदानें, क्षेत्रफल 61.693 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–[illegible]) का रकबा 2.0214 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–[illegible]) को मिलाकर कुल रकबा 63.714 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गई।

2. माईनिंग लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर जीरो सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण हुए क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग गतिविधियों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों एवं वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर जीरो सेफ्टी पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर अवैध उत्खनन परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इनवायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) एवं अन्य माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2021 to till date from the mining department.

v. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.

vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

ix. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xiv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xv. Project proponent shall undertake plantation during the monsoon & incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र प्रेषित किया जाए।

11. मेसर्स आमाकोनी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संजय [illegible]), ग्राम–आमाकोनी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (खनिपट्टा का रकबा क्रमांक [illegible])

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/70682/2021, दिनांक 30/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 13/12/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रकरण का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अकलतरी, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 88, 90, 91, 92 एवं 93, कुल रकबा-0.83 हेक्टेयर में है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता-32,245.80 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री [illegible], ऑनलाईन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 88, 90, 91, 92 एवं 93, कुल रकबा-0.83 हेक्टेयर, क्षमता-32,245.80 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 13/02/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 684/खनि-4/न.क्र./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 14/12/2022

द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्खनन (टन)
2017	13,900
2018	32,050
2019	26,880
2020	4,200
2021 (31 मार्च 2021)	निरंक

समिति का मत है कि मार्च 2021 के उपरान्त किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का दिनांक 20/10/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (खनि प्रशासन), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 1818/खलि./तीन-1/2016 बलौदाबाजार, दिनांक 11/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 684/तीन-6/न.क्र./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 14/10/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत 32 खदानें, क्षेत्रफल 82.037 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 684/तीन-6/न.क्र./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 14/10/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि एवं लीज की स्वामित्व परियोजना प्रस्तावक के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्ष अर्थात् दिनांक 22/06/2006 से 21/06/2016 तक थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्ष अर्थात् दिनांक 22/06/2016 से 21/06/2036 तक की अवधि हेतु निष्पादित की गई।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2016 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनमण्डलाधिकारी, बलौदाबाजार वनमंडल, जिला-बलौदाबाजार के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/खनिज/24 बलौदाबाजार, दिनांक 06/01/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन भूमि की सीमा से 9.34 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी एवं स्कूल ग्राम– 4 कि.मी., अस्पताल ग्राम– 4 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. एवं राजमार्ग 8 कि.मी. दूर है। तालाब 1.14 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,[illegible]4,287 टन, माईनेबल रिजर्व 1,80,[illegible] टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,28,[illegible] टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,446.38 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में धूल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	17,097.72
द्वितीय	32,245.89
तृतीय	25,096.20
चतुर्थ	31,343.98
पंचम	27,498.14

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में जल की आपूर्ति का माध्यम/स्त्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,446.38 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग पूर्व से उत्खनित है, जिसका पुनर्भराव किया जाना संभव नहीं है। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार विधिवत कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का मत है कि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में जिस स्थान पर पुनर्भराव किया जाना संभव है, उस स्थान का पुनर्भराव कर वृक्षारोपण पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित कार्ययोजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

15. प्रस्तुत खदान प्लान अनुसार खदान की संभावित आयु 5 वर्ष थी, जिसके अनुसार उत्खनन किया जा चुका है। अतः समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान स्थिति में रिजर्व की गणना कर अनुमोदित खदान प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक v(ii) के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेन्द्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लीकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 888/खि-4/प.क्र./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 14/10/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 82.882 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–[illegible]) का रकबा 0.832 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–[illegible]) को मिलाकर कुल रकबा 83.714 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के सुधारात्मक उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को सिफारिश करने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. अतिक्रमित 7.5 मीटर चौड़ी सेफ्टी पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर लीज धारक परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त करने हेतु पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण "बी1" कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टैण्डर्ड टीओआर (जन सुनवाई सहित) एवं खान माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2021 to till date from the mining department.

v. Project proponent shall submit the revised quarry plan with reserve calculation.

vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vii. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.

viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone,

calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery as much as possible & complete plantation alongwith photographs and incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र प्रेषित किया जाए।

१४. मेसर्स क्वार्टजाइट मिनरल्स (रामीचरपाईट क्वार्टजाइट स्टोन खदान, श्री— श्री संजय अग्रवाल), ग्राम—रामीचरपाईट, तहसील—सिमगा, जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा [प्रकरण का नस्ती क्रमांक 1881]

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नंबर — एसआईए/सीजी/एमआईएन/70490/2021, दिनांक 27/12/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कतिपय कमियां होने से ज्ञापन दिनांक 01/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 13/12/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—रामीचरपाईट, तहसील—सिमगा, जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 53, 55/1 एवं 55/2, कुल रकबा—1.518 हेक्टेयर में है। आवेदित उत्पादन क्षमता—3,091 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री ... अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा चाही प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

   i. पूर्व में मूल पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 52, 55/1 एवं 55/2, कुल रकबा-1.576 हेक्टेयर, क्षमता-3,051 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा दिनांक 27/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि तक वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 26/09/2024 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 698/सिन-6/न.क्र./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 14/12/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	निरंक
2018	निरंक
2019	120
2020	58
2021 (31 मार्च 2021 तक)	2,987

   समिति का मत है कि मार्च 2021 के उपरांत किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध खसरा क्रमांक 55/2 के लिए ग्राम पंचायत ... का दिनांक 11/08/2008 एवं खसरा

क्रमांक 83, 88/1 के लिए ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 09/07/2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – अमलगमेशन वाली प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (खनि प्रशासन) जिला-कबीरधाम-छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2240/खलि/तीन-1/2018 कबीरधाम, दिनांक 20/04/2018 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कबीरधाम-छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 888/तीन-6/न.क्र./2022 कबीरधाम, दिनांक 14/10/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत 22 खदानें, क्षेत्रफल 82.190 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कबीरधाम-छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 888/तीन-6/न.क्र./2022 कबीरधाम, दिनांक 14/10/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज मेसर्स [illegible] निरंजन, प्रो. श्री प्रवीण अग्रवाल के नाम पर थी। लीज अवधि 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 07/05/2010 से 06/05/2015 तक दी गई थी। तत्पश्चात् लीज अवधि 25 वर्ष अर्थात् दिनांक 07/05/2015 से 06/05/2040 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई। पूर्व में 0.882 हेक्टेयर भूमि की लीज श्री संजय [illegible] के नाम पर थी तथा 0.405 हेक्टेयर भूमि की लीज मेसर्स [illegible] निरंजन, प्रो. श्री प्रवीण अग्रवाल के नाम पर थी तथा दोनों लीज के बीच का क्षेत्र 0.214 हेक्टेयर था। लीज अमलगमेशन (Amalgamation) उपरांत कुल 1.518 हेक्टेयर की लीज श्री संजय [illegible] के नाम पर है।

7. **भू-स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 83, 88/1 श्रीमती [illegible] एवं 88/2 मेसर्स [illegible] निरंजन, प्रो. श्री प्रवीण अग्रवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी [illegible] निरंजन, प्रो. श्री प्रवीण अग्रवाल का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है एवं उत्खनन हेतु भूमि स्वामी श्रीमती [illegible] का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, कबीरधाम वनमंडल, जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक/तकनीकी/खनिज/28 कबीरधाम, दिनांक 06/01/2023 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन भूमि की सीमा से 11 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी एवं स्कूल ग्राम-[illegible] 2.5 कि.मी., अस्पताल ग्राम-[illegible] 2.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 20 कि.मी. एवं राजमार्ग 12 कि.मी. दूर है। तालाब 2.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय

वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनिज संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,01,008 टन, माईनेबल रिजर्व 33,604 टन एवं मिनरलाइज्ड रिजर्व 30,538 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,386.74 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,486.48 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रेशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,360	षष्ठम	3,360
द्वितीय	3,360	सप्तम	3,360
तृतीय	3,360	अष्टम	3,360
चतुर्थ	3,360	नवम	3,360
पंचम	3,360	दशम	3,360

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। खदान में जल की आपूर्ति का माध्यम/स्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 448 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 6,386.74 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 2,486.11 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है, जिसका पुनर्भराव किया जाना संभव नहीं है। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही समिति का मत है कि 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में जिस स्थान पर पुनर्भराव किया जाना संभव है, उस स्थान का पुनर्भराव कर वृक्षारोपण पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित फाईनल ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक v.ii के अनुसार–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from

windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़ी सेफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

20. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेन्द्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 886/खनि-8/न.क्र./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 14/10/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 22 खदानें, क्षेत्रफल 62.198 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-[illegible]) का रकबा 1.036 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-[illegible]) को मिलाकर कुल रकबा 63.234 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान "बी-1" श्रेणी की मानी जावे।

2. माईन लीज क्षेत्र के भागों और 7.5 मीटर चौड़ी सेफ्टी ज़ोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग गतिविधियों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, [illegible], भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

3. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर लीज धारक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, [illegible], भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण "बी1" कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) फॉर ई.आई.ए.

/ईआईए रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एक्टिविटीज विषयवस्तु स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (ई.आई.ए.) नोटिफिकेशन, 2006 के अपेंडिक्स-III (ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (जैसा सुसंगत लागू) और खनन परियोजना हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई–

i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.

iii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iv. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2021 to till date from the mining department.

v. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

vi. Project proponent shall submit the consent letter from landowner Mrs. Usha.

vii. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.

viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

ix. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

x. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xv. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery as much as possible & complete plantation alongwith photographs and incorporate in the EIA report.

xvi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years & incorporate the details in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तद्नुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र प्रेषित किया जाए।

१५. मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–अमेलीपाट, तहसील–कुसमी, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (आवेदन का नस्ती क्रमांक 2022?)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रस्ताव संख्या – एसआईए/सीजी/एमआईएन/78831/2022, दिनांक 12/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रस्ताव नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/413984/2023, दिनांक 09/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित बॉक्साइट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अमेलीपाट, तहसील–कुसमी, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक – 2180, 2189 एवं 87 अन्य, कुल क्षेत्रफल – 114.008 हेक्टेयर (निजी भूमि – 107.315 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि – 6.694 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता – 9,65,303.28 टन प्रतिवर्ष (अधिकतम उत्पादन क्षमता – 1,40,673.89 टन प्रतिवर्ष (लेटेराइट बॉक्साइट खनिज 91,438.03 टन प्रतिवर्ष, वेस्ट खनिज 49,235.86 टन प्रतिवर्ष) एवं ओवर बर्डन क्षमता – 8,24,629.39 टन प्रतिवर्ष) है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 12 करोड़ होगी।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1074, दिनांक 11/10/2022 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेन्स (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टेण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 44[illegible]वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री राजेन्द्र कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर एवं श्री सुशील कुमार [illegible], एसोसिएट जनरल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स [illegible] लाईफ-टेक कन्सल्टेन्ट्स की ओर से श्री प्रकाश कुमार यादव एवं श्री. नवीन सहाय उपस्थित हुए। समिति द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 23/06/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक बलरामपुर/कोयला/खनि–1325/2021 रायपुर, दिनांक 28/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 486/खनिज/ [illegible]/ 2022 बलरामपुर, दिनांक 21/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 486/खनिज/[illegible]/2022 बलरामपुर, दिनांक 21/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि संवेदनशील क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3-9/2021/12 नवा रायपुर, दिनांक 12/01/2022 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई थी। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3-7/2021/12 नवा रायपुर, दिनांक 23/03/2022 द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 27/03/2023) हेतु वैध है।
7. **भू-स्वामित्व** – कुल क्षेत्रफल 114.208 हेक्टेयर है, जिसमें से निजी भूमि 107.[illegible] हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि 6.884 हेक्टेयर है। भूमि संबंधी राजस्व दस्तावेज सहित प्रस्तुत किया गया है। साथ ही "CMDC will obtain the consent of all land owners within the mining lease area before the commencement of mining operation" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) भी प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर रामानुजगंज, जिला–बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2021/2962 बलरामपुर, दिनांक 10/08/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार खसरा क्रमांक 2786, 2180, 2182, 2750, 2800, 2798, 2805, 2808 एवं 2798 कुल [illegible] कुल खसरा 9 की कुल रकबा 12.125 हेक्टेयर के चारों ओर 100 मीटर चौड़ी पट्टी को [illegible] के रूप में विकसित करने के उपरांत उत्खनन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होने का उल्लेख है। तत्पश्चात् उप वनमण्डलाधिकारी, [illegible] के ज्ञापन दिनांक 27/08/2022 द्वारा वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर रामानुजगंज, बलरामपुर को प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है–

क्र.	विषय/बिन्दु	क्षेत्र से संबंधित सूचनाएँ
1	माईन्स के 10 कि.मी. परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य के संबंध में।	माईन्स के 10 कि.मी. परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य नहीं है।
2	माईन्स के आस–पास के क्षेत्रों में पाये जाने वाले पेड़–पौधे व जंगली जानवरों की सूची।	माईन्स के आस–पास पेड़–पौधे – साल है। माईन्स क्षेत्र में जंगली जानवर – जंगली सूअर, सियार एवं भालू पाये जाते है।
3	WPA (1972) के Schedule - I Species / RET Plant Species की जानकारी।	उक्त क्षेत्र के आस–पास दुर्लभ होने वाले वृक्ष एवं औषधी प्रजाति नहीं है।
4	उपरोक्त Species के संरक्षण योजना।	उपरोक्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु विभाग द्वारा वन क्षेत्रों को फेंसिंग का कार्य किया गया है।
5	कोई Wildlife Corridor के संबंध में जानकारी।	उक्त क्षेत्र में राष्ट्रीय वन्यजीव कॉरिडोर का निर्धारण नहीं कराया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 2 कि.मी. एवं रेल्वे स्टेशन अम्बिकापुर 80 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राजमार्ग 10 कि.मी. दूर है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में स्थित [illegible] 800 मीटर, [illegible] 2.1 कि.मी., [illegible] 3.3 कि.मी., [illegible] 5.3 कि.मी., [illegible] 6.1 कि.मी., [illegible] 6.3 कि.मी., [illegible] 7.7 कि.मी., [illegible] 7.7 कि.मी., [illegible] 7.7 कि.मी., [illegible] 7.8 कि.मी., [illegible] 7.8 कि.मी., [illegible] 8.8 कि.मी., [illegible] 8.7 कि.मी., [illegible] 8.7 कि.मी., [illegible] 8.8 कि.मी., [illegible] 8.8 कि.मी. एवं [illegible] 9.3 कि.मी. तथा [illegible] नदी 4.3 कि.मी., [illegible] नदी 4.9 कि.मी., [illegible] नदी 5.3 कि.मी., [illegible] नदी 8.2 कि.मी. एवं [illegible] नदी 6.8 कि.मी. होना प्रतिवेदित किया है।

12. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन क्षमता एवं खनन का विवरण** — अनुमोदित खदान योजना अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 21,84,732 टन एवं माईनेबल रिजर्व 20,98,567 टन है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 11 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर एवं ओवरबर्डन मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 96,758.42 घनमीटर एवं ओवर बर्डन 10,54,887.17 घनमीटर है, जिसका उपयोग पुनर्भराव एवं वृक्षारोपण हेतु किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 18 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (ROM टन)	लेटेराइट मिनरल्स (टन)	वेस्ट मिनरल्स (टन)
प्रथम	First year exploratory borehole proposed		
द्वितीय	1,05,918.79	69,598.9	35,320.87
तृतीय	1,16,232.11	75,550.87	40,681.24
चतुर्थ	1,30,709.79	84,961.38	45,748.42
पंचम	1,40,673.89	91,438.03	49,235.86

14. **जल आपूर्ति** — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** — प्रस्तावित क्षेत्र के अंदर रैयती भूमि भूमि होने के कारण उत्खनन उपरांत भूमि का पुनर्भराव कर भू-स्वामी को पुनः प्रदाय की जाएगी, जिसके कारण वृक्षारोपण ग्राम पंचायत से सहमति उपरांत दी गई भूमि में कुल 5,080 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही सी.एम.डी.सी. द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान की परिधि के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र जिसका कुल रकबा 0.08 हेक्टेयर होता है। सी.एम.डी.सी. द्वारा उक्त योजना अनुसार वृक्षारोपण पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि में किया जायेगा। जिसका प्रस्ताव निम्नानुसार है—

वर्ष / विवरण	प्रथम (2022–23) (रूपयें)	द्वितीय (2023–24) (रूपयें)	तृतीय (2024–25) (रूपयें)	चतुर्थ (2025–26) (रूपयें)	पंचम (2026–27) (रूपयें)
सर्वेक्षण एवं सीमांकन	35,530	—	—	—	—
फेंसिंग कार्य	87,02,388	2,27,500	4,37,500	4,37,500	4,37,500
जल संग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य	7,81,600	9,27,600	—	—	—
नर्सरी (पौधशाला) में पौधा तैयारी एवं रखरखाव कार्य	89,00,000	29,80,000	2,20,000	1,10,000	95,000
रोपण उपचार (गड्ढा एवं मिट्टी) एवं	76,34,060	1,27,71,600	35,20,380	8,45,340	2,27,880

गड्ढे खुदाई कार्य					
भू-जल संरक्षण कार्य	16,80,637	—	—	—	—
सिंचाई सुविधा विकास	1,06,00,000	13,87,900	13,16,934	16,88,844	11,67,258
क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य व्यय	17,40,480	15,46,050	5,53,680	5,46,060	6,63,680
सीडी (अनुसंधान, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण) की वृद्धि व्यय	—	7,00,000	2,50,000	1,50,000	1,50,000
अन्य संचालन ऑपरेशन	—	1,27,200	1,35,080	—	—
मजदूरी / सामग्री दरों में आकस्मिक वृद्धि	—	10,29,337	7,40,717	6,39,209	6,52,745
जल संवर्धन कार्य	—	—	3,00,000	3,00,000	2,00,000
कुल = 7,88,99,418	3,82,55,678	2,16,77,177	61,74,481	32,27,835	33,24,250

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण–

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – बेसलाइन डाटा मार्च 2022 से मई 2022 में प्राप्त किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m^3)	Maximum (µg/m^3)	CPCB Standard (µg/m^3)
$PM_{2.5}$	19.28	33.58	60
PM_{10}	51.38	66.32	100
SO_2	9.18	11.54	80
NO_2	9.82	16.86	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार फ्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, क्लोराइड, आर्सेनिक, लेड एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	40.5	62.4	75
Night L_{eq}	34.8	56.2	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना**– भारी वाहनों / मालवाहक वाहनों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार–

Status	PCU / Day	V/C ratio
Existing	126	0.01
Proposed	730	0.04

विस्तार के उपरान्त भी वी–सी रेशियो / सी.वी.यू. के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड वहन क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

14. खदानों के बारे में लोक सुनवाई दिनांक 22/12/2022 प्रातः 11:30 बजे स्थान पूर्व माध्यमिक शाला का प्रांगण, ग्राम जमीतपुर, तहसील–बुढ़ारी, जिला–[illegible] में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई कार्यवाही विवरण सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर को पत्र दिनांक 03/01/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

15. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं–**

i. परियोजना के अंतर्गत जिन भू–स्वामियों से उनकी भूमि ली जाती है उन्हें खदान में रोजगार नहीं मिलता है।

ii. भूमि जल स्तर नीचे गिर रहा है इस संबंध में क्या उपाय अपनाये जायेंगे?

iii. खदान के परिवहन मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से धूल उत्सर्जन होगा।

iv. खदान क्षेत्र के आसपास कृषि/खदानी क्षेत्र को ब्लास्टिंग के दौरान होने वाली नुकसान के रोकथाम के लिए क्या उपाय अपनाये जायेंगे?

v. यहां के लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है–

i. इस परियोजना के अंतर्गत भू–स्वामियों से उनकी भूमि का बाजार मूल्यानुसार है कम से कम 1 वर्षो के लिए पट्टे पर लिया जायेगा। प्रभावित परिवारों में से प्रत्येक परिवार से कम से कम एक सदस्य को उनकी योग्यतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जाएगी।

ii. अध्ययन के अनुसार मैदानी का भू–जल स्तर भू–सतह से 15–20 मीटर नीचे पाया जाता है तथा खदान की अधिकतम गहराई 10 से 12 मीटर है। अतः खदान में उत्खनन की वजह से भू–जल स्तर प्रभावित नहीं हो सकता। भू–स्वामियों से तालाब निर्माण एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रक्रिया को अपना कर जल संवर्धन करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

viii. खनन क्षेत्र के परिवहन मार्गों पर नियमित रूप से जल छिड़काव एवं रख-रखाव किया जाएगा। साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

ix. सी.जी.एम.एल. के नियमानुसार कन्टूर प्लांटेशन एवं बेंच ट्रेंचिंग किया जाएगा ताकि खदानों एवं कृषि योग्य भूमि को क्षति न हो।

x. विभिन्न गतिविधियों की योजना के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। पी.एफ.डी.सी. प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को उनकी योग्यतानुसार रोजगार दिलाने हेतु प्रतिबद्ध है।

20. इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान –

S. No.	Description of Item	Capital cost (Rs)	Recurring cost (Rs) / year
1	Air pollution control + water sprinkling (300 days x 2 times x 200Rs./day and other)	1,00,000	2,00,000
2	Environment Monitoring (Air/ Water / Soil / Noise) 1. Air quality monitoring location (8 x 5000 x 2) = 80,000 2. Water Sampling Analysis (8 x 3000 x 2) = 48,000 3. Soil Sampling Analysis (8 x 3000 x 1) = 48,000 4. Noise Sampling (8 x 3000 x 1) = 24,000	1,00,000	2,00,000
3	Green Belt Development	1,00,000	2,00,000
4	Water Pollution Control	1,00,000	2,00,000
	Total	4,00,000	8,00,000

21. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 18/01/2023 के माध्यम से कलेक्टर, जिला–[illegible] को सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत ईको पार्क निर्माण हेतु जिला कलेक्टर, [illegible] ग्राम पंचायत में 2 से 5 हेक्टेयर तक की शासकीय भूमि आवंटित किये जाने हेतु पत्र लिखा गया है।

ईको पार्क निर्माण किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.पी.आर. (Detailed Project Report) प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.पी.आर. (Detailed Project Report) अनुसार आगामी कार्यवाही किये जाने बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) भी प्रस्तुत किया गया है। ईको पार्क हेतु प्रस्तुत डी.पी.आर. (Detailed Project Report) निम्नानुसार है–

S.No.	Particulars	Area/length (Sqm/Mtr)	Unit	Rate	Amount (Rs.)
1	Lawn	2,970	1	30	89,100
2	Childrens Park	3,075	1	150	4,61,250
3	Rose Garden	3,162	1	80	2,52,960
4	Butterfly Garden	3,096	1	80	2,47,680
5	Flower Garden	6,940	1	50	3,47,000
6	Pathway	6,730	1	45	3,02,850
7	Street light	673 (10 Mtr Per	673	1,200	8,07,600

		Pathway)			
8	Chain link Fencing (Boundary Fencing)	860 Mtr (Running 4m Size)	7,371.72	78	5,75,000
9	Lake	4,750	1	200	9,50,000
10	Dense Forest	6,782	1	50	3,39,000
11	Wooden Pagoda	114	3	95,000	2,85,000
12	Toilets	8	2	70,000	1,40,000
13	Fruit Orchard	3,747	1	45	1,68,615
14	Guard Room	25	1	1,80,000	1,80,000
15	Reception Counter	25	1	50,000	50,000
16	Salary of the guard cum gardner for watch, ward & caring of plants upto 5 years	-	-	10,000 per month	6,00,000
Total					**37,86,255**

22. लीज क्षेत्र के भीतर आच्छादित वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही उक्त वृक्षों की कटाई किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही खदान से 50 मीटर परिधि में उत्खनन का कार्य किये जाने बाबत् भी शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर संग्रहित रखे जाने तथा लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. "CMDC undertakes that the contents of EIA/EMP are true and correct to bets of my knowledge and belief, that nothing has been concealed" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. "CMDC will obtain approval of Biodiversity Management Plan (including Wildlife Conservation Plan) from PCCF (Wildlife)/Chief Wildlife warden, Chhattisgarh or any other competent authority as per the requirement of project before the commencement of mining operation" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक) से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

27. "This is new project, therefore Hon'ble Supreme court of India judgment dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and ors. Shall not be applicable to this project." इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. डोलोमाइट उत्खनन के साथ-साथ लेटराइट उत्खनन के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा एस.ओ.आई./माईनिंग प्लान अनुमोदित लेटराइट खनन योजना प्रस्तुत नहीं की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एस.ओ.आई. में लेटराइट

बॉक्साइट उत्खनन का ही प्रस्ताव है। अतः लेटराइट खनिज उत्खनन के संबंध में उत्पादित मात्रा, खनन अवधि, लेटराइट प्रबंधन योजना आदि समस्त जानकारी/दस्तावेज/ अनुमति पत्र एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

26. समिति का मत है कि सी.ई.आर. इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, वाउचरों के रख-रखाव एवं मूल्यांकन कार्यों के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोजेक्ट/प्रॉपोनेंट, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. इन्वायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, वाउचरों के रख-रखाव एवं मूल्यांकन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 498/खनिज/ सी.एल.डी.सी./ 2022 बलरामपुर, दिनांक 21/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अतिरिक्त अन्य खदानें की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-जमीरापाट) का रकबा 114.009 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. खदान की संभावित आयु तक के लिए वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, निर्धारित सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यजीव संरक्षक) से अनुमोदन प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
3. लेटराइट खनिज उत्खनन के संबंध में उत्पादित मात्रा, खनन अवधि, लेटराइट प्रबंधन योजना आदि समस्त जानकारी/दस्तावेज/ अनुमति पत्र एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को ग्राम-जमीरापाट, तहसील-कुसमी, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के खसरा क्रमांक - 2188, 2189 एवं 87 अन्य में स्थित बॉक्साइट (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-114.009 हेक्टेयर (निजी भूमि - 107.315 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि - 6.694 हेक्टेयर), कुल उत्खनन क्षमता - 9,65,303.28 टन प्रतिवर्ष (अधिकतम उत्खनन क्षमता - 1,40,673.89 टन प्रतिवर्ष (जिसमें बॉक्साइट खनिज 91,438.03 टन प्रतिवर्ष, वेस्ट खनिज 49,235.86 टन प्रतिवर्ष) एवं ओवर बर्डन क्षमता - 8,24,629.39 टन प्रतिवर्ष) हेतु **परिशिष्ट-01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–आमाकेरवा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा (प्रकरण का नस्ती क्रमांक 2072)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 79182/2022, दिनांक 10/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 413988/2023, दिनांक 09/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–आमाकेरवा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक – 42/1, 43 एवं 78 अन्य, कुल रकबा–44.738 हेक्टेयर (निजी भूमि 44.738 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की आंकलित कुल उत्खनन क्षमता – 2,13,119.9 टन प्रतिवर्ष [आरओएम उत्खनन क्षमता – 1,92,307.7 टन प्रतिवर्ष (जिसमें डोलोमाईट खनिज 1,25,000 टन प्रतिवर्ष, वेस्ट खनिज 67,307.7 टन प्रतिवर्ष) एवं ओवर बर्डन क्षमता – 20,812.2 टन प्रतिवर्ष] है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 4.8 करोड़ होगी।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1026, दिनांक 11/10/2022 द्वारा प्रकरण "बी" केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टेण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग एनवायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टेण्डर्ड टीओआर (माईनिंग ऑफ मिनरल्स) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 28/01/2023:

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री राजेन्द्र कुमार, डिप्टी जनरल मैनेजर एवं श्री सुशील कुमार कश्यप, एसोसिएट जनरल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स ओशनोग्राफिक माईन–टेक कन्सल्टेन्ट्स की ओर से श्री अनवर कुमार यादव एवं श्री. नवीन अग्रवाल उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत आमाकेरवा का दिनांक 22/12/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक सं. सरगुजा/डोलो/खयो–1328/2022 रायपुर, दिनांक 01/08/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 863/खलि–1/एम.एल./2022

अम्बिकापुर, दिनांक 22/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** — कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 963/खलि-1/एम.एल./2022 अम्बिकापुर, दिनांक 22/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध एवं एनीकट आदि अधिसूचित क्षेत्र स्थित नहीं है। खदान की कुल रकबा 44.718 हेक्टेयर क्षेत्र जिसमें आबादी एवं शासकीय पी.एम.जी.एस.वाई. सड़क एवं तालाब आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में स्थित है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** — एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3-20/2021/12 नवा रायपुर, दिनांक 25/02/2022 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई थी। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3-7/2021/12 नवा रायपुर, दिनांक 23/03/2022 द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात दिनांक 27/03/2023) तक वैध है।

7. **भू-स्वामित्व** — कुल रकबा 44.718 हेक्टेयर है, जो निजी भूमि है। भूमि संबंधी दस्तावेज खसरावार सहित प्रस्तुत किया गया है। साथ ही "CMDC will obtain the consent of all land owners within the mining lease area before the commencement of mining operation" हेतु आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) भी प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** — वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमंडल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.ची./122 अम्बिकापुर, दिनांक 21/01/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार "छोटे बड़े झाड़ के जंगल" मद में दर्ज है, ऐसे आवेदित कुल 8 खसरों में रकबा 11.86 हेक्टेयर क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधान लागू होगा। साथ ही क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के पृ. ज्ञापन क्रमांक/अम्बिकापुर/2021-22/880(3) दिनांक 18/01/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार लीज क्षेत्र के भीतर वन भूमि आने के कारण कुल रकबा 91.3 हेक्टेयर में से 46.582 हेक्टेयर क्षेत्र में, जो आबादी क्षेत्र (32.146 हेक्टेयर) एवं छोटे बड़े झाड़ के जंगल (14.436 हेक्टेयर) होने के कारण 46.582 हेक्टेयर को छोड़कर शेष 44.718 हेक्टेयर क्षेत्र है। तत्पश्चात् कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, उप परिक्षेत्र मैनपाट के ज्ञापन दिनांक 21/07/2022 द्वारा वनमण्डलाधिकारी सरगुजा, वनमण्डल अम्बिकापुर को प्रेषित जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है:-

क्र.	विषय/बिन्दु	क्षेत्र से संबंधित सूचनाएं
1.	माईन्स के 10 कि.मी. परिधि में राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य का नाम है।	उपरोक्त वर्णित प्रस्तावित माईन्स के 10 कि.मी. परिधि में कोई राष्ट्रीय पार्क/अभ्यारण्य नहीं है।
2.	माईन्स के आस-पास के क्षेत्रों में पाये	उपरोक्त वर्णित प्रस्तावित माईन्स के

	पाये जाने वाले पेड़–पौधे व जंगली जानवरों की सूची।	आस–पास क्षेत्रों में निम्न प्रजाति के पेड़–पौधे पाये जाते हैं – साल, सागौन, आंवला, कोसम, धूप, हर्रा, बहेड़ा, [illegible], खम्हार, बेल, अर्जुन, सीसम, बिजा, तेंदू, आम, करंज, नीम, जामुन, धावड़ा, महुआ, चार, कुल्लू, बांस प्रजाति के पौधे पाये जाते हैं। एवं निम्न प्रजाति के जंगली जानवर पाये जाते हैं – भालू, चीतल, सियार, लोमड़ी, जंगली सूअर, हिरण, खरगोश, मोर, जलकुक्कड़ पाये जाते हैं तथा जंगली हाथियों का विचरण क्षेत्र है तथा कभी–कभी तेंदुआ का विचरण भी किया जाता है।
3.	आई.डब्ल्यू.पी.ए. 1972 के शेड्यूल–1 स्पीशिज / रेड प्लांट स्पीशिज	आई.डब्ल्यू.पी.ए. 1972 के अंतर्गत जंगली जानवरों का संरक्षण क्षेत्र नहीं है और न ही रेड प्लांट प्रजाति के पौधे ही पाए जाते हैं।
4.	उपरोक्त स्पीशिज के संरक्षण योजना का विवरण।	उपरोक्त स्पीशिज के संरक्षण योजना अंतर्गत इसी प्रकार की योजना नहीं है।
5.	कोई माईग्रेशन रूट्स कॉरिडोर स्थित है या नहीं।	उपरोक्त माईनिंग क्षेत्रों के अंतर्गत कोई माईग्रेशन रूट्स कॉरिडोर स्थित नहीं है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 75 मीटर एवं रेलवे स्टेशन अम्बिकापुर 80 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजमार्ग 22 कि.मी. दूर है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आरक्षित वन [illegible] 1.277 कि.मी., [illegible] 4.667 कि.मी., [illegible] 5.230 कि.मी. एवं सुरक्षित आरक्षित वन 1.369 कि.मी. तथा [illegible] नदी 5.452 कि.मी., [illegible] नदी 9.672 कि.मी. एवं [illegible] नदी 8.372 कि.मी. होना प्रतिवेदित किया है।

12. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित खदान प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 38,04,080 टन एवं माईनेबल रिजर्व 24,14,655 टन है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.8 मीटर से 1.6 मीटर एवं ओवरबर्डन मिट्टी की मोटाई 0.3 मीटर से 3 मीटर है। खदान

मिट्टी की मात्रा 71,862.8 घनमीटर एवं ओवर बर्डन 18,168 घनमीटर है जिसका उपयोग पुनर्भराव एवं वृक्षारोपण हेतु किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर से 6 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अपशिष्ट उत्पादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ओवर बर्डन को [illegible] एवं [illegible] किया जाएगा। खदान में धूल उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (ROM टन)	बोल्डर विपणन (टन)	वेस्ट निपटान (टन)
प्रथम	61,538.5	40,000	21,538.5
द्वितीय	78,923.1	50,000	28,923.1
तृतीय	1,15,384.7	75,000	40,384.6
चतुर्थ	1,53,846.2	1,00,000	53,846.2
पंचम	1,92,307.7	1,25,000	67,307.7

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस आशय का ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तावित क्षेत्र के अंदर सीमित भूमि [illegible] होने के कारण उत्खनन उपरांत भूमि का पुनर्भराव कर भू-स्वामी को पुनः प्रदान की जाएगी, जिसके कारण वृक्षारोपण ग्राम पंचायत से अनापत्ति उपलब्ध की गई भूमि में कुल 3,153 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही सी.एम.डी.सी. द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान की परिधि के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र जिसका कुल रकबा 3.153 हेक्टेयर होता है, सी.एम.डी.सी. द्वारा उक्त क्षेत्रफल अनुसार वृक्षारोपण पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि में किया जायेगा। जिसका विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष / विवरण	प्रथम (2022-23) (रूपये)	द्वितीय (2023-2024) (रूपये)	तृतीय (2024-25) (रूपये)	चतुर्थ (2025-26) (रूपये)	पंचम (2026-27) (रूपये)
सर्वेक्षण एवं सीमांकन	35,530	–	–	–	–
फेंसिंग कार्य	87,02,388	2,27,500	4,27,500	4,37,500	15,84,750
जल संग्रहण क्षेत्र उपचार कार्य	7,91,800	8,27,800	–	–	–
नर्सरी (पौधशाला) में पौध तैयारी एवं रखरखाव कार्य	68,00,000	29,60,000	2,20,000	1,70,000	85,000
पौधा उत्पादन (खाद एवं मिट्टी) एवं गड्ढे खुदाई कार्य	78,38,050	1,27,71,800	36,20,380	8,20,190	2,27,880
मृदा-जल संरक्षण कार्य	16,90,827	–	–	–	–
सिंचाई सुविधा विकास	1,08,00,000	13,87,860	19,16,834	18,88,644	–

रोड सुधार एवं ब्लाक व्यय	17,48,860	15,48,060	5,53,080	5,46,080	5,53,880
पौधों की वृद्धि दर	—	7,00,000	—	—	—
द्रव्य कल्याण ऑपरेशन	—	1,27,200	1,35,080	—	—
मजदूरी / वाहनों दरों में आकस्मिक वृद्धि	—	10,26,337	7,40,717	6,26,209	5,52,743
अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण	—	—	2,00,000	1,50,000	1,50,000
जल संरक्षण कार्य	—	—	3,00,000	3,00,000	2,00,000
कुल = 7,66,74,724	3,82,95,676	2,16,77,177	81,74,481	52,02,631	33,24,259

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 7 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 1 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 7 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल**–

Concentration level (μg/m³) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (μg/m³)	Maximum (μg/m³)	CPCB Standard (μg/m³)
$PM_{2.5}$	20.34	33.24	60
PM_{10}	47.38	68.62	100
SO_2	7.99	14.62	80
NO_2	9.62	13.55	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता**– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फर, फ्लोराइड्स, आर्सेनिक, लेड एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर**–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	50.8	58.4	75
Night L_{eq}	38.8	42.8	70

जो सड़क क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना**– भारी वाहनों / कार/ट्रैक्टर हेतु सड़कों को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन (PCU) प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार–

Status	PCU / Day	V/C ratio
Existing	1233.5	0.3
Proposed	1261.5	0.32

निष्कर्ष के उपरांत भी री-अलाइनमेंट / परियोजना के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड वहन क्षमता निर्धारित मानक (Very Good 0.2 - 0.4) के भीतर है।

18. खदानों के संबंध में लोक सुनवाई दिनांक 15/12/2022 समय 11:00 बजे स्थान शासकीय प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक शाला का प्रांगण, ग्राम ..., तहसील–मैनपाट, जिला–सरगुजा में संपन्न हुई। लोक सुनवाई कार्यवाही सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 27/12/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है:–**

i. परियोजना के अंतर्गत जिन भू-स्वामियों से उनकी भूमि ली जाती है उन्हें खदान में रोजगार नहीं मिलता है।

ii. भूमि जल स्तर नीचे गिर रहा है इस संबंध में क्या उपाय अपनाये जायेंगे?

iii. खदान के परिवहन मार्ग के अतिक्रमण होने से धूल उत्सर्जन होगा।

iv. खदान क्षेत्र से आसपास कृषि/खदानी क्षेत्र की ब्लास्टिंग के दौरान होने वाली नुकसान की रोकथाम के लिए क्या उपाय अपनाये जायेंगे?

v. परियोजना प्रभावित भू-स्वामियों एवं स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार दिया जाना चाहिए तथा सीएसआर गतिविधि में भाग लेने हेतु प्राथमिकता दिया जाना चाहिए;

vi. स्थानीय लोगों के मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी एवं अच्छी सड़क, शौचालय आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कन्सल्टेंट का कथन निम्नानुसार है–

i. इस परियोजना के अंतर्गत भू-स्वामियों से उनकी भूमि का उचित मुआवजा दे कर केवल 7 वर्षों के लिए पट्टे पर लिया जायेगा। प्रभावित परिवारों में से प्रत्येक परिवार से कम से कम एक सदस्य को उनकी योग्यतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

ii. अध्ययन के अनुसार मैनपाट का भू-जल स्तर भू-सतह से 15-20 मीटर नीचे पाया जाता है तथा खदान की अधिकतम गहराई 10 से 12 मीटर है। अतः खदान से उत्खनन की वजह से भू-जल स्तर प्रभावित नहीं हो सकता। भू-स्वामियों से तालाब निर्माण एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रक्रिया को अपना कर जल संरक्षण करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

xii. खनन क्षेत्र के परिसीमन चारों तरफ निर्धारित क्षेत्र की जल सिंचाई एवं रख-रखाव किया जाएगा। साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गई भूमि पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

xiii. डी.जी.एम.एस. के नियमानुसार कन्ट्रोल ब्लास्टिंग एवं वेट ड्रिलिंग किया जाएगा, ताकि वनस्पति एवं कृषि योग्य भूमि को क्षति न हो। साथ ही यह भी प्रयास किया जाएगा कि अधिक से अधिक उत्खनन मशीनों के माध्यम से हो ताकि ब्लास्टिंग की आवश्यकता ही न हो।

xiv. खानकर्मिकों के ग्रामवासियों को भी प्रस्तावित परियोजना की आवश्यकतानुसार एवं उनकी योग्यता के आधार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा एवं उनका कम "बी" एवं "सी" सर्टिफिकेट के प्रशिक्षण के आधार पर भुगतान जाएगा।

xv. बी.एस.डी.सी. द्वारा खानक्षेत्र व आस-पास के अन्य ग्रामों के ग्रामीण विकास में सहयोग एवं मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु प्रयास है। इसके अंतर्गत गांव में विद्यालय के छात्र-छात्राओं को शिक्षाप्रद सामग्रियां (सुविधाएं) का वितरण तथा खेल सामग्रियों का भी वितरण समय-समय पर किया जायेगा। समय-समय पर स्वास्थ्य शिविरों एवं जागरूकता अभियान का आयोजन किया जायेगा। पेय जल उपलब्ध कराने हेतु बी.एस.डी.सी. द्वारा गांव के आवश्यकतानुसार व्यवस्थाओं का पालन किया जायेगा। सड़कों का रखरखाव एवं प्रतिष्ठानों का निर्माण आदि सुविधाएं ग्राम पंचायत के सहयोग से आवश्यकतानुसार समय-समय पर किया जायेगा।

20. इन्वायरमेन्टल मैनेजमेंट प्लान –

S. No.	Description of Item	Budgetary Calculation	Recurring cost (Rs in lakhs per annum)
1	Air pollution control	water sprinkling (300 days x 2 times x 300Rs /day)	1.8
2	Environment Monitoring	Air quality monitoring (location x monitoring frequencies x cost) (7 x 2 x 4,000) = 56,000 Rs Ground Water Sampling Analysis (7 x 2 x 2,500) = 35,000 Rs Surface Water Sampling Analysis (7 x 2 x 2,500) = 35,000 Rs Soil Sampling Analysis (7 x 2 x 2,500) = 35,000 Rs Noise Sampling (7 x 2 x 1,000) = 14,000 Rs	1.75
3	Green Belt Development	300 Rs /plant X 281 (includes the cost of fertilizers & pesticides and maintenance)	0.84
4	Environment management plan	Water, Noise & Soil	0.61
	Total		Rs. 5 Lakh/Annum

21. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 18/01/2023 के माध्यम से कार्यालय, जिला-कलक्टर को सी.ई.आर.

(Corporate Environment Responsibility) के तहत इको पार्क निर्माण हेतु ग्राम ... के गैरवन क्षेत्र में 2 से 5 हेक्टेयर तक की शासकीय भूमि आवंटित किये जाने हेतु चयन किया गया है।

इको पार्क निर्माण किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.पी.आर. (Detailed Project Report) प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.पी.आर. (Detailed Project Report) अनुसार आगामी कार्यवाही किये जाने बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) भी प्रस्तुत किया गया है। इको पार्क हेतु प्रस्तुत डी.पी.आर. (Detailed Project Report) निम्नानुसार है:-

S.No.	Particulars	Area/length (Sqm/Mtr)	Unit	Rate	Amount (Rs.)
1	Lawn	2,670	1	30	80,100
2	Childrens Park	3,075	1	150	4,61,250
3	Rose Garden	3,152	1	80	2,52,160
4	Butterfly Garden	3,096	1	80	2,47,680
5	Flower Garden	6,940	1	50	3,47,000
6	Pathway	6,730	1	45	3,02,850
7	Street light	673 (10 Mtr Per Pathway)	673	1,200	8,07,600
8	Chain link Fencing (Boundary Fencing)	880 Mtr (Running 4m Size)	7371.72	78	5,75,000
9	Lake	4,750	1	200	9,50,000
10	Dense Forest	6,782	1	50	3,39,000
11	Wooden Pagoda	114	3	95,000	2,85,000
12	Toilets	5	2	70,000	1,40,000
13	Fruit Orchard	3,747	1	45	1,68,615
14	Guard Room	25	1	1,80,000	1,80,000
15	Reception Counter	25	1	50,000	50,000
16	Salary of the guard cum gardner for watch, ward & caring of plants upto 5 years	-	-	10,000 per month	6,00,000
	Total				57,86,255

22. लीज क्षेत्र के भीतर आच्छादित वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही उक्त वृक्षों की कटाई किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही नाला से 50 मीटर छोड़कर उत्खनन का कार्य किये जाने बाबत् भी शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर संग्रहित रखे जाने तथा लीज क्षेत्र के बाहर संग्रहित नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. लोडिंग-अनलोडिंग के दौरान उड़ने वाले धूल कणों के नियंत्रण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. "CMDC undertakes that the contents of EIA/EMP are true and correct to best of my knowledge and belief, that nothing has been concealed" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. "CMDC will obtain approval of Biodiversity Management Plan (including Wildlife Conservation Plan) from PCCF (Wildlife)/Chief Wildlife warden, Chhattisgarh or any other competent authority as per the requirement of project before the commencement of mining operation" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी [प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) एवं मुख्य वन्यप्राणी] से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

27. "This is new project, therefore Hon'ble Supreme court of India' judgment dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and ors. Shall not be applicable to this project." इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

28. बॉक्साइट उत्खनन के साथ–साथ लेटेराइट उत्खनन के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई./माईनिंग लीज, स्वीकृत लेटेराइट उत्खनन योजना प्रस्तुत नहीं की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. में केवल बॉक्साइट उत्खनन का ही उल्लेख है। अतः लेटेराइट खनिज उत्खनन के संबंध में स्वीकृत मात्रा, रकबा आदि, लेटेराइट उत्खनन योजना आदि समस्त जानकारी/दस्तावेज/ अनुमति पत्र एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

29. समिति का मत है कि सी.ई.आर., इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (छ.ग.ख.वि.नि./सीएमडीसी, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान, सड़कों के रख–रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर सरगुजा (खनिज शाखा), अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 660/खलि–1/एमएल/2022 अम्बिकापुर, दिनांक 22/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवेदित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–सारडीह) का रकबा 44.718 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गई।

2. खदान की संचालित आयु तक के लिए वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी [प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) एवं मुख्य वन्यप्राणी] से अनुमोदन प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

3. लेटेराइट खनिज उत्खनन के संबंध में स्वीकृत मात्रा, रकबा आदि, लेटेराइट उत्खनन योजना आदि समस्त जानकारी/दस्तावेज/ अनुमति पत्र एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से अनुशंसा – मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को ग्राम–खांडसेवरा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा के खसरा क्रमांक – 42/1, 43 एवं 78 अन्य में स्थित बॉक्साइट (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–44.718 हेक्टेयर (निजी भूमि 44.718 हेक्टेयर), कुल उत्खनन क्षमता – 2,13,118.9 टन प्रतिवर्ष [अधिकतम उत्खनन क्षमता – 1,82,307.7 टन प्रतिवर्ष (केवल बॉक्साइट खनिज 1,20,000 टन प्रतिवर्ष, वेस्ट खनिज 62,307.7 टन प्रतिवर्ष) एवं ओवर बर्डन क्षमता – 30,811.2 टन प्रतिवर्ष] हेतु **परिशिष्ट–02** में उल्लेखित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की समिति अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

18. मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–दलदली, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम (प्रकरण का नस्ती क्रमांक 1061)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 76078/2022, दिनांक 12/04/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रस्तुत प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 413096/2023, दिनांक 09/01/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित बॉक्साइट (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–दलदली, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा क्रमांक – 43/2, 61 एवं 81 अन्य, कुल क्षेत्रफल–42.746 हेक्टेयर (निजी भूमि – 32.998 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि – 9.748 हेक्टेयर) में प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित कुल उत्खनन क्षमता – 4,29,000 टन प्रतिवर्ष [अधिकतम उत्खनन क्षमता – 3,07,500 टन प्रतिवर्ष (केवल बॉक्साइट खनिज 1,99,875 टन प्रतिवर्ष, वेस्ट खनिज 1,07,625 टन प्रतिवर्ष) एवं ओवर बर्डन क्षमता – 1,21,500 टन प्रतिवर्ष] है। परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 2.78 करोड़ होगी।

एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1089, दिनांक 14/10/2022 द्वारा प्रकरण 'बी1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी जनरल मैनेजर एवं श्री सुशील कुमार चन्द्राकर, एसोसिएट जनरल मैनेजर तथा पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स ग्रीन सर्किल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड की ओर से श्री उमाकांत एफएई तौर उपस्थित हुए। समिति

द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 14/10/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान एवं प्रोग्रेसिव माईन क्लोज़र प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो के ज्ञापन क्रमांक [illegible]–1317/2021 रायपुर, दिनांक 01/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 802/खलि./खनिज/2022 कबीरधाम, दिनांक 21/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 802/खलि./खनिज/2022 कबीरधाम, दिनांक 21/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में ग्राम–[illegible] बसाहट जिसके अंतर्गत 17 परिवार निवासरत है एवं मंदिर, आंगनबाड़ी भवन, कच्ची सड़क स्थित है। इसके अतिरिक्त कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे नदी, तालाब, पुलिया, बांध, मंदिर, मस्जिद, रेल लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग एवं अस्पताल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त खदान में 200 मीटर की परिधि में आने वाले क्षेत्रों को नॉन माईनिंग क्षेत्र रखते हुये उत्खनन कार्य किया जाएगा, जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–18/2021/12 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20/12/2021 द्वारा एल.ओ.आई. जारी की गई थी। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक एफ 3–7/2021/12 नवा रायपुर, दिनांक 23/03/2022 द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् पत्र जारी किया गया है, जिसकी अवधि 1 वर्ष (अर्थात् दिनांक 27/03/2023) तक है।
7. **भू–स्वामित्व** – कुल क्षेत्रफल–40.248 हेक्टेयर है, जिसमें से निजी भूमि [illegible] हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि 0.748 हेक्टेयर है। भूमि संबंधी दस्तावेज खसरावार सहित प्रस्तुत किया गया है। साथ ही "CMDC will obtain the consent of all land owners within the mining lease area before the commencement of mining operation" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) भी प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, जिला–कवर्धा के ज्ञापन क्रमांक/मा.अधि./8280 कवर्धा, दिनांक 17/09/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 20–25 मीटर की दूरी पर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित लीज क्षेत्र के खसरा क्रमांक 148 एवं 152, वन भूमि से लगी हुई है। हलवाही आरक्षित वन 2 कि.मी. की दूरी पर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), मध्यप्रदेश, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक एफ–1/2008/10–11 भोपाल, दिनांक 23/11/2010 द्वारा वन क्षेत्र से लगा वन क्षेत्र की सीमा से 250 मीटर क्षेत्र के अंदर खनि निकासा देने हेतु विचार करने के लिए गठित समिति को समक्ष भेजे जाने वाले प्रकरण हेतु पत्र जारी किया गया था। इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक भ–02/151 रायपुर, दिनांक 02/02/2022 द्वारा "तत्कालीन निर्देश मध्यप्रदेश राज्य के समेकित से तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये थे, अतः उपरोक्त पत्र द्वारा इंगित निर्देशों का संज्ञान में नहीं लिया जाता।" का उल्लेख है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है "As per rule carryout mining after leaving the prescribed distance from the forest boundary as laid down in forest act, forest conservation act 1980 and rule"

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–हलवाही लीज क्षेत्र से लगी हुई है एवं रेल्वे स्टेशन रायपुर 140 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कि.मी. दूर है। सोन नदी 2.5 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय पार्क, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संक्रिया एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित खदान प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 16,14,878 टन एवं माईनेबल रिजर्व 12,47,128 टन है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 11 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 8,028 घनमीटर एवं ओवर बर्डन 85,560 घनमीटर है, जिसका उपयोग पुनर्भरण एवं वृक्षारोपण हेतु किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की सम्भावित आयु 11 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (ROM टन)	संभावित निकासला (टन)	वेस्ट निकासला (टन)
प्रथम	41,400	26,910	14,490
द्वितीय	77,280	50,232	27,048
तृतीय	91,080	59,202	31,878
चतुर्थ	1,28,800	83,720	45,080
पंचम	1,37,080	89,102	47,978

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – प्रस्तावित क्षेत्र के चारों ओर [illegible] भूमि [illegible] होने के कारण उपलब्ध [illegible] भूमि का पुनर्भरण कर [illegible] को पुनः बहाल की जाएगी। जिसके कारण वृक्षारोपण ग्राम पंचायत से [illegible] की गई भूमि में कुल 3,280 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही पी.एस.डी.सी. द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान की परिधि के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र जिसका कुल रकबा 3.28 हेक्टेयर होता है। पी.एस.डी.सी. द्वारा उक्त क्षेत्रफल अनुसार वृक्षारोपण पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गई भूमि में किया जायेगा। जिसका प्रावधान निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रथम (2022–23)	द्वितीय (2023–2024)	तृतीय (2024–25)	चतुर्थ (2025–26)	पंचम (2026–27)
विवरण	(राशि)	(राशि)	(राशि)	(राशि)	(राशि)
अधिग्रहण एवं सीमांकन	35,630	–	–	–	–
वेधन कार्य	87,02,369	2,27,500	4,37,500	4,37,500	15,84,750
जल भंडारण क्षेत्र उत्खनन कार्य	7,91,600	8,27,600	–	–	–
मशीनें (किराये) व [illegible] एवं [illegible] कार्य	68,30,000	28,60,000	2,20,000	1,10,000	55,000
[illegible] (खाद एवं सिंचाई) एवं गड्ढे खुदाई कार्य	79,39,050	1,27,71,600	39,23,390	8,21,490	2,27,880
भू–जल संरक्षण कार्य	16,90,637	–	–	–	–
सिंचाई सुविधा विकास	1,06,00,000	13,87,880	19,19,934	18,89,644	–
क्षेत्र सुरक्षा एवं अन्य व्यय	17,40,480	15,40,080	5,53,880	5,46,080	5,53,880
[illegible] (अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण) की वृद्धि भत्ता	–	7,00,000	2,50,000	1,50,000	1,50,000
अन्य [illegible]	–	1,27,200	1,20,060	–	–
मजदूरी / सामग्री	–	13,29,337	7,40,717	8,39,209	9,92,743

दरों में आकस्मिक वृद्धि					
जल संरक्षण कार्य	—	—	3,00,000	3,00,000	3,00,000
कुल =7,99,75,516	3,82,59,676	2,18,77,177	81,74,481	52,03,923	33,24,259

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन — लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** — मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2022 से मई 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **परिवेशीय परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल–**

Concentration level (µg/m³) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum (µg/m³)	Maximum (µg/m³)	CPCB Standard (µg/m³)
$PM_{2.5}$	13.5	28.1	60
PM_{10}	38.3	49.5	100
SO_2	6.5	17.5	80
NO_2	8.7	19.0	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता**— ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये लेवल अनुसार क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक, लेड एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल मानकीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	35.8	47.2	75
Night L_{eq}			70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना**— भारी वाहनों / ट्रैक्टर/ट्रक जैसे वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही वर्तमान में पी.सी.यू. की संख्या, वी/सी अनुपात (V/C ratio) सहित तथा परियोजना से होने वाले पी.सी.यू. की संख्या में वृद्धि को समाहित करते हुए परियोजना उपरांत कुल पी.सी.यू. की संख्या, वी/सी अनुपात (V/C ratio) सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. खदानों के क्लस्टर की लोक सुनवाई दिनांक 03/12/2022 प्रातः 12:00 बजे स्कूल-खेल मैदान, ग्राम [illegible], तहसील-[illegible], जिला-कबीरधाम में संपन्न

हुई। लोक सुनवाई उपरांत सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 18/01/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

15. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये है:-**

i. परियोजना के अंतर्गत जिन भू-स्वामियों से उनकी भूमि ली जाती है, उनकी जमीनें वापस नहीं आएगी।

ii. खनिज ब्लास्टिंग के उत्खनन के बदले प्रति एकड़ 10 लाख रूपये का मुआवजा और जमीन की उत्खनन के उपरांत समतलीकरण का वापिस किया जाए।

iii. खदान संचालन के दौरान निकल वाहनों, परिवहन से होने वाले धूल के नियंत्रण, स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य निरीक्षण एवं परीक्षण की उचित व्यवस्था किया जाए।

iv. गांव के लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

i. इस परियोजना के अंतर्गत भू-स्वामियों से उनकी भूमि का समस्त मुआवजा दे कर भूमि पट्टे पर लिया जायेगा। माइनिंग खत्म होने के बाद भूमि समतल कर भू-स्वामी को विधिवत भूमि वापिस की जाएगी।

ii. खदान के अंतर्गत आने वाले भू-स्वामियों को उनकी भूमि का उचित क्षति मुआवजा देने का प्रावधान सी.एम.डी.सी. द्वारा रखा गया है। फसल क्षति मुआवजा का आंकलन जिला प्रशासन की उपस्थिति में सी.एम.डी.सी. और ग्राम पंचायत/भू-स्वामियों की उपस्थिति में होगा। माइनिंग खत्म होने के बाद भारतीय खान ब्यूरो रायपुर द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान/फाईनल माईन क्लोजर प्लान में उल्लेखित प्रावधानों के तहत भू-स्वामियों को उनकी भूमि समतल कर विधिवत वापस कर दी जायेगी।

iii. खदान में काम करने वाले समस्त मजदूरों/ कामगारों को नियमानुसार ई.पी.एफ.ओ. में पंजीयन करवाया जायेगा और नियमानुसार उन्हें मेडिकल इलाज का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। खदान संचालन के दौरान धूल के नियंत्रण हेतु पानी टैंकर के माध्यम से जल का छिड़काव किया जाएगा। मजदूरों/ कामगारों का नियुक्ति प्रारंभिक मेडिकल माईन्स एक्ट 1952 के तहत कराया जाएगा मजदूरों को नियमित सेफ्टी-शू, हेलमेट, मास्क, गॉगल्स वितरण किया जाएगा। समय समय पर स्वास्थ्य शिविर एवं जागरूकता अभियान का आयोजन किया जाएगा।

iv. विभिन्न कैटेगरियों की योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। टेक्निकल पद को छोड़कर किसी भी बाहरी व्यक्तियों की भर्ती नहीं की जाएगी।

29. इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान –

S. No.	Activity / Item	Total estimated cost (Rs lakhs/Annum)
1.	Pollution Control Dust suppression (Rs. 400 per trip, 5 trips/day, for 300 days) Maintenance of Garland drains settling tanks, Check dams, etc.	6.00
2.	Pollution Monitoring	5.00
3.	Occupational Health: PME (Once in 3 years for >45 years age, once in 5 years <45 years age) & PPE for 30% of workers & Health insurance and training for all employees	2.00
4.	Plantation @ Rs. 300 per tree & 3000 trees per year	9.00
5.	Soil Preservation & Conservation (Organic mulching / manure treatment)	0.50
6.	Biological reclamation of waste dump using geo textile (considering 1000 sq.m. dump surface per year & Rs. 50/sq.m. cost)	0.50
	Estimated Recurring Cost (Rs. Lakhs/Annum)	23.00

30. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 18/01/2023 के माध्यम से कार्यालय, जिला–कलेक्टर को सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु जिला–[illegible], तहसील–[illegible] अंतर्गत ग्राम–[illegible]/[illegible]/[illegible]/[illegible] में 2 से 5 हेक्टेयर तक की शासकीय भूमि आवंटित किये जाने हेतु मांग किया गया है।

ईको पार्क निर्माण किये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.पी.आर. (Detailed Project Report) प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा डी.पी.आर. (Detailed Project Report) अनुसार आगामी कार्यवाही किये जाने बाबत् वचनपत्र (Undertaking) भी प्रस्तुत किया गया है। ईको पार्क हेतु प्रस्तुत डी.पी.आर. (Detailed Project Report) निम्नानुसार है–

S.No.	Particulars	Area/length (Sqm/Mtr)	Unit	Rate	Amount (Rs.)
1	Lawn	2,970	1	30	89,100
2	Childrens Park	3,075	1	150	4,61,250
3	Rose Garden	3,162	1	80	2,52,960
4	Butterfly Garden	3,096	1	80	2,47,680
5	Flower Garden	6,940	1	50	3,47,000
6	Pathway	6,730	1	45	3,02,850
7	Street light	673 (10 Mtr Per Pathway)	673	1,200	8,07,600
8	Chain link Fencing (Boundary Fencing)	880 Mtr (Running 4m Size)	7371.72	78	5,75,000
9	Lake	4,750	1	200	9,50,000
10	Dense Forest	6,782	1	50	3,39,000
11	Wooden Pagoda	114	3	95,000	2,85,000
12	Toilets	5	2	70,000	1,40,000

13	Fruit Orchard	3,747	1	45	1,68,615
14	Guard Room	25	1	1,80,000	1,80,000
15	Reception Counter	25	1	50,000	50,000
16	Salary of the guard cum gardner for watch, ward & caring of plants upto 5 years	-	-	10,000 per month	6,00,000
Total					57,98,065

20. लीज क्षेत्र के भीतर अवस्थित वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही उक्त वृक्षों की कटाई किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही खदान से 50 मीटर क्षेत्र में उत्खनन का कार्य नहीं किये जाने बाबत् भी शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. खदान से निकली मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर संग्रहित रखे जाने तथा लीज क्षेत्र के बाहर संग्रहित नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये समस्त मुद्दों के निराकरण हेतु किये जाने वाले कार्यों बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. "CMDC undertakes that the contents of EIA/EMP are true and correct to best of my knowledge and belief, that nothing has been concealed" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. "CMDC will obtain approval of Biodiversity Management Plan (including Wildlife Conservation Plan) from PCCF (Wildlife)/Chief Wildlife warden, Chhattisgarh or any other competent authority as per the requirement of project before the commencement of mining operation" इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि खदान की संचालित आयु तक के लिए वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

25. "This is new project, therefore Hon'ble Supreme court of India' judgment dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and ors. Shall not be applicable to this project." इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. जारी टी.ओ.आर. के अनुसार बेसलाईन डाटा संकलन का कार्य मार्च, 2022 से मई, 2022 तक किया गया है। जबकि फाईनल ई.आई.ए. के प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा संकलन का कार्य मार्च, 2022 से जून, 2022 तक किया गया है। समिति का मत है कि बेसलाईन डाटा संकलन हेतु स्थापित किये गये मॉनिटरिंग स्टेशन के कोऑर्डिनेट्स (जी.पी.एस. फोटो सहित), पंचनामा एवं मॉनिटरिंग से उत्पादित किये गये आंकड़ों के साथ सहित स्पष्टीकरण/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

27. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा इसके अंतर्गत नियमों व मार्गदर्शिका वन क्षेत्र के निर्धारित दूरी संबंधित समस्त अभिलेख कोर्ट, के संबंध में परियोजना प्रस्तावक

द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है तथा माईनिंग प्लान में उक्त त्रुटि को ठीक माईनिंग प्लान रखते हुये संशोधित एवं सक्षम अधिकारी से अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

28. खदान की सम्पूर्ण आयु तक के लिए वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, निर्धारित सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) एवं मुख्य वन्यप्राणी) से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

29. बेसलाईन डाटा कलेक्शन हेतु स्थापित किये गये मॉनिटरिंग स्टेशन तथा जल एवं वायु आदि गुणवत्ता हेतु सैम्पल एकत्रित किये गये स्थानों के जिसमें निकटतम कोऑर्डिनेट्स (के.एम.एल. फाईल सहित), पंचायत एवं मॉनिटरिंग में उपयोग किये गये मशीनों के नाम सहित स्पष्टीकरण/जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

30. भारी वाहनों / भारवहनवाहन हैवी वाहनों को सम्मलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही अध्ययन में पी.सी.यू. की संख्या, वी/सी अनुपात (V/C ratio) सहित तथा परियोजना से होने वाले पी.सी.यू. की संख्या में वृद्धि को समाहित करते हुए परियोजना उपरांत कुल पी.सी.यू. की संख्या, वी/सी अनुपात (V/C ratio) सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

31. डोलोमाईट उत्खनन के साथ-साथ लेटेराईट उत्खनन के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा एस.ओ.आई./माईनिंग लीज, सम्बन्धित लेटेराईट प्रबंधन योजना प्रस्तुत नहीं की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एस.ओ.आई. में केवल डोलोमाईट उत्खनन का ही उल्लेख है। अतः लेटेराईट खनिज उत्खनन के संबंध में सम्बन्धित मात्रा, खनन क्षेत्र, लेटेराईट प्रबंधन योजना आदि समस्त जानकारी/दस्तावेज/ अनुमति एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ से आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

32. समिति का मत है कि सी.ई.आर., इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्लान, स्कूलों के रख-रखाव एवं सुधारीकरण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-स्तरीय समिति (प्रोपोनेंट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर., इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्लान, स्कूलों के रख-रखाव एवं सुधारीकरण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-स्तरीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 802/ख.लि./खनिज/2022 कबीरधाम, दिनांक 21/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवेदित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम-[illegible]) का रकबा 42.640 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।

2. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई वांछित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों (बिन्दु क्रमांक 27 से 31 तक) की एस.ई.

आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ से आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सक्षम अनुशंसा की जाती है।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से अंतिम रूप से — मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को ग्राम-सरभी, तहसील-बोड़ला, जिला-कबीरधाम के खसरा क्रमांक — 41/2, 61 एवं अन्य में स्थित बॉक्साइट (मुख्य खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-42.640 हेक्टेयर (निजी भूमि — 32.898 हेक्टेयर एवं शासकीय भूमि — 9.742 हेक्टेयर), कुल उत्पादन क्षमता — 4,29,000 टन प्रतिवर्ष [अपशिष्ट उत्पादन क्षमता — 3,07,500 टन प्रतिवर्ष (रिजेक्ट बॉक्साइट खनिज 1,80,875 टन प्रतिवर्ष, वेस्ट खनिज 1,27,625 टन प्रतिवर्ष) एवं ओवर बर्डन क्षमता — 1,21,500 टन प्रतिवर्ष] हेतु **परिशिष्ट—03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की सक्षम अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक-3 : परियोजना प्रस्तावकों द्वारा वांछित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स अमरपुर बोल्डर स्टोन क्वारी (प्रो.— श्री अशोक कुमार जायसवाल), ग्राम-अमरपुर, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया (प्रकरण का नस्ती क्रमांक 1869)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/सीजी/एमआईएन/244282/2021, दिनांक 13/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियां होने के कारण दिनांक 18/12/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 28/12/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रकरण का विवरण — यह प्रकरण विस्तार का प्रस्ताव है। यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अमरपुर, तहसील-बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 04, कुल रकबा-1.86 हेक्टेयर है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता-18,360 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 12/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 404वीं बैठक दिनांक 20/04/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक कुमार जायसवाल, प्रोप्राईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा चर्चा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—**

i. पूर्व में साधारण पत्थर उत्खनन खसरा क्रमांक 34, कुल क्षेत्रफल–1.65 हेक्टेयर, क्षमता– 4,566 घनमीटर (11,415 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्षों की अवधि हेतु जारी की गई है।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परंतु प्रकरण क्षमता विस्तार का है। अतः एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रमाणित कराया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1776/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 16/12/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	4,465
2018	696
2019	2,966
2020	4,550
2021	3,712

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 15/10/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – प्रोग्रेसिव माईनिंग प्लान एवं प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1591/खनिज/खनि.2/2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 17/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1777/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 16/12/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1778/खनिज/उ.प./2021, कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 16/12/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, बसाहट, जलाशय एवं रेल लाईन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री अशोक कुमार जायसवाल के नाम पर है। उक्त लीज की अवधि 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 05/03/2011 से 04/03/2016 की अवधि तक थी। तत्पश्चात् लीज अवधि में 25 वर्षों की, दिनांक 05/03/2016 से 04/03/2041 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उप वनसंरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी [illegible], [illegible] के पत्रांक [illegible]/[illegible], दिनांक 08/08/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 3 कि.मी. की दूरी पर है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-[illegible] 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-[illegible] 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल [illegible] 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 12 कि.मी. दूर है। नजदीकी नाला 250 मीटर दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन योजना एवं खदान का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,76,888 टन, माईनेबल रिजर्व 1,77,272 टन एवं मिनरलेबल रिजर्व 1,88,563 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,860 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,348 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। लीज क्षेत्र में ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग प्रस्तावित किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव की व्यवस्था की गई है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	17,687	षष्ठम	17,687
द्वितीय	17,687	सप्तम	17,687
तृतीय	17,687	अष्टम	17,687
चतुर्थ	17,687	नवम	17,687
पंचम	17,687	दशम	18,368

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,240 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार के पश्चात् उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
25	2%	0.50	Following activities at Approch road **Village-Amarpur**	
			Pavitra Van Nirman	2.24
			Total	**2.24**

16. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन" के तहत (पीपल, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 6000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 700 रूपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 30,600 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 77,300 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 1,46,800 रूपये हेतु चरणबद्ध व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत की सहमति उपरांत ग्राम पंचायत अमरपुर अंतर्गत शासकीय भूमि नहीं होने के कारण ग्राम पंचायत अमरपुर के पहुंच मार्ग में दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र की सीमा के चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का चरणबद्ध व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 01/08/2022 के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/12/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 44वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

समिति द्वारा पाया कि प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र दिनांक 23/12/2022 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जिसके अनुसार–

i. Greenbelt development has not been carried out.
ii. Only few demarcation boundary pillars are available and no fencing is observed around the lease area.
iii. Six monthly compliance report has not been submitted to the Regional Office of MoEF&CC regularly.
iv. Public Liability Insurance has not been obtained under Public Liability Insurance Act, 1991.
v. During the visit, it has been observed that apart from the old pit, excavation of soil and mining has been carried out in an area demarcated in the revised quarry plan for the year 2022-2023 to 2021-2022.
vi. It appears that paper advertisement regarding grant of EC have been made in the Hindi daily viz. Danik Bhaskar (on 24/4/2022) and Haribhumi (22/4/2022), i.e. after the lapse of EC validity period, which is in contravention to the condition No.25 of the EC.
vii. Waste material / boulders are is being stacked in the adjoining area of the public Road.

समिति का मत है कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन के संबंध में कार्यवाही एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु ([illegible], [illegible], बरगद, नीम, आम, अर्जुन एवं बेल) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,380 नग पौधों के लिए राशि 11,880 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 8,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 48,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 2,07,880 रूपये तथा आगामी चार वर्षों में कुल राशि 2,88,000 रूपये हेतु पर्यावरण व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त प्रतिवेदन के संबंध में कार्यवाही एवं जानकारी (Action Taken Report) प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स आर. डी. मिनरल्स (बनहरदी लाईम स्टोन खदान, पार्टनर– श्री [illegible]), ग्राम–बनहरदी, तहसील–[illegible], जिला–राजनांदगांव ([illegible] का नवीनी करण 2022)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/252568/2022, दिनांक 12/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/06/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/06/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–[illegible], तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 328/2, 328/3, 328/4, 328/5 एवं 329/1, कुल क्षेत्रफल–1.041 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता–20,000 टन (8,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 18/10/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की [illegible] बैठक दिनांक 27/10/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री [illegible], अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा खदान, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 26/06/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान ([illegible] प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (क्षे.), भौमिकी तथा खनिकर्म, नया रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्र. 287/खनि 02/मा.प्ला.अनुमोदन/न.क्र.08/2019 नया रायपुर, दिनांक 18/01/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1032/खनि 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 24/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान के 500 मीटर के भीतर 4 खदानें, क्षेत्रफल 3.72 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1032/खनि 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 24/06/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. [illegible] के नाम पर है। जो कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1694/खनि.02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 06/10/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 328/2, 328/3, 328/4, 328/5 एवं 329/1 [illegible] के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय उपवन संरक्षक अधिकारी, राजसमंद वन मंडल, राजसमंद के पत्रांक क्र./मा.चि./न.क्र. 10-1/2021/2828 राजसमंद, दिनांक 24/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 13.03 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-[illegible] 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-[illegible] 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम-[illegible] 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 700 मीटर दूर है। निकटतम नदी 2.5 कि.मी. एवं तालाब 800 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अन्तर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रमाणित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,02,878 टन, माईनेबल रिजर्व 2,00,812 टन एवं मिनरलाईज्ड रिजर्व 1,80,773 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,800 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 20 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,000 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	20,000
द्वितीय	20,000
तृतीय	20,000
चतुर्थ	20,000
पंचम	20,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत् केन्द्रीय ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रपत्र अनुसार पौधों के लिए राशि 33,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,000 रुपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 20,000 रुपये, रख-रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 75,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,20,000 रुपये आगामी चार वर्षों हेतु पर्यावरण व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** — लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कन्हारी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल (खसरा क्रमांक 258, रकबा 1.842 हेक्टेयर) में कुल 250 नग आम एवं नीम वृक्षों के वृक्षारोपण किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में समिति का मत है कि नीम वृक्ष के स्थान पर जामुन वृक्ष लगाए जाने एवं लगाए जाने की उपयुक्त संख्या कर सी.ई.आर. (C.E.R.) का संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्संबंध सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एस.ओ.आई. की विस्तृत पुष्टि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं।
2. खदानी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
3. नीम वृक्ष के स्थान पर जामुन वृक्ष लगाए जाने एवं लगाने की उपयुक्त संख्या कर सी.ई.आर. (C.E.R.) का संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. कटिंग प्रस्तावित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
5. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) का प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज रियायत नियम (Minerals Concession Rules) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
7. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् प्रभावित लोगों को पुनर्वास किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ) दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पश्चात आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/12/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 03/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

समिति द्वारा मामले, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एस.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संचालक, ग्रामोद्योग, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 7664/खनि 02/उ.प.–अनुज्ञप्ति/न.क्र. 90/2017(3) नवा रायपुर, दिनांक 29/12/2022 द्वारा जारी किया गया है जिसके अनुसार "प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खननिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है।"

2. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन (Top Soil Management) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार उत्खनित ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु उपयोग किया जाएगा। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर संग्रहित कर संरक्षित नहीं करने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग व उसकी विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नीम वृक्ष के स्थान पर उपयुक्त वृक्ष लगाए जाने एवं लगाने की उपयुक्त स्थान का सी.ई.आर. (C.E.R.) का निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities at Nearby **Village-Banhardi**	
30	2%	0.60	Plantation with fencing at land provided by gram panchayat	2.28
			Total	**2.28**

4. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण (जामुन, नीम एवं आम) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 250 नग पौधों के लिए राशि 18,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये तथा रख–रखाव के लिए राशि 24,000 रूपये अर्थात इस प्रकार कुल राशि 67,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख–रखाव हेतु कुल राशि 1,61,000 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु वर्षवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

5. कंट्रोल ब्लास्टिंग किए जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. स्वीकृत लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का उत्तरजीविता रेट (Survival rate) का प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज रियायत नियम (Minerals Concession Rules) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

8. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत प्रभावित लोगों को रोजगार दिए जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है;

11. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की चौड़ा पट्टी में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपोनेंट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की चौड़ा पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

12. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लीकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/1022/खनि 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 24/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 4 खदानें, क्षेत्रफल 3.72 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-[illegible]) का रकबा 1.041 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-[illegible]) को मिलाकर कुल रकबा 4.761 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स आर. बी. मिनरल्स (भागीदारी [illegible] पार्टनर- श्री [illegible]),

ग्राम–कापसाही, तहसील–डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव के खसरा क्रमांक 328/2, 328/3, 328/4, 328/5 एवं 328/1 में स्थित चूना पत्थर (ऑर्डिनरी स्टोन) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.041 हेक्टेयर, क्षमता – 20,000 टन (8,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

उक्त राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स अभिलाषा इस्पात उद्योग, रावाभाठा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1614)

ऑनलाइन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 228653/ 2021, दिनांक 09/08/2021।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यक्षमता के तहत रावाभाठा औद्योगिक क्षेत्र, तहसील व जिला–रायपुर स्थित प्लॉट नं. 25 एवं 26, कुल क्षेत्रफल–1.94 एकड़ (0.78 हेक्टेयर) में रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 66,400 टन प्रतिवर्ष करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यक्षमता के उपरांत विनियोग की कुल लागत 2.87 करोड़ होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/02/2022 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 388वीं बैठक दिनांक 14/02/2022

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री [illegible] उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से रि–रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 22/11/2019 को जारी की गई है, जिसकी वैधता 31/10/2029 तक है।
- पूर्व में जारी सम्मति नवीनीकरण के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- नजदीकतम आबादी रावाभाठा 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन रायपुर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानतल, माना, रायपुर 17.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग 150 मीटर दूर है। खारून नदी 6 कि.मी. एवं [illegible] नाला 1.5 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, इकोलॉजिकली सेंसिटिव अधिसूचित क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भू-स्वामित्व** – प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्लॉट नं. 30 एवं 38, क्षेत्रफल 1.94 एकड़ (0.78 हेक्टेयर) सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा आवंटित किया गया है। सी.एस.आई.डी.सी. से आवंटन की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

4. लेण्ड यूसेज स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in SQM)	Area (%)
1.	Builtup Area	5,409.51	68.8
2.	Open Land / Parking Area	1,507	19.2
3.	Greenbelt Area	936	12
	Total	**7,852.51**	**100**

5. रॉ-मटेरियल –

S. No	Input	Existing Quantity (TPA)	Proposed Quantity (TPA)	Source	Transport
1.	MS Billets	31,200	30,578	Open Market	By road through covered trucks
2.	Coal	4,000	3,520		

6. स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Particular	Existing	After Expansion
1.	Unit	Re-heating Rolling Mill	Reheating Rolling Mill
2.	Products	Re-rolled products – 30,000 TPA	Re-rolled products – 59,400 TPA

Note: Existing Coal Gasifier based reheating furnace rolling mill shall not be changed and capacity expansion shall be achieved only by increasing working hours of reheating furnace from 8 Hrs per day to 16 Hrs per day without any change in plant & machineries.
But there will be more consumption of raw material, power, water and labour which will have impact on environment, more solid waste will be produced. More area will be required to raise greenbelt.

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में री-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु स्क्रबर एवं 30 मीटर ऊंचाई की 2 नग चिमनी स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु उक्त व्यवस्था का उपयोग किया जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम एवं 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर तक प्राप्त प्रस्तावित है। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

8. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था** – वर्तमान में रोलिंग मिल से एण्ड कटिंग – 960 टन प्रतिवर्ष एवं ऐश – 320 टन प्रतिवर्ष अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत रोलिंग मिल से एण्ड कटिंग – [illegible] टन

प्रतिवर्ष एवं ऐश – 319 टन प्रतिवर्ष अनुमानित के रूप में उत्पन्न होगा। वर्तमान में उत्पन्न स्लैग को प्लांट में री-साइक्लिंग के रूप में पुनः उपयोग एवं ऐश को ईंट निर्माण इकाई को उपलब्ध कराया जाता है। यही व्यवस्थायें प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अपनाई जायेगी।

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल आवश्यकता एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 13.5 घनमीटर प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 8 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2.5 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन) उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 28.5 घनमीटर जल प्रतिदिन (औद्योगिक उपयोग हेतु 18.5 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं ग्रीन बेल्ट हेतु 7 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जल की आपूर्ति भू-जल से की जाती है एवं प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु जल की आपूर्ति भू-जल से किया जाना प्रस्तावित है। भू-जल की उपलब्धता (28 घनमीटर प्रतिदिन) हेतु केन्द्रीय भूजल अथॉरिटी से दिनांक 08/11/2023 तक की अवधि हेतु अनुमति प्राप्त की गई है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। इंडक्शन फर्नेस के कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित क्षमता विस्तार हेतु अपनाई जायेगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 2.4 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्त्रावण की स्थिति रखी जाती है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित) जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल केन्द्रीय भूजल बोर्ड के अनुसार क्रिटिकल ज़ोन में आता है। जिसके अनुसार:-

  (अ) उद्योग एवं खनन परियोजनाओं को कम से कम 80 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) भूगर्भ जल निकासी हेतु अपनाई गई तकनीक तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग /आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग द्वारा परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल उपलब्धि 6,286 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत कुछ पिट निर्मित किया गया है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण उपयोग को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इससे अधिकतम मात्रा में वर्षा जल का संग्रहण हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 3,380 के.वी.ए. विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी

निर्मित हो रही जाती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट का उपयोग किया जाता है। परन्तु उनके द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट की क्षमता नहीं बताई गई है।

11. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – उद्योग में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 0.0606 हेक्टेयर (12 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया गया है, जो आवश्यक कम है। जबकि परिसर के भीतर 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि शेष 28 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य भूमि खसरा क्रमांक 190/3, 190/4, 191/3 एवं 191/4 ग्राम–अटारी, जिला–रायपुर, क्षेत्रफल 0.4?? हेक्टेयर में किया जाएगा। उक्त भूमि को परियोजना प्रस्तावक द्वारा भी आवेदित योजना से 11 वर्षों हेतु लीज में प्राप्त की गई है। उक्त के संबंध में समिति का मत है कि लीज अवधि की समाप्ति उपरांत वृक्षों की कटाई नहीं किये जाने के संबंध में भूमि धारक एवं लीज धारक का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही भूमि खसरा क्रमांक 190/3, 190/4, 191/3 एवं 191/4, ग्राम–अटारी, जिला–रायपुर का भू–स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (बी–1, पी–2) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. प्रस्तावित क्षमता विस्तार कार्यकलाप के उपरांत विनिर्माण की कुल लागत 2.87 करोड़ होना बताया गया है, जिसका ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित विस्तारीकरण हेतु इण्डक्शन-फर्नेस का उपयोग किया जाना बताया गया है। इण्डक्शन-फर्नेस की [illegible] हेतु एच.टी. कनेक्शन संबंधी जानकारी एवं इसकी उपयोग हेतु एग्रीमेंट की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सम्यक् सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. पार्टनरशिप डीड की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. विनिर्माण की कुल लागत का ब्रेक–अप प्रस्तुत किया जाए।
3. उद्योग में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा अधिप्रमाणित भू–संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
5. चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने बाबत् विस्तृत प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. भारी वाहनों / [illegible] हैवी वाहनों के आवागमन को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए। साथ ही क्षमता विस्तार के पूर्व तथा क्षमता विस्तार के उपरांत प्रदूषण भार का आंकलन का रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।
7. प्रस्तावित परियोजना उपरांत दूषित जल की मात्रा एवं उसके उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित) जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
8. उद्योग में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत एनर्जी बैलेंस, हीट बैलेंस, वॉटर बैलेंस एवं रॉ–मटेरियल बैलेंस प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

9. वायु, जल, पार्टिकुलेट मैटर के लिए आवधिक मॉनिटरिंग का वार्षिक डाटा प्रस्तुत किया जाए। साथ ही क्षमता विस्तार उपरांत प्रदूषण भार में वृद्धि की स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

10. वेस्टवाटर व्यवस्था हेतु ई.टी.पी. प्लांट की क्षमता सहित एवं विस्तृत संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।

11. इन्सीनरेटर-कोयला की खपत/उपयोग हेतु, ऐश डिस्पोजल संबंधी जानकारी एवं इसके उपयोग हेतु एग्रीमेंट की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

12. कोयला एनालिसिस रिपोर्ट एवं बेस लाइन मॉनिटरिंग डाटा प्रस्तुत किया जाए।

13. वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार पर्यावरण व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

14. वृक्षारोपण किये जाने हेतु भूमि खसरा क्रमांक 190/3, 190/4, 191/2 एवं 191/4 ग्राम-अटारी, जिला-रायपुर का भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (बी-1, पी-2) प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उक्त क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट व्यवस्था के संबंध विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

15. परिसर में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के पश्चात् प्रस्तावित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट व्यवस्थाओं का विवरण (नक्शा एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।

16. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव एवं प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

17. सी.ई.आर. के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार पर्यावरण व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

18. प्रस्तावित कार्यविस्तार उपरांत उत्पादित फ्लाई ऐश को भिन्न-भिन्न ईंट निर्माण इकाई को प्रदाय किया जायेगा के संबंध जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

19. उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 11/03/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 14/03/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की आगामी बैठक दिनांक 16/03/2022:

समिति द्वारा चर्चा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पर्यावरणीय सहमति की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. परियोजना की कुल लागत का ब्रेक-अप प्रस्तुत किया गया है।
3. परिसर में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

4. छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पत्र दिनांक 28/10/2008 द्वारा उद्योग को भू-आवंटन संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुआ है।

5. चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 50 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम कर 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने बाबत् विस्तृत गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 8.64 टन प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित क्षमताविस्तार उपरांत पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 5.26 टन प्रतिवर्ष होगी।

6. भारी वाहनों / कन्टेनरयुक्त हैवी वाहनों के आवागमन को सम्मिलित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

7. प्रस्तावित परियोजना उपरांत दूषित जल की मात्रा 2.4 घनमीटर प्रतिदिन एवं उसके उपचार हेतु 5 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन चैंबर, इक्वेलाइजेशन टैंक, एफ्लुएंट टैंक, सेडिमेन्टेशन टैंक, क्लोरिनेशन कॉन्टैक्ट टैंक, प्रेशर सैंड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं ट्रीटेड वाटर टैंक स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

8. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित क्षमताविस्तार उपरांत वॉटर बैलेंस एवं री-साइक्लिंग बैलेंस प्रस्तुत की गई है। एनर्जी बैलेंस एवं हीट बैलेंस की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. वायु, जल, पार्टिकुलेट मेटर के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग का वार्षिक डाटा प्रस्तुत किया गया है। साथ ही क्षमता विस्तार उपरांत प्रदूषण भार में वृद्धि की स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की गई है।

10. विद्युत आवश्यकता हेतु 1 नग 50 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जायेगा।

11. इम्पोर्टेड-कोयल की कैलोरिफिक वैल्यु, ऐश कन्टेन्ट संबंधी जानकारी एवं इसके उपयोग हेतु एग्रीमेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है।

12. कोल एनालिसिस रिपोर्ट एवं बेस लाईन मॉनिटरिंग डाटा प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों का चयन, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 3 वर्षों का बजट विवरण प्रस्तुत किया गया है। परन्तु वर्षवार विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14. शेष 33 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किये जाने हेतु भूमि खसरा क्रमांक 190/3, 190/4, 191/3 एवं 191/4 ग्राम-[illegible], जिला-रायपुर का भू-स्वामित्व संबंधी दस्तावेज (बी-1, पी-2) प्रस्तुत की गई है। 30 वर्षों की अवधि पर्यन्त उपयोग की वृक्षों की कटाई नहीं किये जाने के संबंध में भूमि धारक एवं उद्योग धारक का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उक्त क्षेत्र में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के संबंध विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

15. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के उपरांत प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नक्शा एवं साईज सहित) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
287	2%	5.74	Following activities at Nearby Government Schools & **Village - Baroda**	
			Running Water Facility for Toilets at school	1.40
			Plantation with Fencing at village	4.32
			Total	**5.72**

17. इसके अतिरिक्त परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत ग्राम भूरा में 40,000 रूपये वृक्षारोपण, ग्राम बरोदा में 1.50 लाख रूपये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग एवं 33,000 रूपये सेनिटेशन फेसिलिटी में व्यय किया गया।

18. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

19. वृक्षारोपण कार्य हेतु ग्राम पंचायत बरोदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

20. सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का व्यावहारिक पंचवर्षीय व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

21. प्रस्तावित [illegible] उपरांत अधिक [illegible] 50-60 टी.पी.एम. को भी पूर्ण [illegible] को प्रदान किये जाने के संबंध जानकारी प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा तत्पश्चात् सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. भारी धातुओं / रेडियोएक्टिव जैसे तत्वों के आकलन को समाहित करते हुए टॉक्सिक अध्ययन रिपोर्ट (टी.सी.एल.पी.) प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रस्ताव विस्तार के पूर्व तथा प्रस्ताव विस्तार के पश्चात प्रदूषण भार का आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

2. संयंत्र में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित [illegible] उपरांत मटेरियल बैलेंस एवं हीट बैलेंस की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वास्तविक विवरण प्रस्तुत किया जाए।

4. भूमि खसरा क्रमांक 190/3, 190/4, 191/3 एवं 191/4 ग्राम-बरोदी, जिला-रायपुर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की स्थापना के संबंध में नक्शा का विस्तृत प्रस्ताव सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

5. परिसर के भीतर उद्योग में स्थापित एवं प्रस्तावित विस्तार के तहत प्रस्तावित [illegible] सिंचाई व्यवस्थाओं एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नक्शा एवं साईज सहित) प्रस्तुत किया जाए।

6. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. सी.ई.आर. के तहत वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित राशि रूपये 4.32 लाख (पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों) को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम या रायपुर नगर निगम में जमा करके समिति को सूचित किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/04/2022 के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 03/08/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 427वीं बैठक दिनांक 24/08/2022:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि–

1. स्थापित परियोजना हेतु 4 ट्रक प्रतिदिन एवं क्षमता विस्तार उपरांत 8 ट्रक प्रतिदिन आवागमन हेतु आवश्यकता होगी। परंतु भारी वाहनों / सार्वजनिक हैवी वाहनों के आवागमन को समायोजित करने हेतु ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (पी.सी.यू.) प्रस्तुत नहीं किया गया है।
2. क्षमता विस्तार के पूर्व तथा क्षमता विस्तार के उपरांत प्रदूषण भार का आकलन का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वर्तमान संयंत्र में पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से कुल उत्सर्जन की मात्रा 8.64 टन प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित उच्च दक्षता का संयंत्र एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने के बाद उत्सर्जन की मात्रा 6.26 टन प्रतिवर्ष होगी।
3. संयंत्र में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित क्षमतावृद्धि उपरांत हीट बैलेंस की स्पष्ट/वांछित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. कुल 850 नग वृक्षारोपण 3 वर्षों में किया जाना बताया गया है। परंतु व्ययवार विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 3 वर्षों का व्ययवार विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
5. भूमि खसरा क्रमांक 190/3, 190/4, 191/3 एवं 191/4 ग्राम-[illegible], जिला-रायपुर में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था के अंतर्गत वर्षा जल का कुल रनऑफ [illegible] घनमीटर होगी। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें स्वच्छ मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।
6. परिसर के भीतर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग रिचार्ज पिट निर्मित किया जाना है। परंतु नक्शा एवं डिजाइन सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परिसर के भीतर संयंत्र में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के उपरांत प्रस्तावित बाउंड्री वाल रिचार्ज आवश्यकता एवं रेन वॉटर

प्रस्तावित व्यवस्थाओं का विवरण (फोटो एवं साईट सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. सी.ई.आर. के तहत् क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित राशि रूपये 4.32 लाख को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा प्रस्तुत आदेश पत्र में दिनांक 16/06/2022 को उक्त प्रस्ताव सहमति प्रति प्रस्तुत की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भारी वाहनों / कल्टीवेशन हैवी वाहनों के आवागमन को समायोजित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (टी.एस.यू) प्रस्तुत किया जाए।
2. उद्योग से उत्सर्जित ऊष्मा एवं प्रस्तावित इलेक्ट्रिकल उपकरण हीट बैलेंस की स्पष्ट/संशोधित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. वृक्षारोपण के तहत् पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 3 वर्षों का व्ययवार विवरण प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना के भीतर उद्योग से उत्सर्जित एवं समस्त निकास के तहत् प्रस्तावित धारक वायु निकासी व्यवस्थाओं एवं रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (फोटो एवं साईट सहित) प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना के भिन्न-भिन्न स्थानों के बहुविदित ध्वनि उत्सर्जन होगा, इन स्थानों पर निर्धारित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्रक दिनांक 28/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ट) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

समिति द्वारा चर्चा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. भारी वाहनों / कल्टीवेशन हैवी वाहनों के आवागमन को समायोजित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट (टी.एस.यू) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार री-कार्पेटिंग एवं सिविलिंग सोडकर का परिवहन ट्रकों के माध्यम से किया जायेगा। इस बाबत् कुल 88 टी.एस.यू की आवश्यकता होगी।
2. उद्योग से उत्सर्जित ऊष्मा एवं प्रस्तावित इलेक्ट्रिकल उपकरण हीट बैलेंस की स्पष्ट/संशोधित जानकारी के संबंध में निम्न तालिका प्रस्तुत किया गया है:-

Input/Output	Particular	Percentage	KVA
Heat Input	From transformer	100%	3,280
	IF	90%	2,952

	Heat transfer to		
Heat Output	Reheating Furnace and coal gasifier system	95%	2,805
	Cooling system	3.0%	88.5
	Other Losses	2.0%	59.0
Total		100%	2,952

3. वृक्षारोपण के तहत प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 88,800 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,12,800 रुपये, खाद के लिए राशि 8,880 रुपये, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए राशि 88,800 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,98,880 रुपये एवं आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,01,780 रुपये हेतु पौधारोपण व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. प्रस्तावित कार्यस्थल उत्पादन परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 2,334 घनमीटर है। प्रस्तावित कार्यस्थल उत्पादन रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 3 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लम्बाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर एवं गहराई 2.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किये गये कि इनसे समस्त मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

5. परियोजना के भिन्न–भिन्न स्थलों से प्रदूषित जल उत्पन्न होगा, उन स्थलों पर नियंत्रित जल निकासी की व्यवस्था किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अण्डरटेकिंग (undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

7. समिति द्वारा यह पाया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "स्टैंड अलोन री-रोलिंग इकाईयां या कोल्ड रोलिंग इकाईयां, जिनकी क्षमता 3,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक हो" को टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया जाना आवश्यक है। अतः समिति का मत है कि प्रकरण विचार के तहत् रि-हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल क्षमता–30,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 84,000 टन प्रतिवर्ष के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किये जाने के उपरान्त ही कार्यवाही किया जाना संभव है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 3250(अ), दिनांक 20/07/2022 के अनुसार "स्टैंड अलोन री-रोलिंग इकाईयां या कोल्ड रोलिंग इकाईयां, जिनकी क्षमता 3,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक होने के कारण टी.ओ.आर. में आवेदन किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही किया जाए।

2. परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत् पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपेक्षित प्रपत्रों को टी.ओ.आर. प्राप्त करने हेतु पुनः ऑनलाईन आवेदन किये जाने के पश्चात् उपलब्धता के आधार पर प्रस्तुतीकरण में बुलाया जाएगा।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स एस.के.जे. बायोफ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, एन.एच.-30, ग्राम–कुरदाहा एवं रामपुर, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1525)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/59925/2021, दिनांक 20/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/आईएनडी2/258587/2022, दिनांक 25/02/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम, ग्राम–रामपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 5 एवं ग्राम–कुरदाहा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 82/1 तथा 82/4, कुल क्षेत्रफल – 97.125 वर्गमीटर (24 एकड़) में न्यू मोलासेस क्षमता – 60 किलोलीटर प्रतिदिन (एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाइड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) **के स्थान पर** न्यू मोलासेस / ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी क्षमता – 60 किलोलीटर प्रतिदिन (एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाइड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना के निवेश की कुल लागत 141.28 करोड़ होगी।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1354/एस.ई.आई.ए.ए.छ.ग./ईसी/1525 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28/09/2021 द्वारा मेसर्स एस.के.जे. बायोफ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम, ग्राम–रामपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 5 एवं ग्राम–कुरदाहा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 82/1 तथा 82/4, कुल क्षेत्रफल – 97.125 वर्गमीटर (24 एकड़) में न्यू मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरी क्षमता – 60 किलोलीटर प्रतिदिन (एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाइड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/04/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की आयोजित बैठक दिनांक 25/04/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश चौहान, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निम्न संशोधन चाहा गया है–

EC Reference	Existing	Amendment	Justification
Point 6. Raw Material (Page No. 3)	Molasses-C: 297 TPD **Or** Molasses-B heavy: 258 TPD **Or** Syrup (45-50° Brix): 315 TPD **Source:** From BSSUKM sugar factory + Remaining molasses will be purchased from nearby sugar factories and other vendors in raw material also involved N,P – 120 kg/day turkey red oil (TRO) – 400 Kg/D	Molasses-C: 297 TPD **Or** Molasses-B heavy: 258 TPD **Or** Syrup (40-50° Brix): 315 TPD **Source:** From BSSUKM sugar factory – Remaining molasses will be purchased from nearby sugar factories and other vendors Or Grains (Broken rice/ FCI rice), Maize, Sorghum: 180 TPD Source: Nearby open market in raw material also involved N, P – 120 kg/day & turkey red oil (TRO) – 400 Kg/D. In case of grain additional raw material Amylase 60 kg/day and Amyl glucosidase 80 kg/day involved	In case of nonavailability of Raw material (Molasses-C / B-heavy / Syrup) from the BSSUKM and nearby sugar mills, the distillery will be operated on waste grains as feedstock. Distillery unit will install all the necessary arrangements to achieve Zero liquid discharge (ZLD)
8. Water Quality Monitoring and Preservation, point- vi	Raw spent wash generation from molasses-based distillery shall not exceed 08 liter per liter of alcohol produce. The concentrated spent wash generated from Multi-effect Evaporator shall be burnt in incinerator boiler. Spent less and process condensate shall be treated in effluent treatment plant (equalization tank, neutralization tank, primary clarification, anaerobic treatment, aerobic treatment, secondary clarification, activated carbon filter, ultrafiltration, sodium hypochlorite for disinfection). Treated water shall be recycled in the process. Domestic waste water shall be treated in Sewage Treatment plant and the treated effluent shall be used in plantation and dust suppression purposes after proper disinfection.	Raw spent wash generation from distillery shall not exceed 08 liter per liter of alcohol produce. a) In case of molasses/syrup based process: The spent wash generated from distillery unit shall treated in Bio-methanation unit followed by Multieffect Evaporator followed by making of spent wash powder in spray dryer. b) In case of Grain based process: Stillage/spent wash generated in process shall be treated through decantation followed by multiple effect evaporation (MEE) followed by Drying – converting to Cattle feed. c) Other low strength effluent: Spent less and process condensate shall be treated in effluent treatment plant	a) For molasses based process: Due to change in ZLD scheme (biomethanation followed by evaporation followed by dryer system). Biogas will be generated from effluent, which will reduce the fuel requirement of distillery or it will be converted in CBG (compressed bio gas which is a substitute to LPG). Distillery spent wash will be converted to powder form in spray dryer. SW powder is rich in potassium, nitrogen, phosphorus etc. therefore it is good for soil enrichment. SW powder contains 12-15% of potash, therefore, it will be sold to fertilizer manufacturing unit. b) For grain-based distillery: In case of nonavailability of raw material

		neutralization tank, neutralization tank, primary clarification, anaerobic treatment, aerobic treatment, secondary clarification, activated carbon filter, ultra-filtration, sodium hypochlorite for disinfection). Treated water shall be recycled in the process. d) Sewage: Domestic waste water shall be treated in sewage treatment plant and the treated effluent shall be used in plantation and dust suppression purposes after proper disinfection.	(Molasses C heavy/ B heavy/ Syrup) from the SSSL/KM and nearby sugar mills, the distillery will be operated on waste grains as feedstock. In the case to achieve ZLD Slop/spent wash generated in process shall treated through decantation followed by multiple effect evaporation (MEE) followed by drying - converting to cattle feed.

2. जल एवं वायु सम्मति – छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर से [illegible] हेतु जल एवं वायु सम्मति दिनांक 08/03/2022 को जारी की गई है।

3. जल प्रबंधन व्यवस्था –

Description	C-Heavy (m^3/day)	B-Heavy (m^3/day)	Syrup (m^3/day)	Grain (m^3/day)
Water Input				
Process water for fermentation & CO_2 Scrubber	700	688.5	432	**669**
Boiler feed water @24 TPH (capacity 30 MT/Hr)	577.5	483.5	400	**593**
Soft water for vacuum pump & others	100	100	100	**100**
For cooling towers makeup water	600	520	274	**445**
Other domestic usage	10	10	10	**10**
Daily utilize washing & others	88.5	156.5	94	**68**
Total water Input at Start-up	**2,076**	**1,958.5**	**1,310**	**1,885**
Water Output				
Spent lees (PR & Rect.)	120	120	120	**120**
Soft water for vacuum pump & others	100	100	100	**100**
Exhaust condensate	550	460.5	380	**480**
Process condensate	480	534	216	**383**
Soft water for vacuum pump & others	100	100	100	**122**
Total Water Output	**1,250**	**1,314.5**	**916**	**1,205**
Water loss				

CT Evaporation & drift losses	602	520	274	**445**
Domestic consumption losses	10	10	10	**10**
Boiler blow down & steam loss (to CPU)	27.5	23	20	**20**
Daily washing & others (Sent to CPU)	96.5	91	90	**90**
Total Water Loss	**736**	**644**	**394**	**565**
Recycle Streams				
Less recycle for RS dilution (after CPU)	120	120	120	**120**
Process condensate (after CPU)	547.55	534	216	**383**
Steam condensate recycled to boiler	550	460.5	380	**480**
Soft water for vacuum pump & others cooling water	100	100	100	**100**
Other effluent like boiler blow down, flower washing & WTP reject	133	185.5	114	**122**
Total recycling / re-utilization of water per day	**1,450.55**	**1,399.5**	**930**	**1,205**
Total Daily water requirement / input	**625**	**586**	**388**	**480**

4. जैव मीथेन एवं स्पेंट वॉश अपशिष्ट व्यवस्था –

Raw Material	**C-Heavy**	**B-Heavy**	**Syrup**	**Grain**
Total Daily water requirement / input (m^3/day)	625	586	380	480
The fresh water requirement per lit of Alcohol including domestic water	7.81 lit/ lit of RS	7.32 lit/ lit of RS	4.75 lit/ lit of RS	6.0 lit/ lit of RS
Concentrated spent wash dry at spray dryer (m^3/day)	92.44 Sold as fertilizer	70 Sold as fertilizer	34 Sold as fertilizer	42.6 Sold as cattle feed

Water Balance has been revised for amendment, minimum water requirement is 4.75 lit/ lit of RS and maximum water requirement is 7.81 lit/ lit of RS.
 # The water requirement is reduced and it is below 8 lit/ lit of RS.

5. ठोस कार्बनिक अपशिष्ट व्यवस्था –

Waste	**Quantity**	**Disposal**	**Remark**
Yeast Sludge	25-27 TPA	Used as soil enriching material	Organic
Cattle feed	42.6 TPD	Will be used as Cattle feed	Organic
Boiler ash	53.225 TPD	Sold to brick manufacturing units	Inorganic
Distillery Condensate Polishing Unit (CPU) Sludge	38-42 TPA	Mixed with soil	Organic/ Inorganic
Spent wash Powder	43.78 TPD	Given to fertilizer manufacturing units	Organic/ Inorganic
DG set spent oil	1-1.5	Will be given to	HW

	KL/annum	authorised recycler	(ref 5.1)
Due to Changed scheme of ZLD, spent wash will be converted into powder, and sold to fertilizer manufacturing unit and when grains are used as feedstock slop/spent wash will be converted into dry powder through dryer and it is used as cattle feed.			

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – 05 नग मल्टीसाइक्लोन बैग फिल्टर बॉयलर क्षमता 30 टीपीएच स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्यूजिटिव उत्सर्जन हेतु मल्टीसाइक्लोन विधि के साथ वाटर स्प्रिंकलर लगाया जाना प्रस्तावित है। कोयला स्टोरेज एरिया / यार्ड में वाटर स्प्रिंकलर व्यवस्था स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कोयला हैण्डलिंग क्षमता **7 टीपीएच** स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। मल्टीसाइक्लोन फ्यूजिटिव हैण्डलिंग सिस्टम, लोडिंग / अनलोडिंग में डस्ट सक्शन की व्यवस्था की जायेगी। स्टीम लगभग 1864 टन प्रतिदिन (140 ... प्रतिदिन), **कोयला लगभग 102 टन प्रतिदिन / बगास लगभग 245 टन प्रतिदिन** का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाएगा। यदि बगास किसी कारणवश प्राप्त नहीं होने पर कोयला / राईस हस्क का उपयोग किया जाएगा। पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन नियंत्रण हेतु बॉयलर में ई.एस.पी. की स्थापना एवं चिमनी की ऊंचाई 67 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। किण्वन (Fermentation) इकाई में कार्बन डाईऑक्साइड रिकवरी संयंत्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। [illegible] के माध्यम से स्टीम व्यवस्था में परिवर्तन कर समस्त इकाई को प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। [illegible] की चिमनी में ऑनलाइन कंटिन्युअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

7. **विद्युत आपूर्ति स्रोत** – परियोजना अंतर्गत 1.80 मेगावॉट के स्थान पर 3.2 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति हेतु 30 टन प्रतिघंटा क्षमता के बॉयलर से प्राप्त हाई प्रेशर स्टीम का उपयोग 03 मेगावाट क्षमता के स्थान पर 3.2 मेगावाट क्षमता के टर्बो जनरेटर से विद्युत उत्पादन की जाएगी। टर्बो जनरेटर से प्राप्त लो प्रेशर स्टीम को डिस्टलरी इकाई में विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग डीजी सेट (1,000 केवीए एवं 500 केवीए) की स्थापना की जाएगी। उल्लेखनीय यह बात है कि प्रस्तावित डी.जी. सेट की संख्या, क्षमता की जानकारी एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना आवश्यक है।

8. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि मोलासेस/ग्रेन बेस्ड आधारित डिस्टिलरी यूनिट की स्थापना किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः डिस्टिलरी यूनिट की स्थापना के संबंध में भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।

- भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04/06/2018 में निम्न प्रावधानों का उल्लेख है–

  "देश में जैव ईंधन के उत्पादन के लिए उपलब्ध घरेलू कच्चे माल के रूप में निम्न पदार्थ उपलब्ध हैं, **इथेनॉल उत्पादन के लिए**: बी-शीरा, गन्ने का रस, फसल के रूप में बायोमास, **कृषि अवशेष (चावल का पुआल, कपास की डंठल, मक्का के कोब, लकड़ी का बुरादा, खोई इत्यादि)**, शक्कर

युक्त सामग्री, जैसे चुकन्दर, मीठा ज्वार इत्यादि और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मक्का, कसावा, सड़ा हुआ आलू आदि, अनाज जैसे गेहूं, टूटे चावल इत्यादि के खराब होने जो कि खाने योग्य नहीं हो, अधिशेष के समय अनाज के साथ, सेल्युलोज युक्त फीडस्टॉक और समुद्री शैवाल जो कोई भी एथेनॉल उत्पादन के लिए एक संभावित फीडस्टॉक हो सकती है।

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13/06/2022 में निम्न प्रावधानों का उल्लेख है:-

  "(क) इस अनुसूची की मद 5(छ) में आने वाली परियोजनाओं के सिवाय,

  (ख) परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक शपथ-पत्र के रूप में स्व-प्रमाणन के अनुसार, पूर्ण रूप से केवल एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लिए ही उपयोग किए जाने हेतु विस्तारण इकाई के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) प्राप्त कर चुकी जैसी डिस्टिलरी इकाइयों या एथेनॉल के उत्पादन के लिए आसवनियों के विस्तार का श्रेणी 'ख2' परियोजनाओं के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा।

  परंतु यह कि बाद में यदि यह पाया जाता है कि इस परियोजना प्रस्तावक को अनुदान प्रदान की गई पर्यावरण स्वीकृति के आधार पर उत्पादित एथेनॉल का उपयोग पूर्ण रूप से ईबीपी कार्यक्रम के लिए नहीं किया जा रहा है या एथेनॉल का उत्पादन नहीं किया जा रहा है या उक्त आवश्यकताएं एवं अपेक्षाएं, जिनके आधार पर परियोजना का श्रेणी ख 2 परियोजना के रूप में मूल्यांकन किया गया है, को पूरा नहीं कर रही है तो पर्यावरण स्वीकृति को निरस्त माना जाएगा।"

  उपरोक्त के संबंध में समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक से शपथ पत्र लिया जाना आवश्यक है।

4. परियोजना के विनियोग की कुल लागत 141.20 करोड़ रुपये बताया गया है, जिसका ब्रेक-अप प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यस्थल में एवं प्रस्तावित संयंत्र उत्पादन उद्योग के विभिन्न इकाइयों सहित 33 प्रतिशत ग्रीनबेल्ट क्षेत्र को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यस्थल में एवं प्रस्तावित संयंत्र उत्पादन प्रदूषण स्तर की विस्तृत समय का तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. कार्यस्थल में एवं प्रस्तावित संयंत्र उत्पादन उद्योग का सैम्पल पूर्तिका स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाए।
4. वर्तमान स्थिति में विनियोग की कुल लागत तथा प्रस्तावित संयंत्र में विनियोग की लागत का ब्रेक-अप प्रस्तुत किया जाए।
5. प्रस्तावित संयंत्र अनुसार भारी वाहनों / ट्रांसपोर्टेशन हेतु वाहनों को सम्मिलित करते हुए ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।
6. भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04/06/2018 के अनुसार देश में जैव ईंधन के उत्पादन के लिए सम्भावित फीडस्टॉक वाले खाद्य के रूप निम्न पदार्थ उपलब्ध हैं, **एथेनॉल**

उत्पादन के लिए बी-हैवी, गन्ने का रस, चावल के रूप में कार्बोहाइड्रेट, **कृषि अवशेष (चावल का पुआल, कपास की डंठल, मक्के की कोब, लकड़ी का बुरादा, खोई इत्यादि)**, शक्कर युक्त सामग्री जैसे चुकंदर, ज्वार इत्यादि और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मक्का, कसावा, सड़ा हुआ आलू आदि, अनाज जैसे गेहूं, चावल इत्यादि के खराब दाने जो कि मानव उपभोग योग्य नहीं हो, अधिशेष के रूप में अनाज के रूप। शैवाल युक्त फीडस्टॉक और समुद्री शैवाल की खेती को एथेनॉल उत्पादन के लिए एक संभावित फीडस्टॉक हो सकती है, के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16/06/2021 के अनुसार केवल एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लिए ही उपयोग किए जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

8. सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु राशि रू. 2.40 करोड़ को छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए।

9. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये गये उत्पादन की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 11/06/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 26/07/2022 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 42वीं बैठक दिनांक 24/08/2022

समिति द्वारा चर्चा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई कि–

1. वर्तमान में एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत प्लांट के विभिन्न इकाइयों सहित 40 प्रतिशत वृक्षारोपण क्षेत्र को दर्शाते हुए ले-आउट प्लान की प्रस्तुत प्रति पठनीय नहीं है।

2. वर्तमान में एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत अनुमान भाप की विद्युत खपत का तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. वर्तमान में एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत प्लांट का लैण्ड एरिया स्टेटमेंट –

वर्तमान में लैण्ड एरिया स्टेटमेंट –

S.No.	Land use	Area (in SQM)
1.	Fermentation + Distillation + MSDH + MEE+ Spirit Storage	8,970
2.	Ethanol storage Area	3,473
3.	Molasses Storage Tank Area	6,821
4.	Boiler and Power Plant Area	8,200
5.	Waste Water Treatment (CPU + Lagoon + STP)	5,000
6.	ADM Building + Tempal + Guest House+ Utility Building	2,450

7.	Internal & Entrance Road	17,450
8.	Open Area including Parking Space	2,000
9.	Greenbelt Area (41%)	39,240
10.	Opne Plot	3,565
	Total Area	**97,128**

प्रस्तावित संशोधन उपरान्त प्रोजेक्ट सुविधा ले-आउट –

S.No.	Land use	Area (in SQM)
1.	Internal & Entrance Road	10,480
2.	Boiler and Power Plant Area	5,840
3.	Waste Water Treatment (CPU + Lagoon + STP + Biomethanation Unit)	4,877
4.	Ethanol storage Area	3,460
5.	Molasses and Grain Storage Area	11,290
6.	Fermentation + Distillation + MSDH + MEE+ Spirit Storage + Milling and liquifaction Unit	7,300
7.	ADM Building + Tempal + Guest House+ Utility Building	2,428
8.	Open Area including Parking Space	1,986
9.	Open Space for Future Expansion	4,692
10.	Open Space for Future Expansion (for Molasses Storage Tank)	4,358
11.	Greenbelt Area (41%)	39,240
	Total Area	**97,128**

4. संयंत्र मशीनरी में परिवर्तन की कुल लागत तथा प्रस्तावित संशोधन से परियोजना की लागत का ब्रेक–अप –

S.No.	Particular	Previous Amount (in Lakh)	New (Revised) Amount (in Lakh)
1.	Land development	15.00	15.00
2.	Builing and Civil work	2253.80	2253.80
3.	Plant and Machinery including taxes and duties	8147.36	10605.18
4.	Miscellaneous fixed assets	212.40	212.40
5.	Preliminary and per-operative expenses	483.59	483.59
6.	Machinery stores/spares	15.00	15.00
7.	Contigencies @3%	193.24	193.24
8.	Margin money	200.00	200.00
8.	Additional provision for environmental management, green belt and rain water harvesting etc.	150.00	150.00
	Total	**12870.39**	**14128.21**

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित जानकारी में पूर्व जारी पर्यावरण स्वीकृति के प्रतिबंध अनुसार सी-मोलासेस के परिवहन हेतु १४ टैंकर प्रतिदिन से १८ टैंकर प्रतिदिन एवं बी-हैवी मोलासेस के परिवहन हेतु १२ टैंकर प्रतिदिन से १६ टैंकर

प्रतिशत की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित संशोधन अनुसार अतिक्रमण 19 हुक प्रतिशत की आवश्यकता होगी। उक्त अनुसार प्रस्तावित संशोधन उपरांत 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत भरी वाहनों में कमी होगी।

6. भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04/06/2018 के अनुसार देश में जैव ईंधन के उत्पादन के लिए संभावित फीडस्टॉक, कच्चे माल के रूप में निम्न पदार्थ उपलब्ध है, **एथेनॉल उत्पादन के लिए:** बी–हैवी, गन्ने का रस, चावल के रूप में कार्बोहाइड्रेट, **कृषि अवशेष (चावल का पुआल, कपास की डंठल, मक्का के कोब, लकड़ी का बुरादा, खोई इत्यादि),** शर्करा युक्त सामग्री, जैसे चुकंदर, ज्वार इत्यादि और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मक्का, कसावा, सड़े हुए आलू आदि, अनाज जैसे गेहूं, चावल इत्यादि के खराब दाने जो कि मानव उपभोग योग्य नहीं हो, अधिशेष के समय अनाज के रूप। सैल्यूलोज युक्त लिग्नोसेलूलोसिक और समुद्री शैवाल की खेती भी एथेनॉल उत्पादन के लिए एक संभावित फीडस्टॉक हो सकती है, के संबंध में शपथ पत्र **(Notarized undertaking)** प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित जानकारी में लेख किया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16/06/2021 में "केवल एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लिए ही उपयोग किए जाने हेतु विद्यमान इकाई के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्राप्त कर चुकि ऐसी डिस्टिलरी इकाइयों या एथेनॉल के उत्पादन के लिए आसवनियों के विस्तार का श्रेणी "ख2" परियोजनाओं के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा" का उल्लेख है, किंतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) का मूल्यांकन श्रेणी "ख1" परियोजनाओं के रूप में किया गया है। अतः केवल एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लिए ही उपयोग किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

8. सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु राशि रू. 2.40 करोड़ को छत्तीसगढ़ कॉलेज टेक्नालॉजी कार्पोरेशन में जमा किए जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु लागत में हुई वृद्धि को शामिल करते हुए कुल राशि 2.62 करोड़ रूपए की सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ कॉलेज टेक्नालॉजी कार्पोरेशन में जमा किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित जानकारी में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पालन का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सम्यक् कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि–

1. वर्तमान एवं प्रस्तावित परियोजना स्थापना उपरांत प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के 41 प्रतिशत में वृक्षारोपण क्षेत्र को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान सहित वृक्षारोपण कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।

2. वर्तमान एवं प्रस्तावित क्रियाकलाप उपरांत उत्पादन क्षमता की विद्युत गणना का तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04/06/2018 के अनुसार देश में जैव ईंधन के उत्पादन के लिए संभावित फीडस्टॉक, कच्चे माल के रूप निम्न पदार्थ उपलब्ध है, **एथेनॉल उत्पादन के लिए:** बी–हैवी, गन्ने का रस, चावल के रूप में कार्बोहाइड्रेट, **कृषि**

अवशेष (चावल का पुआल, कपास की डंठल, मक्के के कोब, लकड़ी का बुरादा, खोई इत्यादि), शर्करा युक्त सामग्री, जैसे चुकंदर, ज्वार इत्यादि और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मक्का, कसावा, सड़ा हुआ आलू आदि, अनाज जैसे गेहूं, चावल इत्यादि के खराब दाने जो कि खाने योग्य नहीं हों, अधिशेष के समय अनाज के चरण, सैल्युलोज युक्त फीडस्टॉक और समुद्री शैवाल की खेती भी इथेनॉल उत्पादन के लिए एक सम्भावित फीडस्टॉक हो सकती है, के संबंध में शपथ पत्र के रूप में undertaking प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु राशि रू. 2.62 करोड़ को छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किये जाने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित कार्यक्षमता हेतु लागत में हुई वृद्धि को शामिल करते हुए कुल राशि 2.62 करोड़ रूपए की सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने पश्चात् आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/09/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/11/2022 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की आगामी बैठक दिनांक 28/11/2022

समिति द्वारा उपरोक्त, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि–

1. वर्तमान एवं प्रस्तावित परियोजना क्षमतानुसार उद्योग परिसर के कुल क्षेत्रफल के 41 प्रतिशत में वृक्षारोपण क्षेत्र को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्लान कैडस्ट्रल मैप सहित प्रस्तुत की गई है।

2. वर्तमान एवं प्रस्तावित क्रियाकलाप उपरांत प्रयुक्त भाप की विद्युत खपत का तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 04/06/2018 के अनुसार देश में जैव ईंधन के उत्पादन के लिए उपयोग हेतु कच्चे माल के रूप निम्न पदार्थ उपलब्ध है, **इथेनॉल उत्पादन के लिए**: बी–हैवी, गन्ने का रस, चीनी के रूप में शर्करायुक्त, **कृषि अवशेष (चावल का पुआल, कपास की डंठल, मक्के के कोब, लकड़ी का बुरादा, खोई इत्यादि)**, शर्करा युक्त सामग्री, जैसे चुकंदर, ज्वार इत्यादि और स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मक्का, कसावा, सड़ा हुआ आलू आदि, अनाज जैसे गेहूं, चावल इत्यादि के खराब दाने जो कि खाने योग्य नहीं हों, अधिशेष के समय अनाज के चरण, सैल्युलोज युक्त फीडस्टॉक और समुद्री शैवाल की खेती भी इथेनॉल उत्पादन के लिए एक सम्भावित फीडस्टॉक हो सकती है, के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र के रूप में undertaking प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

4. प्रस्तावित कार्यक्षमता उपरांत लागत में हुई वृद्धि को शामिल करते हुए कुल राशि 2.62 करोड़ रूपए को सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डेवलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किये जाने बाबत् परियोजना

प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र के रूप में undertaking प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में सी.ई.आर. के तहत् राशि 2.62 करोड़ रूपए को इको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ कॉलोनी डेवलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किया गया है, अथवा नहीं के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति एवं प्रस्तावित विस्तारीकरण उपरांत प्रदूषण भार की विस्तृत गणना कर तुलनात्मक जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में सी.ई.आर. के तहत् राशि 2.62 करोड़ रूपए को इको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ कॉलोनी डेवलपमेंट कार्पोरेशन में जमा किया गया है, अथवा नहीं के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ की 462वीं बैठक दिनांक 28/11/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(द) समिति की 469वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

समिति द्वारा भली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. प्रदूषण भार के संबंध में दिनांक 16/01/2023 को प्रस्तुत जानकारी में केवल प्रस्तावित संशोधन हेतु जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार प्रदूषण भार एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत प्रदूषण भार की विस्तृत तुलनात्मक गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में सी.ई.आर. के तहत् राशि 2.62 करोड़ रूपए को इको पार्क निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ कॉलोनी डेवलपमेंट कार्पोरेशन में प्रस्ताव जमा किया गया है, जिसके अनुसार कार्यालय मंडल प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, कवर्धा परियोजना मंडल, कवर्धा के पत्र क्रमांक/सीसीएफ/2022-23/भ.नि./2140 कवर्धा, दिनांक 02/01/2023 द्वारा क्षेत्रीय महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, अटल नगर नवा रायपुर को इको पार्क स्थापित करने हेतु संशोधित प्रस्ताव स्वीकृति बाबत् पत्र प्रेषित की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत् राशि 2.62 करोड़ रूपए इको पार्क निर्माण हेतु प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, अटल नगर नवा रायपुर से प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुसार प्रदूषण भार एवं प्रस्तावित संशोधन उपरांत प्रदूषण भार की विस्तृत तुलनात्मक गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. सी.ई.आर. के तहत राशि 2.62 करोड़ रूपए [illegible] हेतु प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, अटल नगर नवा रायपुर से प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स [illegible] सेण्ड माईन (प्रो.– श्री [illegible]), ग्राम–[illegible], तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1873)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/249804/2021, दिनांक 17/12/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 10/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 24/02/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान ([illegible]) है। यह खदान ग्राम–[illegible], तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित [illegible] खसरा क्रमांक – [illegible], कुल क्षेत्रफल – 4.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित रेत उत्खनन क्षमता – 63,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 19/05/2022 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की [illegible] बैठक दिनांक 25/05/2022:

प्रस्तुतिकरण हेतु श्री [illegible] उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. प्रस्तुतिकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि ऑनलाईन आवेदन करने के दौरान फार्म–1, फार्म–1एम, प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं माईनिंग प्लान में रेत उत्खनन क्षमता 63,000 घनमीटर (1,07,100 टन) प्रतिवर्ष का उल्लेख किया गया है तथा फार्म–2 एवं माईनिंग प्लान में रेत उत्खनन क्षमता 98,000 घनमीटर (1,66,600 टन) प्रतिवर्ष का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान की अपस्ट्रीम में एनीकट स्थित होने के कारण न्यूनतम 500 मीटर गैर माईनिंग क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत उत्खनन क्षमता 98,000 घनमीटर (1,66,600 टन) प्रतिवर्ष के स्थान पर क्षमता 63,000 घनमीटर (1,07,100 टन) प्रतिवर्ष होगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त में सुधार कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है। रेत उत्खनन क्षमता हेतु फार्म–2 में संशोधन कराया जाना आवश्यक है।
2. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 132/खलि.01/2022 राजनांदगांव, दिनांक 19/01/2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन निरंक है।

4. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 05/12/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. **सिंगल/क्लस्टर** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह प्रकरण सिंगल/क्लस्टर का घोषित है।

6. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान (क्वारी प्लान इन्क्लूडिंग प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (क्षे.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 5968/खनि 02/रेत/ग्रामी/उ.यो.अनु./न.क्र. 03/2020 नवा रायपुर, दिनांक 18/11/2021 द्वारा अनुमोदित है।

7. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 132/खलि.01/2022 राजनांदगांव, दिनांक 19/01/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

8. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 132/खलि.01/2022 राजनांदगांव, दिनांक 19/01/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, पुल, बांध, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, श्मशान एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

9. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो चुका है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 4027/खलि. 06/2018 राजनांदगांव, दिनांक 06/12/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 माह हेतु थी। एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत् संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 116/2021 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 12/01/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार **"निर्णय के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, आशय पत्र की अवधि में पारित आदेश दिनांक से पर्यावरण सम्मति प्राप्त उपरान्त अनुबंध निष्पादन किये जाने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए, प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही करने हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला राजनांदगांव को प्रत्यावर्तित किया जाता है।"** ऐसा बताया गया है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमंडलाधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./मा.क्र. 10-1/2021/1446 राजनांदगांव, दिनांक 14/02/2022 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 16.02 कि.मी. की दूरी पर है।

11. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

12. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-धमनसरा 850 मीटर, स्कूल ग्राम-धमनसरा 1 कि.मी. एवं अस्पताल राजनांदगांव 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.7 कि.मी. एवं राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. तक पुल स्थित नहीं है। खदान से अपस्ट्रीम में एनीकट 280 मीटर की दूरी पर स्थित है।

13. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आरक्षित/संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

14. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 310 मीटर, न्यूनतम 208 मीटर तथा खनन स्थल की औसत लंबाई – 545 मीटर एवं खनन स्थल की औसत चौड़ाई – 90 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 28 मीटर है।

15. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई– 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई –2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान से माईनेबल रेत की मात्रा – 80,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वास्तव में उपलब्ध रेत मात्रा की मोटाई जानने के लिए, प्रस्तावित स्थल पर गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर दिनांक 18/03/2022 को रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) लेकर प्रस्तुत किये गये हैं। समिति का मत है कि उक्त लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विचार के पश्चात उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at Nearby Village- Dhamansara	
			Plantation at river bank near allotted area (800 meter)	1.03

			and the approach road (300 meter)	
			Total	1.00

18. वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 21,000 रूपये, ट्री–गार्ड के लिए राशि 40,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 20,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 1,03,000 रूपये हेतु पांचसाल तक का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसे समिति द्वारा अवलोकन किया गया। समिति का मत है कि चूंकि पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अधीन नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः सी.ई.आर. के तहत् सार्वजनिक स्कूल एवं सार्वजनिक स्थल में कार्य किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

19. **नॉन माईनिंग क्षेत्र** – खदान से एनीकट 200 मीटर की दूरी पर अपस्ट्रीम में स्थित है। नये गाइडलाईन अनुसार एनीकट अपस्ट्रीम में स्थित होने के कारण खदान से एनीकट की दूरी कम से कम 500 मीटर होना आवश्यक है। अतः एनीकट की तरफ से खदान के 210 मीटर लंबाई का खनन क्षेत्र को खनन के लिए प्रतिबंधित किया गया है। उपरोक्तानुसार संशोधित माईनिंग प्लान अनुसार 28,000 वर्गमीटर नॉन माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य खदान के अवशेष 2.1 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

20. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एनीकट की तरफ से खदान में 210 मीटर की लंबाई को नॉन माईनिंग क्षेत्र रखने के पश्चात् नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 34 मीटर, न्यूनतम 28 मीटर है। समिति का मत है कि नदी तट के किनारे से वास्तविक दूरी को नक्शे में (25–25 मीटर के अंतराल में) दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

21. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान (ट्रांसमिशन टॉवर लाईन) एवं [illegible] टॉवर लाईन के मध्य 200 मीटर की दूरी है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. रेत उत्खनन खदान हेतु संशोधित फार्म–2 प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई की जानकारी (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में दर्शाया जाए, उसमें संबंधित विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
4. नदी तट के किनारे से वास्तविक दूरी को नक्शे में (25–25 मीटर के अंतराल में) दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का

मापन कर, सचित्र विवरण में उल्लेखित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

6. डी.एस.आर. के तहत् वास्तविक प्रस्तुत एवं सत्यापित स्थल में जाने किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 31/07/2022 के संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 12/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:
समिति द्वारा पत्राचार, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. रेत उत्खनन क्षमता हेतु फार्म-2 में संशोधन जारी करने की आवश्यकता नहीं होने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि आवंटित कुल क्षेत्रफल – 4.9 हेक्टेयर में से खदान के अपस्ट्रीम में एनीकट स्थित होने के कारण न्यूनतम 300 मीटर नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत उत्खनन का कार्य खदान के अंतर्गत 2.1 हेक्टेयर क्षेत्र में करने के कारण रेत उत्खनन क्षमता 98,000 घनमीटर (1,66,600 टन) प्रतिवर्ष के स्थान पर क्षमता 63,000 घनमीटर (1,07,100 टन) प्रतिवर्ष होगा। जिसका उल्लेख संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

2. प्रस्तावित खदान क्षेत्रफल – 4.9 हेक्टेयर में खनन क्षेत्र की औसत लंबाई 540 मीटर, नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत उत्खनन का कार्य खदान के अंतर्गत 2.1 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन क्षेत्र की औसत लंबाई 312 मीटर एवं प्रस्तावित खदान क्षेत्रफल – 4.9 हेक्टेयर में खनन क्षेत्र की औसत चौड़ाई 90 मीटर, नॉन माईनिंग क्षेत्र छोड़ने के कारण रेत उत्खनन का कार्य खदान के अंतर्गत 2.1 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन क्षेत्र की औसत चौड़ाई 68 मीटर है। समिति का मत है कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई की जानकारी (अधिकतम एवं न्यूनतम सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, प्रत्येक में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर, उन्हें सचित्र विवरण के प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

4. नदी तट के किनारे से वास्तविक दूरी को मापने में 25–25 मीटर के अंतराल को दर्शाते हुए प्रस्तुत किया गया है।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रत्येक में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में गड्ढे (Pits) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, सचित्र विवरण में उल्लेखित जानकारी प्रस्तुत की गई है। इसके अनुसार रेत की उपलब्ध औसत मोटाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।

6. परियोजना प्रस्तावक को सी.ई.आर. के तहत् शासकीय स्कूल एवं शासकीय भवन में कार्य किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया था परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रस्ताव के स्थान पर पूर्व में दिये गये सी.ई.आर. (C.E.R.) के प्रस्ताव (नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर वृक्षारोपण) का ही निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
35	2%	0.70	Following activities at Nearby, **Village- Dhamanaura**	
			Plantation at river bank near allotted area (600 meter) and the approach road (200 meter)	2.18
			Total	**2.18**

7. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण (प्रस्तुत, पौधे एवं अन्य) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 14,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 14,000 रूपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 24,000 रूपये अर्थात इस प्रकार कुल राशि 62,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,56,200 रूपये आगामी चार वर्षों हेतु चरणबद्ध व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसे समिति द्वारा अवलोकन किया गया। समिति का मत है कि चूंकि पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अधीन नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः सी.ई.आर. के तहत् शासकीय स्कूल एवं शासकीय भवन में कार्य किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई की जानकारी (प्रतिवेदन एवं नक्शा सहित) प्रस्तुत की जाए।
2. सी.ई.आर. के तहत् शासकीय स्कूल एवं शासकीय भवन में कार्य किये जाने हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स कुड़मडा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री आशीष अग्रवाल), ग्राम–कुड़मडा, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2221)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 409056/ 2022, दिनांक 04/12/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कुड़मडा, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 173, 174, 175(पार्ट) एवं 176(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–2.83 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता–26,022 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 444वीं बैठक दिनांक 29/12/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 29/12/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में अवसर प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्पश्चात सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 17/01/2023 को आवेदित प्रकरण को निरस्त किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सूचना दी गई है कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा के ज्ञापन क्रमांक 818/सैन-4/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 24/11/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत 3 खदानें, क्षेत्रफल 6.278 हेक्टेयर है। जिसमें से 1 खदान मुख्य खनिज क्षेत्रफल 1.576 हेक्टेयर का है। इस प्रकार उक्त के अतिरिक्त अन्य 2 खदानों के साथ आवेदित खदान को शामिल करने से 500 मीटर के भीतर 4.61 हेक्टेयर का क्लस्टर निर्मित होगा जिससे आवेदित खदान पर्यावरणीय स्वीकृति के दायरे में आ जाएगा। चूंकि सचिवालय में उनके द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदन में त्रुटि होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (यथा संशोधित) के तहत पालन करते हुए पुनः आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स मोहभट्ठा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती विनीता साहू), ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली (प्रकरण का नस्ती क्रमांक 2115)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 289391/2022, दिनांक 27/07/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली स्थित खसरा क्रमांक 682, 683 एवं 684, कुल क्षेत्रफल–0.482 हेक्टेयर है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता–4,700 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 434वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक कुमार साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान खसरा क्रमांक 682, 683 एवं 684, कुल क्षेत्रफल – 0.482 हेक्टेयर, क्षमता – 5,925 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–मुंगेली द्वारा दिनांक 01/09/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

   उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 30/08/2023 तक वैध होगी।

   ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में आवेदन दिनांक 17/11/2022 को किया गया है, जो आज दिनांक तक अप्राप्त है। साथ ही पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन

हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में आवेदन दिनांक 17/11/2022 को किया जाना बताया गया है। अतः समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी स्थापनार्थ सहमति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

ग. निर्धारित शर्तानुसार 200 नग वृक्षारोपण किया गया है।

घ. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/1368/खलि02/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है–

वर्ष	उत्खनन (टन)
दिनांक 01/08/2017 से 31/03/2018 तक	1,100
2018–19	395
2019–20	1,095
2020–21	2,010

ङ. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक/826/खलि02/2022 मुंगेली, दिनांक 18/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार 2021–22 में किये गये उत्खनन की मात्रा 3,180 टन है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 15/11/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र 5 वर्ष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि प्रस्तुत ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। अतः उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – खदान प्लान [illegible] माइनिंग प्लान एवं प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशासन), जिला–[illegible] के ज्ञापन क्रमांक 2284/खनि/तीन–1/2016 [illegible], दिनांक 07/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदानें** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 714/खनि–02/2022–23 मुंगेली, दिनांक 26/09/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत 5 खदानें, क्षेत्रफल 3.757 हेक्टेयर है, इसके अतिरिक्त 500 मीटर के भीतर आवेदित 1 अन्य [illegible] खदान, क्षेत्रफल 4.87 हेक्टेयर है, जिसे दिनांक 29/07/2020 को एल.ओ.आई. जारी किया गया है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 1369/खनि–03/2020 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, बाजार, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनिकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, बांध एवं उच्च दाब लाइन आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भूमि एवं लीज का विवरण** – भूमि आवेदक के नाम पर है। पूर्व में लीज की स्वीकृति आवेदक के नाम पर थी। लीज डीड 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 08/07/2010 से 07/07/2015 तक की अवधि हेतु दिया गया। लीज डीड का पंजीकरण दिनांक 12/08/2010 को श्रीमती जिनका नाम एवं के नाम पर किया गया। तत्पश्चात लीज डीड 25 वर्ष अर्थात् दिनांक 08/07/2015 से 07/07/2040 तक विस्तारित की गई है।

7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, जिला-बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./171 बिलासपुर, दिनांक 23/01/2010 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – विद्यालय आबादी ग्राम-भोजपुरा 300 मीटर, स्कूल ग्राम-भोजपुरा 800 मीटर, एवं अस्पताल ग्राम-बलौदा 1.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 430 मीटर एवं राजमार्ग 16.2 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 3.7 कि.मी., लीलागर नाला 3.79 कि.मी., तालाब 300 मीटर एवं नहर 6.1 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,54,880 टन (61,960 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 58,074 टन (23,229 घनमीटर) है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 1,46,282 टन (58,517 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 50,134 टन (20,050 घनमीटर) शेष है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,860 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर तथा कुल मात्रा 892 घनमीटर थी, जिसे पूर्व से ही उत्खनित किया जा चुका है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की प्रस्तावित आयु 25 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। लीज क्षेत्र से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	5,825	षष्टम	4,700
द्वितीय	4,700	सप्तम	4,700
तृतीय	4,700	अष्टम	4,700
चतुर्थ	4,700	नवम	4,700
पंचम	4,700	दशम	4,700

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.75 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल एवं ग्राम पंचायत के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध ग्राम पंचायत ग्रामपंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा से चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम वर्ष (रूपये)	द्वितीय वर्ष (रूपये)	तृतीय वर्ष (रूपये)	चतुर्थ वर्ष (रूपये)	पंचम वर्ष (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
खदान के बाउण्ड्री में (200 नग) वृक्षारोपण के रख–रखाव हेतु	खाद हेतु राशि	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
	फेंसिंग, सिंचाई एवं रख–रखाव हेतु राशि	1,75,000	1,75,000	1,75,000	1,75,000	1,75,000
कुल राशि = 11,50,000		2,30,000	2,30,000	2,30,000	2,30,000	2,30,000

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,080 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से वर्तमान आवेदक को लीज जारी होने के पूर्व से ही 675 वर्गमीटर क्षेत्र 15 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित खनन प्लान में किया गया है। अतिक्रमित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीज क्षेत्र माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक [illegible] के अनुसार:–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचारण के पश्चात् प्रस्तावित निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
22.40	2%	0.448	Following activities at, Government Middle School **Village- Mohbhatta**	
			Installation of UV water filter and its AMC	0.30
			Running water arrangement in toilet	0.17
				0.47

17. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक की सहमति अनुसार प्रस्तुत सी.ई.आर. कार्य के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में आवश्यक एवं पर्यावरण संबंधी सुधारों का भी प्रस्ताव शामिल करते हुये सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. पट्टेदार ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक अनुज्ञप्ति धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परियोजना के भिन्न-भिन्न स्थलों में पहुँचने हेतु सड़क उपलब्ध होगा, इन सड़कों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. पट्टांकित लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं उनका पौधों का 80 प्रतिशत जीवित दर सुनिश्चित किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नाला, नदी, नहर एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बावत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् प्रभावित लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय कार्यवाही में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार निर्धारित कार्ययोजना किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. उत्खनन के संबंध में खान संचालक का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यकारी बैठक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाए।

4. प्रस्तुत सी.ई.आर. प्रस्ताव के अतिरिक्त, स्थानीय आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित स्कूल में आवश्यक, पर्यावरण संबंधी सुविधाओं का भी प्रस्ताव शामिल करते हुए सी.ई.आर. कार्यों का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. माईनिंग लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी ज़ोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर खनिज की गतिविधियों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जायेगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/01/2022 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/01/2022 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(4) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 28/01/2022:
समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में

जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में दिनांक 17/11/2022 को तथा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में दिनांक 17/11/2022 को आवेदन किया गया है। साथ ही एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 09/01/2023 के माध्यम से एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुरोध पत्र लिखा गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रमाणित पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात एस.ई.ए.सी./एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के अनुरूप निर्धारित मात्रानुसार किये गये वृक्षारोपण के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मोहभट्ठा का दिनांक 15/11/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि दिनांक 15/11/2009 को जारी पंचायत प्रस्ताव में लिखी गई शर्तों के अनुसार पंचायत प्रस्ताव प्राप्ति के 1 वर्ष के भीतर खनिज विभाग से लीज स्वीकृत कराना अनिवार्य था। पंचायत प्रस्ताव में दी गई उक्त शर्तों के अनुसार ही खनिज विभाग से 08/07/2010 को 1 वर्ष के भीतर लीज अनुबंध करवा लिया गया था। अतः उक्त पंचायत प्रस्ताव प्रभावशील है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित स्कूल में आवश्यक, पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का भी प्रावधान शामिल करते हुए सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
22.43	2%	0.448	Following activities at Government Middle School Village- Mohbhatta	
			Installation of UV water filter and its AMC	0.30
			Running water arrangement in toilet	0.17
			Books related to Environment Conservation and Almira for Books	0.10
				0.57

सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5. समिति का मत है कि डी.एस.आर. एवं क्लस्टराइजेशन कार्यों के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-स्तरीय समिति (ग्राम/पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही डी.एस.आर. एवं क्लस्टरिंग का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-स्तरीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सतेन्द्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 714/खनि-02/2022-23 मुंगेली, दिनांक 29/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत 6 खदानें (चूना पत्थर), क्षेत्रफल 3.757 हेक्टेयर है, इसके अतिरिक्त 500 मीटर के भीतर स्वीकृत 1 अन्य ओवरलैपिंग खदान, क्षेत्रफल 4.97 हेक्टेयर है, जिसे दिनांक 29/07/2020 को एल.ओ.आई. जारी किया गया है। आवेदित खदान (ग्राम-मोहभट्ठा) का क्षेत्रफल 0.482 हेक्टेयर है। आवेदित खदान चूना पत्थर खदान है। इस प्रकार समूह खनिज (चूना पत्थर) हेतु आवेदित खदान (ग्राम-मोहभट्ठा) को मिलाकर कुल रकबा 4.239 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित समूह खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स मोहभट्ठा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमती [illegible]) को ग्राम-मोहभट्ठा, तहसील-पथरिया, जिला-मुंगेली के खसरा क्रमांक 682, 683 एवं 684 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.482 हेक्टेयर, क्षमता – 4,750 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट-05** में वर्णित शर्तों के अधीन राज्य पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से प्राप्त कर की एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र प्रेषित किया जाए।

8. मेसर्स रिलीव बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड ग्राम–लोधी, तहसील व जिला–बेमेतरा (प्रकरण का नस्ती क्रमांक 2148)

ऑनलाईन आवेदन – प्रस्ताव नंबर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी2/ 278065/ 2021, दिनांक 06/09/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–लोधी, तहसील व जिला–बेमेतरा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 28 एवं अन्य, कुल रकबा – 14.18 हेक्टेयर में मोलासेस/ शुगरकेन जूस/ ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी प्लांट क्षमता – 100 किलोलीटर प्रतिदिन (इथेनॉल यूनिट), को-जनरेशन पॉवर प्लांट–4.8 मेगावॉट के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना में कुल विनियोग राशि 160 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 06/12/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की [illegible]वीं बैठक दिनांक 08/12/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री [illegible] उपस्थित हुए। समिति द्वारा चाही, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उद्योग स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत लोधी का दिनांक 16/06/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- निकटतम शहर बेमेतरा 24 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। तहसील ग्राम–बेमेतरा 1 कि.मी., आबादी बेमेतरा 8.4 कि.मी. एवं निकटतम रेलवे स्टेशन रायपुर 80 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानतल, माना, रायपुर 89 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। शिवनाथ नदी 11.2 कि.मी. दूर है। नाला 300 मीटर दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. लैण्ड यूटिलिटी स्टेटमेंट –

Description	Area (SQM)
Plant and Machinery	22,601
Storage Area (Raw material, Bi-Product, Chemical, Fuel, Repair etc.)	14,400.00
Road/ Paved Area	9,860.00
Rooftop Area of Building/ Sheds	600.00
Parking Area	12,100.00
Open Land	11,239.00
Green Belt Area	70,800.00
Total Area	**1,41,600.00**

4. [illegible] किया गया है, जिसमें कुल [illegible] का [illegible] उल्लेख है।

5. **भूमि संबंधी विवरण** – भूमि खसरा क्रमांक 20 एवं 26(पार्ट) शासकीय भूमि है। मेसर्स [illegible] प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम–[illegible], तहसील व जिला–[illegible] के औद्योगिक प्रयोजन–[illegible] की स्थापना के लिए जिला [illegible] ग्राम–[illegible], तहसील व जिला–[illegible] में स्थित प.ह.नंबर 20, खसरा क्रमांक 26 एवं 20 का भाग, क्रमशः 6.46 हेक्टेयर एवं 7.70 हेक्टेयर, कुल क्षेत्रफल 14.16 हेक्टेयर शासकीय भूमि का आवंटन छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 (यथा संशोधित 2021) के प्रावधान अनुसार किया गया है।

6. रॉ–मटेरियल –

S. No.	Name of Raw Material	Quantity	Source	Distance and mode of Transportation
1.	Grains- (Broken Rice, Maize, Sorghum, Bajra, Damaged Wheat)	250 TPD	Open Market/ local Suppliers	50-500 KM by Truck transport
2.	Chemicals		Purchasing from market transport distance 50-500 KM	
2.1	Sodium Hydroxide (Caustic)	1000 Kg		In can packing
2.2	Enzymes (Alpha Amylase / Exo-Amylase/Glucoamylase/ Endoamylase/Amyloglycosidase)	130 Kg		In can packing
2.3	Nutrients (Zinc Sulphate, Magnesium Sulphate, Hydroclorid etc.)	250 Kg		Tanker
2.4	Antifoam Agent	175 Kg		In can packing
2.5	Yeast	50 Kg		In boxes
3.	Fuel for Boiler			
A	Biomass like Rice Husk	150 TPD	Covered Sheds	Form local Suppliers by road
	OR			
B	Coal	100 TPD	Covered Sheds	Form local Suppliers by road

7. जल उपयोग आवश्यकता –

Description	Quantities to Process (KL/Day)
Total Water Input	
Process water in Liquefaction	357
DM Water as Boiler Feed	404
Soft Water in Distillation and Decanter	66
Soft Water as cooling towers makeup (L.F.D.E.)	446
Misc. Floor and Fermentor washing	42
Water for Domestic Use	10

Total water input	1,417	
Total Water Output		
	Liquid Discharge (KL/Day)	Evaporation (KL/Day)
Water in Spent wash	487	-
Steam Condensate	422	-
Spent Lees from Distillation	103	-
Boiler Blowdown + Reject	10	-
Evaporation loss (Cooling Tower F.L.D.E.)	-	449
Water Output	1,022	449
Total Water Output	1,471	
Recycle and Utilized Streams		
Section	Recycle Streams to Process (KL/Day)	
Spent Lees from Distillation to Cooling Tower	63	Recycle to process
Thin Slopes Recycle Process Water to Liqn.	156	Recycle to process
Steam Condensate to Boiler	422	Recycle to Boiler Make Up
Condensate from Evaporation and Drier Plant	299	Recycle to CT Make Up
Spent Lees as Fermentor and Floor Washing	42	Recycle to CT Make Up
Gardning and Green Belt (in House)	20	Utilization
Water Consumption in Drinking Etc.	8	Utilization
Soft Water in Distillation and Decanter	68	Recycle to process
Total Recycle and Utilized Streams	1034	

- Liquid Discharge From Plant- Zero Discharge
- Total Fresh Water Inputs- 394 KL/Day

  जल की आपूर्ति सिंचाई नहर (भूजल दोहन) से की जाएगी। इस हेतु कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-बेमेतरा के पत्र क्रमांक 2114/कार्य/बेमेतरा दिनांक 12/08/2022 के द्वारा 0.268815 मिलियन घनमीटर प्रतिवर्ष जल आबंटन/प्रदाय हेतु सहमति प्रदान की गई है।

8. जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था –

Type of Effluent	Treatment Facility	Utilization
Thin Slop Treatment	Thin slop from the bottom of the column will be fed to decanter. Decantation section comprises of decanter centrifuge for separation of suspended Solid from thin slop. Supernatant of thin slop will be concentrated in MEE and the reject from MEE (SLOP) will be mixed with	Will be used in process.

	Decanter sludge (wet cake) for drying in DDGS dryer and Dried Solid will be sold as cattle feed	
Other Effluent (DM Plant regeneration, Boiler Blowdown etc.)	Will be treated in Effluent Treatment Plant of capacity 700 KLPD	Will be used in process and greenbelt development
Domestic Waste Water	Will be treated in Sewage Treatment Plant of capacity 20 KLPD	Will be used in greenbelt development, dust suppression and cleaning.

शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

9. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था** – उद्योग से जनित वेट केक सॉलिड्स के प्रबंधन हेतु Steam Tube Bundle Drier की स्थापना कर Dried distillers grains soluble (DDGS) का उत्पादन किया जाएगा जिसका उपयोग पशुआहार एवं मत्स्य पालन हेतु किया जाता है। बॉयलर से एश 30 टीपीडी जनित होगा जिसको ब्रिक निर्माण इकाईयों को उपलब्ध कराया जाएगा। यूज्ड/स्पेंट ऑयल, रेजिन (0.2 किलो लीटर प्रतिवर्ष) को अधिकृत रिसाइकलर्स को विक्रय किया जाएगा।

10. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – बॉयलर में ई.एस.पी. की स्थापना कर पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन 50 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। ई.एस.पी. से संलग्न चिमनी की ऊँचाई 45 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। डी.जी. सेट के संलग्न चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। [illegible] पर डस्ट कलेक्टर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। फ्लाई ऐश का संग्रहण साइलो में किया जाएगा। जनित फ्लाई ऐश, [illegible] को ढके हुये वाहनों से परिवहन तथा फ्यूजिटिव उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी में ऑनलाइन कन्टिन्यूअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

11. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल उपयोग 28,587 घनमीटर प्रतिवर्ष होगी। उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव से रिचार्ज पिट अथवा रिजर्वायर बनाया जाना है यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। अतः अपेक्षित यह है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का विस्तृत प्रस्ताव में रिचार्ज पिट की संख्या एवं साईज सहित अथवा / रिजर्वायर की क्षमता सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1.6 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति हेतु 28 टन प्रतिघंटा क्षमता के बॉयलर से प्राप्त हाई प्रेशर स्टीम का उपयोग 2.5 मेगावाट क्षमता की बिजली इकाई से विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 28 के.वी.ए. डी.जी. सेट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उद्योग की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ शासन के साथ दिनांक 24/07/2021 को एम.ओ.यू. किया गया है।

14. जियोलॉजी हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि इस रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय लोगों ग्रामीणों को पर्याप्त प्रशिक्षण तथा जीवन उपयोग का निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए।

15. ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना से कुल Equivalent car space (ECS per hour) = 8 होना बताया गया है।

16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लाई ऐश उपयोग हेतु ईंधन के रूप में राईस हस्क का अधिकतम उपयोग किये जाने एवं कोल का अधिकतम 30 दिन ही कोयले का उपयोग किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

17. स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 16/06/2021 द्वारा "Grain based distilleries with Zero Liquid Discharge producing ethanol, solely to be used for Ethanol Blended Petrol Programme of the Government of India shall be considered under B2 Category" का प्रावधान किया गया है। तदनुसार प्रस्तावित उद्योग द्वारा दिनांक 11/01/2022 को मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड एवं मेसर्स इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रस्तावित क्षमता के 80 प्रतिशत उत्पादन को आगामी 10 वर्षों तक विक्रय किये जाने हेतु अनुबंध किया गया है। अतः प्रकरण को बी-2 कैटेगरी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

19. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् प्रस्तावित उद्योग के 10 कि.मी. परिधि में स्थित पार्कों की स्थापना एवं 5 वर्षों तक पार्कों का रख-रखाव करने का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस हेतु विस्तृत प्रस्ताव एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना बताया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

20. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 16/06/2021 के अनुसार "The project proponent shall file a notorised affidavit that ethanol produced from proposed project shall be used completely for EBP Programme. Provided that subsequently if it is found that the ethanol produced, based on the EC granted as per the dispensation, is not being used completely for EBP Programme, or if ethanol is not being produced, or if the said distillery is not fulfilling the requirements based on which the project has been appraised as category B2 project, the EC shall stand cancelled" का प्रावधान है। अतः उद्योग के संबंध में नोटरीकृत शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा सम्यक कार्यवाही के निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार व्यय का विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी.पी.आर.) सहित प्रस्तुत किया जाए।

2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का विस्तृत प्रस्ताव में रिचार्ज पिट की संख्या एवं साइज सहित क्षमता / निर्माणाधीन की क्षमता सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. परिसर के चारों तरफ प्रस्तावित वृक्षारोपण (10,400 वर्गमीटर क्षेत्र में) को दर्शाते हुये के–आकार पत्थर के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण हेतु विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत की जाए।

4. मनुष्यों के खाद्य पदार्थ के लिए अनुपयुक्त होने वाले अनाज (टूटी–सड़ा हुआ चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि) का ही उपयोग निर्धारित मेथी के अंतर्गत ईथेनॉल उत्पादन के लिए किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

5. प्रक्रिया के पश्चात् अपशिष्ट स्लज/व्यय के नियमानुसार निपटान किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 443वीं बैठक दिनांक 06/12/2022 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 23/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

समिति द्वारा पायी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् एवं परिसर के चारों तरफ प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डी.पी.आर.) प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार निम्न प्रस्ताव है:–

S. No.	Heads	Amount
1	Plantation cost in first year (5,406 trees)	6,40,600
2	Plantation in second year (100 trees)	15,000
3	Maintenance in 3-5 years	2,49,400
4	Fencing cost (1st year)	10,00,000
5	Fertilizer cost (5 years)	3,50,000
6	Watering cost (5 years)	2,50,000
	Total	25 Lakh

2. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का विस्तृत प्रस्ताव में रिचार्ज पिट की संख्या एवं साइज सहित क्षमता / निर्माणाधीन की क्षमता सहित जानकारी प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तावित परिसर में वर्षा के पानी का कुल संभावित 10,663 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 10 नग रिचार्ज पिट (लम्बाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर एवं गहराई 1.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही रिजर्वायर की क्षमता 1 करोड़ लीटर (रेन वॉटर एवं अन्य स्टोरेज हेतु) की है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के भूमि स्थापित को

दिखाते हुए तैयार किया जा सकेगा। सभी निगरानी स्टेशनों युक्त नक्शा निर्मित किए जायेंगे कि इनमें प्रत्यक्ष स्थान में वर्षा जल का भराव हो सके।

3. परियोजना के चारों तरफ प्रस्तावित वृक्षारोपण (10,800 वर्गमीटर क्षेत्र में) को दर्शाते हुये के–आइड प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया गया है।

4. मजदूरों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिये अनुमोदित होने वाले अस्पताल (जैसे–ब्लास्टिंग सहायक, मजदूर, ड्रायवर आदि) का भी प्रस्ताव निर्धारित नीति के अंतर्गत एकीकृत उत्खनन के लिए किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

5. प्रतिवेदन के पश्चात् आवश्यक दस्तावेजों को नियमानुसार निष्पादन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 18/08/2021 के अनुसार "4(iii a) Such Category 'B' projects, as notified by the Central Government on account of exigencies such as pandemics, natural disasters, or to promote environmentally friendly activities under National Programmes or Schemes or Missions, shall be considered at the Central level as Category 'B' projects." का प्रावधान है। साथ ही "Note: (i) Project under category B shall be appraised as B2 category project and in terms of para 4(iiia) of this notification." का भी उल्लेख है। अतः प्रकरण के संबंध में समिति का मत है कि उक्त परियोजना को केंद्र–सीएसवी के समक्ष निर्णय लिये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में विचार किया जाना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदित प्रकरण को आगामी कार्यवाही हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को भेजे जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्री श्याम वेंचर्स (मोहलेनगुड़ी लाईम स्टोन माईन, पार्टनर– श्री संजय अग्रवाल), ग्राम–मोहलेनगुड़ी, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1780)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नंबर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 67026/2021, दिनांक 28/06/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नंबर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 401226/2021, दिनांक 12/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मोहलेनगुड़ी, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 383, 384, 390(पार्ट), 394/1, 394/2, 395/1, 395/2, 396, 397, 398, 399(पार्ट), 401, 402/1, 402/2, 403/3(पार्ट), 437 एवं 439(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–4.86 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 55,500 टन प्रतिवर्ष है।

दुर्ग से एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लियरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(a) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 432वीं बैठक दिनांक 30/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय अग्रवाल, पार्टनर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स [illegible], मेरठ, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री [illegible] उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत [illegible] का दिनांक 08/08/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना –** जिसकी प्रति प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 858/खनि.अनु–01/2021 दुर्ग, दिनांक 26/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 865/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 25/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अतिरिक्त 23 खदानें, क्षेत्रफल 30.872 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 866/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 26/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में पाई गई सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनिकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण –** एल.ओ.आई. की सत्यप्रति दस्तावेजों के साथ पत्र है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 852/खनिज/गौ.ख./2021 दुर्ग, दिनांक 23/08/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि हेतु वैध थी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है, जो प्रक्रियाधीन है।
7. **भू–स्वामित्व –** भूमि खसरा क्रमांक 390, 393, 393(भाग), 394/2, 394/1, 395/1, 395/2, 396, 397, 398, 399(भाग), 401, 402/1, 402/2, 403/3(भाग), 407 एवं 408(भाग) की कुल रकबा [illegible] एवं श्री संजय अग्रवाल के

लगातार...

गया पत्र है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी की ...... सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत किया गया है। खसरा की फोटोप्रमाणित ...... की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मंडलाधिकारी, वन मंडल जिला–दुर्ग के क्रमांक कक्ष/मा.चि./2527 दुर्ग, दिनांक 31/08/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 50 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–[illegible] 320 मीटर, स्कूल ग्राम–[illegible] 300 मीटर एवं अस्पताल [illegible] 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. एवं राजमार्ग 220 मीटर दूर है। तालाब 150 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनिज संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 31,12,620 टन, माईनेबल रिजर्व 11,83,384 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 13,74,234 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,327 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 27 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर एवं मात्रा 37,074 घनमीटर है, जिसमें से 8,327 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में फैलाकर वृक्षारोपण किया जाएगा तथा शेष 28,747 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 9,874 वर्गमीटर गैर उत्खनन क्षेत्र में भंडारित कर संरक्षित किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 78 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर है। लीज हेतु से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,000
द्वितीय	3,000
तृतीय	5,000
चतुर्थ	6,000
पंचम	86,500

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि प्रस्तावित खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था प्रस्तावित है।

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। भू-जल की उपलब्धता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,080 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है–

विवरण		प्रथम (वर्ष)	द्वितीय (वर्ष)	तृतीय (वर्ष)	चतुर्थ (वर्ष)	पंचम (वर्ष)
खदान की बाउण्ड्री में (1,080 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	79,800	7,400	7,400	7,400	7,400
	फेंसिंग हेतु राशि	2,84,040	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	7,850	780	780	780	780
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	3,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 15,85,418		**6,88,698**	**2,24,180**	**2,24,180**	**2,24,180**	**2,24,180**

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 8,400 वर्गमीटर क्षेत्र की आबादी एवं तालाब होने के कारण, 82 वर्गमीटर क्षेत्र की सड़क होने के कारण गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। साथ ही 2,443 वर्गमीटर क्षेत्र में 18.5 मीटर की गहराई तक ही उत्खनन किया जाएगा। जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है।

18. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण**–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 01 दिसंबर 2019 से 29 फरवरी 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवल**–

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	26.26	43.58	60
PM_{10}	47.20	65.50	100
SO_2	9.08	14.63	80
NO_2	11.33	20.24	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता**– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार फ्लोराइड्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट, क्लोराइड्स, लौह, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर:—

Noise level : dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L_{eq}	48.20	58.00	75
Night L_{eq}	33.24	53.30	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक सीमा के अंदर है।

v. **पी.सी.यू. की गणना**— भारी वाहनों / मालवाहक हैवी वाहनों को समाहित करते हुए ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 106 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.08 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 8 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 114 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.1 होगी। जिसका के उत्खनन की री-कंटेनिंग / परिवहन से परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड बेयरिंग क्षमता निर्धारित मानक [illegible] से नीचे है।

vi. **जी.एल.सी. की गणना** — जी.एल.सी. की गणना प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार खनिज उत्खनन से पी.एम.$_{10}$ में 2.406×10[illegible] µg/m³ की वृद्धि तथा परिवहन, लदान आदि से पी.एम.$_{10}$ में 4.5×10[illegible] µg/m³ की वृद्धि होना बताया गया है।

19. लोक सुनवाई दिनांक 26/04/2022, दोपहर 12:00 बजे, स्थान – शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ग्राम–[illegible], तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई कार्यवाही सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 09/06/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:—

i. खदान खुलने से बहुत प्रदूषण होता है, उत्खनन करके [illegible] है, धूल के कणों से घर एवं कृषि भूमि प्रदूषित होता है।

ii. हैवी ब्लास्टिंग से स्कूल में दरार आ रही है जिससे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को परेशानी होती है। ब्लास्टिंग का कार्य नहीं किया जाय।

iii. लीज क्षेत्र से श्मशान 100 मीटर, तालाब 200 मीटर एवं स्कूल 200 मीटर एवं बस्ती 200 मीटर दूर है जिस कारण प्रदूषण का स्तर अधिक होता है, जिससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य की समस्या बढ़ रही है।

iv. खदान में कार्य करने हेतु श्रमिक बाहर से आते हैं, अतः स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:—

i. प्रदूषण का मुख्य कारण धूल उत्सर्जन है जिसे रोकने के लिए सड़क पर दिन में 2 से 3 बार पानी का छिड़काव किया जाएगा एवं [illegible] से धूलकण नियंत्रित [illegible]।

ड. अनुभवी कांट्रेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग दिन में एक ही बार 2 से 3 बजे के बीच में किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को जन नुकसान या परेशानी नहीं होगी। खदान के चारों ओर एवं कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा।

ढ. छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम के अनुसार तालाब, स्कूल, बस्ती एवं शमशान से पर्याप्त दूरी पर होने से ही आशय पत्र दिया गया है तथा नियम के अनुसार 200 मीटर दूरी पर खनन कार्य प्रस्तावित है।

ण. खदान में गांव के लोगों को ही रोजगार में प्राथमिकता दी जायेगी एवं लोगों को अच्छी सैलरी दी जाएगी।

21. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान** — परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवंटित खदान को शामिल करते हुये क्लस्टर में कुल 24 खदानें आती हैं। अतः क्लस्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के तहत् निम्न कार्य प्रस्तावित है—

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुँच मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुँच मार्ग की कुल लम्बाई 10 कि.मी.		2,88,000	2,88,000	2,88,000	2,88,000	2,88,000
पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (3,333 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (80 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	25,50,308	25,308	25,308	25,308	25,308
	फेंसिंग हेतु राशि	28,86,400	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	24,900	2,490	2,490	2,490	2,490
	सिंचाई एवं रख- रखाव हेतु राशि	11,48,000	6,48,000	6,48,000	6,48,000	6,48,000
सड़कों / पहुँच मार्ग के मरम्मत हेतु		2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000
हेल्थ चेकअप कैम्प		1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000	1,00,000
कुल राशि = 1,35,32,890		**84,77,698**	**12,63,798**	**12,63,798**	**12,63,798**	**12,63,798**

अंतिम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की वचनबद्धता निम्नानुसार होगी:-

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पहुंच मार्ग के उपरान्त धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पहुंच मार्ग की कुल लम्बाई 200 मीटर, सड़कों / पहुंच मार्ग के रखरखाव हेतु एवं टैंकर किराया हेतु		51,687	51,687	51,687	51,687	51,687
खदान के बाउन्ड्री में (260 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (8 प्रतिवर्ष जीवित दर) हेतु राशि	22,182	2,280	2,280	2,280	2,280
	फेंसिंग हेतु राशि	2,33,600	24,000	24,000	24,000	24,000
	खाद हेतु राशि	2,190	240	240	240	240
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,00,925	56,961	56,961	56,961	56,961
कुल राशि = 9,51,256		**4,10,584**	**1,35,168**	**1,35,168**	**1,35,168**	**1,35,168**

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विचार में कोई उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

23. परियोजना से 200 मीटर की दूरी पर स्थित शासकीय मिडिल स्कूल/स्थल में सरकारी जल गुणवत्ता के संबंध में अध्ययन रिपोर्ट (प्रोटोकाल सहित) तैयार कर संरक्षण योजना सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किये जाने तथा योजनानुसार संरक्षण/जल संरक्षण का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्संबंध सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तावित खदान में संचालित किये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण उपायों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. एस.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना के 200 मीटर की दूरी पर तथा प्रस्तावित खनन क्षेत्र में स्थित भवनों/संरचनाओं (बसाहट) के संबंध में आकलन रिपोर्ट (प्रोटेक्शन प्लानिंग) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किये जाने तथा योजनानुसार सुरक्षा/प्रबंधन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करानामा जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. क्लस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनरीक्षित कर प्रस्तुत किया जाए।

7. क्लस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में आने वाली समस्त खदानों को शामिल करते हुये, क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु कलेक्टर, खनिज अधिकारी, सीईसीबी तथा खनिज अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

8. कट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् कानूनी नियमों द्वारा संचालन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् प्रभावित लोगों को रोजगार दिए जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

12. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नाला, नदी, सड़क एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ) दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

तत्पश्चात वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जावेगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/01/2023 के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 24/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(4) समिति की 44वीं बैठक दिनांक 24/01/2023:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. प्रस्तावित क्रशर में स्थापित किये जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण उपायों के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए सभी बेल्टों को धातु की चादरों से ढंका जाएगा और उन सभी बिंदुओं (जहां धूल उत्पन्न होगी) पर उचित स्प्रिंकलर सिस्टम होगा। क्रशर उत्सर्जन नियंत्रण हेतु क्रशर क्षेत्र के आसपास वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही उचित ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया जाएगा।

2. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 6710/खनि 02/उ.प.–अनुज्ञा./न.क्र. 50/2017(4) नवा रायपुर, दिनांक 25/11/2022 अनुसार "प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं तत्पश्चात् उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है।" का उल्लेख है। तत्संबंध एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 52-53/खनि 02/उ.प.–अनुज्ञा./न.क्र. 50/2017(4) नवा रायपुर, दिनांक 05/01/2023 द्वारा शुद्धि पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है–

   "क्रमांक 51 /खनि 02/उ.प.–अनुज्ञा./न.क्र. 50/2017(4), कार्यालयीन पत्र क्रमांक 6710 एवं 6711, दिनांक 25/11/2022 द्वारा जिला दुर्ग, तहसील पाटन, ग्राम [illegible], रकबा 4.86 हेक्टेयर निजी भूमि क्षेत्र पर खनिज [illegible] उत्खनिपट्टा के उत्खनन पट्टा स्वीकृति हेतु जारी आशय पत्र की शर्तों की पूर्ति हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करने जारी पत्र के प्रथम पैरा में लिपिकीय त्रुटिवश "खसरा क्रमांक 394/1, 394/2, 395/1, 395/2, 396, 397, 398, 399 भाग, 401, 402/1, 402/2, 403/3 भाग, 437, 438 भाग" अंकित हो गया है। जिसके स्थान पर "खसरा क्रमांक 382, 384, 393 भाग, 394/1, 394/2, 395/1, 395/2, 396, 397, 398, 399 भाग, 401, 402/1, 402/2, 403/3 भाग, 437, 438 भाग" पढ़ा जावे।"

3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
110	2%	2.20	Following activities at	

			Village-Godpendri	
			Plantation with fencing around TALAB & 5 year AMC	16.71
			Total	**16.71**

सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–गोडपेण्ड्री के तालाब के खाली रकबा (खसरा क्रमांक 834) पीस, आम, जामुन एवं कटहल के विभिन्न प्रजातियों के रोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 836 नग पौधों के लिए राशि 44,868 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,84,400 रूपये, खाद के लिए राशि 4,850 रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,21,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 7,87,018 रूपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 8,84,768 रूपये हेतु चरणबद्ध व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

4. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव के लिए पृथक एस्क्रो खाता में आबंटन किया गया है। जानकारी प्राप्त होने उपरांत जमा किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया है। साथ ही यदि समिति द्वारा सी.ई.आर. की राशि को फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा किये जाने का आदेश दिया जाता है तो उक्त राशि को जमा किये जाने बाबत् भी अनुरोध किया गया है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. परियोजना से 200 मीटर की दूरी पर स्थित तालाब/सिंचाई जलाशय में खदानी जल गुणवत्ता के संबंध में जांच करवाकर अध्ययन रिपोर्ट (फोटोग्राफ्स सहित) तैयार कर प्रस्तुत किया गया है तथा आवश्यकतानुसार तालाब/जल संरक्षण का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

6. खदान हेतु ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग प्लान तैयार कर समस्त वाहनों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया। साथ ही खदान में आने वाले समस्त वाहनों द्वारा ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग प्लान के तहत् किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुपालन करवाना जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

7. खदान में आने वाले समस्त वाहनों के लिए तैयार ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग प्लान हेतु सभी वाहनों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुए पुनरीक्षित कर प्रस्तुत किया गया है।

8. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

9. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सर्वाइवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् कार्यवाही नियमों द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

11. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

12. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

16. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कार्य एवं 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (जिलाध्यक्ष/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित करवाया जाना आवश्यक है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 865/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 25/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 23 खदानें, रकबा 31.672 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-[illegible]) का रकबा 4.98 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-[illegible]) को मिलाकर कुल खदानों का क्षेत्रफल 36.652 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गई।

2. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य योजनाओं का सहमति पत्र प्राप्त कर एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सहर्ष अनुशंसा की जाती है।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री श्याम मेटल्स (पोटियाकला) लाईम स्टोन माईन, प्रोप्रा.– श्री संजय अग्रवाल), ग्राम–पोटियाकला, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 383, 384, 385(पार्ट), 394/1, 394/2, 395/1, 395/2, 396, 397, 398, 399(पार्ट), 401, 402/1, 402/2, 403/3(पार्ट), 437 एवं 438(पार्ट), में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–4.98 हेक्टेयर, क्षमता – 86,600 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–06** में वर्णित शर्तों के अधीन सहर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात आंकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

एजेण्डा आयटम क्रमांक–4 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 42वीं, 43वीं एवं 44वीं बैठक क्रमशः दिनांक 06/12/2022, 07/12/2022 एवं 08/12/2022 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन दिनांक 20/01/2023 को किया गया।

बैठक धन्यवाद् ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।

(अनुपकुमार तिवारी)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR BAUXITE MINING OF TOTAL CAPACITY = 6,65,393.28 TON PER YEAR (ROM CAPACITY - 1,40,673.88 TON PER YEAR (SALEABLE BAUXITE CAPACITY - 91,438.02 TON PER YEAR, WASTE BAUXITE CAPACITY - 49,235.86 TON PER YEAR) & OVER BURDEN CAPACITY - 5,24,719.40 TON PER YEAR) BY M/S CHHATTISGARH MINERAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED AT VILLAGE - JAMIRAPAT, TEHSIL - KUSMI, DISTRICT- BALRAMPUR-RAMANUJGANJ OVER AN AREA OF 114.008 HECTARES

I. Statutory Compliance:

i. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/ judgement of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble NGT and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.

ii. The Project proponent complies with all the statutory requirements and judgement of Hon'ble Supreme Court dated 2nd August,2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of Common Cause versus Union of India & Ors before commencing the mining operations.

iii. The State Government concerned shall ensure that mining operation shall not be commenced till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgement of Hon'ble Supreme Court dated 2nd August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of Common Cause versus Union of India & Ors.

iv. This Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal NBWL Clearance from MoEF&CC subsequent to the recommendations of the Standing Committee of National Board for Wildlife, if applicable to the Project.

v. The mining lease holders shall, after ceasing mining operations, undertake re-grassing the mining area and any other which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc.

vi. Project Proponent (PP) shall obtain Consent to Operate after grant of EC and effectively implement all the conditions stipulated therein. The mining activity shall not commence prior to obtaining Consent to Establish / Consent to Operate from the concerned State Pollution Control Board/Committee.

vii. The PP shall adhere to the provision of the Mines Act, 1952, Mines and Mineral (Development & Regulation), Act, 2015 and rules & regulations made there under. PP shall adhere to various circulars issued by Directorate General Mines Safety (DGMS) and Indian Bureau of Mines from time to time.

viii. The Project Proponent shall obtain consents from all the concerned land owners, before start of mining operations, as per the provisions of MMDR Act, 1957 and rules made there under in respect of lands which are not owned by it.

ix. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA.II (M), dated 29th October, 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".

x. The Project Proponent shall obtain necessary prior permission of the competent authorities for drawl of requisite quantity of surface water and from CGWA for withdrawal of ground water for the project.

xi. This environmental clearance is subject to the condition that the project proponent shall do all the mining activities itself and not to auction / tender to others.

II. Air Quality Monitoring And Preservation

i. The Project Proponent shall install a minimum of 3 (three) online Ambient Air Quality Monitoring Stations with 1 (one) in upwind and 2 (two) in downwind direction based on long term climatological data about wind direction such that an angle of 120° is made between the monitoring locations to monitor critical parameters, relevant for mining operations, of air pollution common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) as per the methodology mentioned in NAAQS Notification No. B-29016/20/90/PCI/I, dated 18.11.2009 covering the aspects of transportation and use of heavy machinery in the impact zone. The ambient air quality shall also be monitored at prominent places like office building, canteen etc. as per the site condition to ascertain the exposure characteristics at specific places. The above data shall be digitally displayed in front of the main Gate of the mine site.

ii. Effective safeguard measures for prevention of dust generation and subsequent suppression (like regular water sprinkling, metalled road construction etc.) shall be carried out in areas prone to air pollution wherein high levels of PM_{10} and $PM_{2.5}$ are evident such as haul road, loading and unloading point and transfer points. The Fugitive dust emissions from all sources shall be regularly controlled by installation of required equipments/ machineries and preventive maintenance. Use of suitable water-soluble chemical dust suppressing agents may be explored for better effectiveness of dust control system. It shall be ensured that air pollution level conform to the standards prescribed by the MoEFCC/ Central Pollution Control Board.

iii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognised under Environment (Protection) Act, 1986.

iv. The project proponent shall submit monthly summary report of air quality monitoring and manual monitoring of air quality /fugitive emissions to Regional Office of MoEF&CC, Zonal office of CPCB and Regional Office of SPCB along with six-monthly monitoring report.

v. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for all the dust generating points including fugitive dust from all vulnerable sources, so as to comply prescribed stack emission and fugitive emission standards.

vi. The project proponent use leak proof trucks/dumpers carrying ore and other raw materials and cover them with tarpaulin.

vii. Wind shelter fence shall be provided on the storage area.

viii. Design the ventilation system for adequate air changes as per ACGIH document for all tunnels, motor houses, Oil Cellars.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. In case, immediate mining scheme envisages intersection of ground water table, then Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal clearance from CGWA. In case, mining operation involves

intersection of ground water table at a later stage, then PP shall ensure that prior approval from CGWA and MoEFCC is in place before such mining operations. The permission for intersection of ground water table shall essentially be based on detailed hydro-geological study of the area.

ii. Regular monitoring of the flow rate of the springs and perennial nallahs flowing in and around the mine lease shall be carried out and records maintain. The natural water bodies and or streams which are flowing in an around the village, should not be disturbed. The Water Table should be nurtured so as not to go down below the pre-mining period. In case of any water scarcity in the area, the Project Proponent has to provide water to the villagers for their own use. A provision for regular monitoring of water table in open dug well located in village should be incorporated to ascertain the impact of mining over ground water table. The Report on changes in Ground water level and quality shall be submitted on six-monthly basis to the Regional Office of the Ministry, CGWA and State Groundwater Department / State Pollution Control Board.

iii. The Project Proponent shall regularly monitor and maintain records w.r.t. ground water level and quality in and around the mine lease by establishing a network of existing wells as well as new piezo-meter installations during the mining operation in consultation with Central Ground Water Authority/ State Ground Water Department (if any). The Report on changes in Ground water level and quality shall be submitted on six-monthly basis to the Regional Office of the Ministry, CGWA and State Groundwater Department / State Pollution Control Board.

iv. The Project Proponent shall undertake regular monitoring of natural water course/ water resources/ springs and perennial nallahs existing/ flowing in and around the mine lease and maintain its records. The project proponent shall undertake regular monitoring of water quality upstream and downstream of water bodies passing within and nearby/ adjacent to the mine lease and maintain its records. Sufficient number of gullies shall be provided at appropriate places within the lease for management of water. PP shall carryout regular monitoring w.r.t. pH and included the same in monitoring plan. The parameters to be monitored shall include their water quality vis-à-vis suitability for usage as per CPCB criteria and flow rate. It shall be ensured that no obstruction and/ or alteration be made to water bodies during mining operations without justification and prior approval of MoEF&CC. The monitoring of water courses/ bodies existing in lease area shall be carried out four times in a year viz. pre- monsoon (April-May), monsoon (August), post-monsoon (November) and winter (January) and the record of monitored data may be sent regularly to Ministry of Environment, Forest and Climate Change and its Regional Office, Central Ground Water Authority and Regional Director, Central Ground Water Board, State Pollution Control Board and Central Pollution Control Board. Clearly showing the trend analysis on six-monthly basis.

v. Quality of polluted water generated from mining operations which include Chemical Oxygen Demand (COD) in mines run-off, acid mine drainage and metal contamination in runoff shall be monitored along with Total Suspended Solids (TDS), Dissolved Oxygen (DO), pH and Total Suspended Solids (TSS). The monitored data shall be uploaded on the website of the company as well as displayed at the project site in public domain, on a display board, at a suitable location near the main gate of the Company. The circular No. J-20012/1/2006-IA.II (M) dated 27.05.2009 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change may also be referred in this regard.

vi. The Project Proponent shall plan, develop and implement rainwater long term basis to augment ground water resources in the area in consultation with Central Ground Water Board/ State Groundwater Department. A report on amount of water recharged needs to be submitted to Regional Office MoEF&CC annually.

vii. Industrial waste water (workshop and waste water from the mine) should be properly collected and treated so as to conform to the notified standards prescribed from time to time. The standards shall be prescribed through Consent to Operate (CTO) issued by concerned State Pollution Control Board (SPCB). The workshop effluent shall be treated after its initial passage through Oil and grease trap.

viii. The water balance/water auditing shall be carried out and measure for reducing the consumption of water shall be taken up and reported to the Regional Office of the MoEF&CC and State Pollution Control Board/Committee.

ix. The project proponent shall provide the slime disposal facility with impervious lining and collection wells for seepage. The water collected from the slime pond shall be treated and recycled.

x. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Domestic effluent shall be properly treated to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

xi. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

xii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

xiii. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area.

xiv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

xv. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

IV. Noise and vibration monitoring and prevention

i. The peak particle velocity at 500m distance or within the nearest habitation, whichever is closer shall be monitored periodically as per applicable DGMS guidelines.

ii. The illumination and sound at night at project sites disturb the villages in respect of both human and animal population. Consequent sleeping disorders and stress may affect the health in the villages located close to mining operations. Habitations have a right for darkness and minimal noise levels at night. Project Proponent must ensure that the biological clock of the Villages is not disturbed, by orienting the floodlights/ masks away from the villagers and keeping the noise levels well within the prescribed limits for day /night hours.

iii. The Project Proponent shall take measures for control of noise levels below 85 dBA in the work environment. The worker engaged in operations of HEMM etc. should be provided with ear plugs /muffs. All personnel including laborers working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices along with adequate training, awareness and information on safety and health aspects. The Project Proponent shall be held responsible in case it has been found that workers/ personals/ laborers are working without personal protective equipment.

iv. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar as a part of six-monthly compliance report.

v. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Mining plan

i. The Project Proponent shall adhere to the working parameters of mining plan which was submitted at the time of EC appraisal wherein year-wise plan was mentioned for total excavation i.e. quantum of mineral, waste, over burden, inter burden and top soil etc., No change in basic mining proposal like mining technology, total excavation, mineral & waste production, lease area and scope of working (viz. method of mining, overburden & dump management, O.B & dump mining, mineral transportation mode, ultimate depth of mining etc.) shall not be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which entail adverse environmental impacts, even if it is a part of approved mining plan modified after grant of EC or granted by State Govt. in the form to Short Term Permit (STP), Query license or any other name.

ii. The Project Proponent shall get the Final Mine Closure Plan along with Financial Assurance approved from Indian Bureau of Mines/Department of Mining & Geology as required under the Provision of the MMDR Act, 1957 and Rules/ Guidelines made there under. A copy of approved final mine closure plan shall be submitted within 2 months of the approval of the same from the competent authority to the concerned Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for record and verification.

iii. The land-use of the mine lease area at various stages of mining scheme as well as at the end-of-life shall be governed as per the approved Mining Plan. The excavation vis-a-vis backfilling in the mine lease area and corresponding afforestation to be raised in the reclaimed area shall be governed as per approved mining plan. PP shall ensure the monitoring and management of rehabilitated areas until the vegetation becomes self- sustaining. The compliance status shall be submitted half-yearly to the MoEF&CC and its concerned Regional Office.

VI. Land reclamation

i. The Overburden (O.B.) generated during the mining operations shall be stacked at earmarked OB dump site(s) only and it should not be kept active for a long period of time. The physical parameters of the OB dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan as per the guidelines/circulars issued by D.G.M.S w.r.t. safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of top soil/OB dumps. The topsoil shall be used for land reclamation and plantation.

ii. The reject/waste generated during the mining operations shall be stacked at earmarked waste dump site(s) only. The physical parameters of the waste dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan as per the guidelines/circulars issued by DGMS w.r.t. safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of waste dumps.

iii. The reclamation of waste dump sites shall be done in scientific manner as per the Approved Mining Plan cum Progressive Mine Closure Plan.

iv. The slope of dumps shall be vegetated in scientific manner with suitable native species to maintain the slope stability, prevent erosion and surface run off. The selection of local species regulates local climatic parameters and help in adaptation of plant species to the microclimate. The gullies formed on slopes should be adequately taken care of as it impacts the overall stability of dumps. The dump mass should be consolidated with the help of dozer compaction thereby ensuring proper filling/ leveling of dump mass. In critical areas, use of geo textiles/ geo-membranes / clay liners / Bentonite etc. shall be undertaken for stabilization of the dump.

v. The Project Proponent shall carry out slope stability study in case the dump height is more than 30 meters. The slope stability report shall be submitted to concerned regional office of MoEF&CC.

vi. Catch drins, settling tanks, siltation ponds of appropriate size shall be constructed around the mine working, mineral yards and Top Soil/OB/Waste dumps to prevent run off of water and flow of sediments directly into the water bodies (Nallah/ River/ Pond etc.). The collected water should be utilized for watering the mine area, roads, green belt development, plantation etc. The drains/ sedimentation sumps etc. shall be de-silted regularly, particularly after monsoon season, and maintained properly.

vii. Check dams of appropriate size, gradient and length shall be constructed around mine pit and OB dumps to prevent storm run-off and sediment flow into adjoining water bodies. A safety margin of 50% shall be kept for designing of sump structures over and above peak rainfall (based on 50 years data) and maximum discharge in the mine and its adjoining area which shall also help in providing adequate retention time period thereby allowing proper settling of sediments/ silt material. The sedimentation pits/ sumps shall be constructed at the corners of the garland drains.

viii. The top soil, if any, shall temporarily be stored at earmarked site(s) within the mine lease only and should not be kept unutilized for long. The physical parameters of the top soil dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan and as per the guidelines framed by DGMS w.r.t. safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of dumps. The topsoil shall be used for land reclamation and plantation purpose.

VII. Transportation

i. No Transportation of the minerals shall be allowed in case of roads passing through villages/habitations. In such cases, PP shall construct a 'bypass' road for the purpose of transportation of the minerals leaving an adequate gap (say at least 200 meters) so that the adverse impact of sound and dust along with chances of accidents could be mitigated. All costs resulting from widening and strengthening of existing public road network shall be borne by the PP in consultation with nodal State Govt. Department. Transportation of minerals through road movement in case of existing village/ rural roads shall be allowed in consultation with nodal State Govt. Department only after required strengthening such that the carrying capacity of roads is increased to handle the traffic load. The pollution due to transportation load on the environment will be effectively controlled and water sprinkling will also be done regularly. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Project should obtain Pollution Under Control (PUC) certificate for all the vehicles from authorized pollution testing centers.

ii. The Main haulage road within the mine lease should be provided with a permanent water sprinkling arrangement for dust suppression. Other roads within the mine lease should be wetted regularly with tanker-mounted water sprinkling system. The other areas of dust generation like crushing zone, material transfer points, material yards etc. should invariably be provided with dust suppression arrangements. The air pollution control equipments like bag filters, vacuum suction hoods, dry fogging system etc. shall be installed at Crushers, belt-conveyors and other areas prone to air pollution. The belt conveyor should be fully covered to avoid generation of dust while transportation. PP shall take necessary measures to avoid generation of fugitive dust emissions.

VIII. Green Belt

i. After excavation of the land will be backfilled & returned to the land owners. The equivalent area of the 7.5 meter safety green belt which is about 5.08 hectare will be brought in nearby villages in consulatation with Collector/Gram Panchayat. The whole Green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.

ii. The Project Proponent shall carryout plantation/ afforestation in backfilled and reclaimed area of mining lease, around water body, along the roadsides, in community areas etc. by planting the native species in consultation with the State Forest Department / Agriculture Department / Rural development department / Tribal Welfare Department / Gram Panchayat such that only those species be selected which are of use to the local people. The CPCB guidelines in this respect shall also be adhered. The density of the trees should be around 2000-2500 saplings per Hectare. Adequate budgetary provision shall be made for protection and care of trees.

iii. The Project Proponent shall make necessary alternative arrangements for livestock feed by developing grazing land with a view to compensate those areas which are coming within the mine lease. The development of such grazing land shall be done in consultation with the State Government. In this regard, Project Proponent should essentially implement the directions of the Hon'ble Supreme Court with regard to acquisition of grazing land. The sparse trees on such grazing ground, which provide mid-day shelter from the

scorching sun, should be scrupulously guarded/ protected against felling and plantation of such trees should be promoted.

iv. The Project Proponent shall undertake all precautionary measures for conservation and protection of endangered flora and fauna and Schedule-I species during mining operation.

IX. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

X. Waste Management

i. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

ii. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

iii. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

XI. Public Hearing and Human Health Issues

i. The Project Proponent shall appoint an Occupational Health Specialist for Regular as well as Periodical medical examination of the workers engaged in the mining activities, as per the DGMS guidelines. The records shall be maintained properly. Project Proponent shall also carryout Occupational Health check-ups in respect of workers like BP, diabetes, habitual smoking, etc. The check-ups shall be undertaken once in six months and necessary remedial/ preventive measures be taken. A status report on the same may be sent to MoEF&CC Regional Office and DGMS on half-yearly basis.

ii. The Project Proponent must demonstrate commitment to work towards 'Zero Harm' from their mining activities and carry out Health Risk Assessment (HRA) for identification workplace hazards and assess their potential risks to health and determine appropriate control measures to protect the health and well being of workers and nearby community. The proponent shall maintain accurate and systematic records of the HRA. The proponent shall also create awareness and educate the nearby community and workers for Sanitation, Personal Hygiene, Hand washing, not to defecate in open, women Health and Hygiene (Providing Sanitary Napkins), hazard of tobacco and alcohol use. The Proponent shall carryout base line HRA for all the category of workers and thereafter every five years.

iii. The Project Proponent shall ensure that Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.

iv. The activities proposed in Action plan prepared for addressing the issues raised during the Public Hearing shall be completed as per the budgetary provisions mentioned in the Action Plan and within the stipulated time frame. The Status Report on implementation of Action Plan shall be submitted to the concerned Regional Office of the Ministry along with District Administration.

XII. **Corporate Environment Responsibility**

i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. After the the government land was provided by the Collector District Balrampur. Eco park will be developed as per the submitted DPR (Detailed Project Report). As per proposal (Eco park, Detailed Project Report) submitted following activities shall be carried out:

S.No.	Particulars	Area/length (Sqm/Mtr)	Unit	Rate	Amount (Rs.)
1	Lawn	2,970	1	30	89,100
2	Childrens Park	3,075	1	150	4,61,250
3	Rose Garden	3,162	1	80	2,52,960
4	Butterfly Garden	3,096	1	80	2,47,680
5	Flower Garden	6,940	1	50	3,47,000
6	Pathway	6,730	1	45	3,02,850
7	Street light	673 (10 Mtr Per Pathway)	673	1,200	8,07,600
8	Chain link Fencing (Boundary Fencing)	680 Mtr (Running 4m Size)	7,371.72	78	5,75,000
9	Lake	4,750	1	200	9,50,000
10	Dense Forest	6,760	1	50	3,38,000
11	Wooden Pagoda	114	3	95,000	2,85,000
12	Toilets	6	2	70,000	1,40,000
13	Fruit Orchard	3,747	1	45	1,68,615
14	Guard Room	25	1	1,60,000	1,60,000
15	Reception Counter	25	1	50,000	50,000
16	Salary of the guard cum gardner for watch, ward & caring of plants upto 5 years	-	-	10,000 per month	6,00,000
Total					**57,96,055**

ii. The Project proponent shall complete the Corporate Environmental Responsibility activity within 03 years.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the Head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and

not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur, Atal Nagar / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vii. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

XIII. Additional Conditions

i. The Project Proponent shall prepare digital map (land use & land cover) of the entire lease area once in five years purpose of monitoring land use pattern and submit a report to concerned Regional Office of the MoEF&CC.

ii. The project proponent shall conduct the biodiversity study of the project area and affected area in the surrounding and submit the biodiversity study report.

iii. Project proponent shall submit the detail proposals of garland drain, check dams & drainage study alongwith required mitigation measures.

iv. Project proponent shall submit the Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures to be taken within six months.

v. The Project Authorities should inform to the Regional Office regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.

vi. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Mine, Representative of District administration/CEO) and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

vii. A separate 'Environmental Management Cell' with suitable qualified manpower should be set-up under the control of a Senior Executive. The Senior Executive shall directly report to Head of the Organization. Adequate number of qualified Environmental Scientists and Mining Engineers shall be appointed and submit a report to RO, MoEF&CC.

viii. Local persons shall be given employment during mining, development and operation of the site.

ix. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition , this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

x. Local persons shall be given necessary training and employment during development and operation of the plant. The project proponent shall ensure skill development of local people.

xi. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

xii. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

xiii. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral

parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

xiv. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xv. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur, Atal Nagar as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xvi. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xvii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xviii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xix. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xx. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory or not fulfilled.

xxi. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xxii. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur, Atal Nagar shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xxiii. In pursuant to Ministry's O.M No. 22-34/2018-IA.III dated 16.01.2020 to comply with the direction made by Hon'ble Supreme Court on 08.01.2020 in W.P. (Civil) No 114/2014 in the matter Common Cause vs Union of India, the mining lease holder shall after ceasing mining operations, undertake regrassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to other mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc.

xxiv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme

Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xxx. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xxxi. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR BAUXITE MINING OF TOTAL CAPACITY = 2,13,118.8 TON PER YEAR [ROM CAPACITY - 1,92,307.7 TON PER YEAR (SALEABLE BAUXITE CAPACITY - 1,35,000 TON PER YEAR, WASTE BAUXITE CAPACITY - 57,307.7 TON PER YEAR) & OVER BURDEN CAPACITY - 20,811.1 TON PER YEAR] BY M/S CHHATTISGARH MINERAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED AT VILLAGE - DANDKESHRA, TEHSIL - LAKHANPUR, DISTRICT-SARGUJA OVER AN AREA OF 44.718 HECTARES

I. **Statutory Compliance:**

i. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/ judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble NGT and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.

ii. The Project proponent complies with all the statutory requirements and judgement of Hon'ble Supreme Court dated 2nd August,2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of Common Cause versus Union of India & Ors before commencing the mining operations.

iii. The State Government concerned shall ensure that mining operation shall not be commenced till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgement of Hon'ble Supreme Court dated 2nd August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of Common Cause versus Union of India & Ors.

iv. This Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal NBWL Clearance from MoEF&CC subsequent to the recommendations of the Standing Committee of National Board for Wildlife, if applicable to the Project.

v. The mining lease holders shall, after ceasing mining operations, undertake re-grassing the mining area and any other which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc.

vi. Project Proponent (PP) shall obtain Consent to Operate after grant of EC and effectively implement all the conditions stipulated therein. The mining activity shall not commence prior to obtaining Consent to Establish / Consent to Operate from the concerned State Pollution Control Board/Committee.

vii. The PP shall adhere to the provision of the Mines Act, 1952, Mines and Mineral (Development & Regulation), Act, 2015 and rules & regulations made there under. PP shall adhere to various circulars issued by Directorate General Mines Safety (DGMS) and Indian Bureau of Mines from time to time.

viii. The Project Proponent shall obtain consents from all the concerned land owners, before start of mining operations, as per the provisions of MMDR Act, 1957 and rules made there under in respect of lands which are not owned by it.

ix. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA.II (M), dated 29th October, 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-Issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".

x. The Project Proponent shall obtain necessary prior permission of the competent authorities for drawl of requisite quantity of surface water and from CGWA for withdrawal of ground water for the project.

xi. This environmental clearance is subject to the condition that the project proponent shall do all the mining activities itself and not to auction / tender to others.

II. Air Quality Monitoring And Preservation

i. The Project Proponent shall install a minimum of 3 (three) online Ambient Air Quality Monitoring Stations with 1 (one) in upwind and 2 (two) in downwind direction based on long term climatological data about wind direction such that an angle of 120° is made between the monitoring locations to monitor critical parameters, relevant for mining operations, of air pollution common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) as per the methodology mentioned in NAAQS Notification No. B-29016/20/90/PCI/I, dated 18.11.2009 covering the aspects of transportation and use of heavy machinery in the impact zone. The ambient air quality shall also be monitored at prominent places like office building, canteen etc. as per the site condition to ascertain the exposure characteristics at specific places. The above data shall be digitally displayed in front of the main Gate of the mine site.

ii. Effective safeguard measures for prevention of dust generation and subsequent suppression (like regular water sprinkling, metalled road construction etc.) shall be carried out in areas prone to air pollution wherein high levels of PM_{10} and $PM_{2.5}$ are evident such as haul road, loading and unloading point and transfer points. The Fugitive dust emissions from all sources shall be regularly controlled by installation of required equipments/ machineries and preventive maintenance. Use of suitable water-soluble chemical dust suppressing agents may be explored for better effectiveness of dust control system. It shall be ensured that air pollution level conform to the standards prescribed by the MoEFCC/ Central Pollution Control Board.

iii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognised under Environment (Protection) Act, 1986.

iv. The project proponent shall submit monthly summary report of air quality monitoring and manual monitoring of air quality fugitive emissions to Regional Office of MoEF&CC, Zonal office of CPCB and Regional Office of SPCB along with six-monthly monitoring report.

v. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for all the dust generating points including fugitive dust from all vulnerable sources, so as to comply prescribed stack emission and fugitive emission standards.

vi. The project proponent use leak proof trucks/dumpers carrying ore and other raw materials and cover them with tarpaulin.

vii. Wind shelter fence shall be provided on the storage area.

viii. Design the ventilation system for adequate air changes as per ACGIH document for all tunnels, motor houses, Oil Cellars.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. In case, immediate mining scheme envisages intersection of ground water table, then Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal clearance from CGWA. In case, mining operation involves intersection of ground water table at a later stage, then PP shall ensure that prior approval from CGWA and MoEFCC is in place before such mining operations. The permission for intersection of ground water table shall essentially be based on detailed hydro-geological study of the area.

ii. Regular monitoring of the flow rate of the springs and perennial nallahs flowing in and around the mine lease shall be carried out and records maintain. The natural water bodies and or streams which are flowing in an around the village, should not be disturbed. The Water Table should be nurtured so as not to go down below the pre-mining period. In case of any water scarcity in the area, the Project Proponent has to provide water to the villagers for their own use. A provision for regular monitoring of water table in open dug well located in village should be incorporated to ascertain the impact of mining over ground water table. The Report on changes in Ground water level and quality shall be submitted on six-monthly basis to the Regional Office of the Ministry, CGWA and State Groundwater Department / State Pollution Control Board.

iii. The Project Proponent shall regularly monitor and maintain records w.r.t. ground water level and quality in and around the mine lease by establishing a network of existing wells as well as new piezo-meter installations during the mining operation in consultation with Central Ground Water Authority/ State Ground Water Department (if any). The Report on changes in Ground water level and quality shall be submitted on six-monthly basis to the Regional Office of the Ministry, CGWA and State Groundwater Department / State Pollution Control Board.

iv. The Project Proponent shall undertake regular monitoring of natural water course/ water resources/ springs and perennial nallahs existing/ flowing in and around the mine lease and maintain its records. The project proponent shall undertake regular monitoring of water quality upstream and downstream of water bodies passing within and nearby/ adjacent to the mine lease and maintain its records. Sufficient number of gullies shall be provided at appropriate places within the lease for management of water. PP shall carryout regular monitoring w.r.t. pH and included the same in monitoring plan. The parameters to be monitored shall include their water quality vis-a-vis suitability for usage as per CPCB criteria and flow rate. It shall be ensured that no obstruction and/ or alteration be made to water bodies during mining operations without justification and prior approval of MoEF&CC. The monitoring of water courses/ bodies existing in lease area shall be carried out four times in a year viz. pre- monsoon (April-May), monsoon (August), post-monsoon (November) and winter (January) and the record of monitored data may be sent regularly to Ministry of Environment, Forest and Climate Change and its Regional Office, Central Ground Water Authority and Regional Director, Central Ground Water Board, State Pollution Control Board and Central Pollution Control Board. Clearly showing the trend analysis on six-monthly basis.

v. Quality of polluted water generated from mining operations which include Chemical Oxygen Demand (COD) in mines run-off, acid mine drainage and metal contamination in runoff shall be monitored along with Total Suspended Solids (TDS), Dissolved Oxygen (DO), pH and Total Suspended Solids (TSS). The monitored data shall be uploaded on the website of the company as well as displayed at the project site in public domain, on a display board, at a suitable location near the main gate of the Company. The circular No. I-

20012/1/2006-IA.II (M) dated 27.05.2009 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change may also be referred in this regard.

vi. The Project Proponent shall plan, develop and implement rainwater long term basis to augment ground water resources in the area in consultation with Central Ground Water Board/ State Groundwater Department. A report on amount of water recharged needs to be submitted to Regional Office MoEF&CC annually.

vii. Industrial waste water (workshop and waste water from the mine) should be properly collected and treated so as to conform to the notified standards prescribed from time to time. The standards shall be prescribed through Consent to Operate (CTO) issued by concerned State Pollution Control Board (SPCB). The workshop effluent shall be treated after its initial passage through Oil and grease trap.

viii. The water balance/water auditing shall be carried out and measure for reducing the consumption of water shall be taken up and reported to the Regional Office of the MoEF&CC and State Pollution Control Board/Committee.

ix. The project proponent shall provide the slime disposal facility with impervious lining and collection wells for seepage. The water collected from the slime pond shall be treated and recycled.

x. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Domestic effluent shall be properly treated to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

xi. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

xii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

xiii. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area.

xiv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

xv. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

IV. Noise and vibration monitoring and prevention

i. The peak particle velocity at 500m distance or within the nearest habitation, whichever is closer shall be monitored periodically as per applicable DGMS guidelines.

ii. The illumination and sound at night at project sites disturb the villages in respect of both human and animal population. Consequent sleeping disorders and stress may affect the health in the villages located close to mining operations. Habitations have a right for darkness and minimal noise levels at night. Project Proponent must ensure that the biological clock of the Villages is not disturbed; by orienting the floodlights/ masks away from the villagers and keeping the noise levels well within the prescribed limits for day /night hours.

iii. The Project Proponent shall take measures for control of noise levels below 85 dBA in the work environment. The worker engaged in operations of HEMM etc. should be provided with ear plugs /muffs. All personnel including laborers working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices along with adequate training, awareness and information on safety and health aspects. The Project Proponent shall be held responsible in case it has been found that workers/ personals/ laborers are working without personal protective equipment.

iv. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar as a part of six-monthly compliance report.

v. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Mining plan

i. The Project Proponent shall adhere to the working parameters of mining plan which was submitted at the time of EC approval wherein year-wise plan was mentioned for total excavation i.e. quantum of mineral, waste, over burden, inter burden and top soil etc. No change in basic mining proposal like mining technology, total excavation, mineral & waste production, lease area and scope of working (viz. method of mining, overburden & dump management, O.B & dump mining, mineral transportation mode, ultimate depth of mining etc.) shall not be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which entail adverse environmental impacts, even if it is a part of approved mining plan modified after grant of EC or granted by State Govt. in the form to Short Term Permit (STP), Query license or any other name.

ii. The Project Proponent shall get the Final Mine Closure Plan along with Financial Assurance approved from Indian Bureau of Mines/Department of Mining & Geology as required under the Provision of the MMDR Act, 1957 and Rules/ Guidelines made there under. A copy of approved final mine closure plan shall be submitted within 2 months of the approval of the same from the competent authority to the concerned Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for record and verification.

iii. The land-use of the mine lease area at various stages of mining scheme as well as at the end-of-life shall be governed as per the approved Mining Plan. The excavation vis-a-vis backfilling in the mine lease area and corresponding afforestation to be raised in the reclaimed area shall be governed as per approved mining plan. PP shall ensure the monitoring and management of rehabilitated areas until the vegetation becomes self- sustaining. The

compliance status shall be submitted half-yearly to the MoEF&CC and its concerned Regional Office.

VI. Land reclamation

i. The Overburden (O.B.) generated during the mining operations shall be stacked at earmarked OB dump site(s) only and it should not be kept active for a long period of time. The physical parameters of the OB dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan as per the guidelines/circulars issued by D.G.M.S w.r.t. safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of top soil/OB dumps. The topsoil shall be used for land reclamation and plantation.

ii. The reject/waste generated during the mining operations shall be stacked at earmarked waste dump site(s) only. The physical parameters of the waste dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan as per the guidelines/circulars issued by DGMS w.r.t. safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of waste dumps.

iii. The reclamation of waste dump sites shall be done in scientific manner as per the Approved Mining Plan cum Progressive Mine Closure Plan.

iv. The slope of dumps shall be vegetated in scientific manner with suitable native species to maintain the slope stability, prevent erosion and surface run off. The selection of local species regulates local climatic parameters and help in adaptation of plant species to the microclimate. The gullies formed on slopes should be adequately taken care of as it impacts the overall stability of dumps. The dump mass should be consolidated with the help of dozer compactions thereby ensuring proper filling/ leveling of dump mass. In critical areas, use of geo textiles/ geo-membranes / clay liners / Bentonite etc. shall be undertaken for stabilization of the dump.

v. The Project Proponent shall carry out slope stability study in case the dump height is more than 30 meters. The slope stability report shall be submitted to concerned regional office of MoEF&CC.

vi. Catch drins, settling tanks, siltation ponds of appropriate size shall be constructed around the mine working, mineral yards and Top Soil/OB/Waste dumps to prevent run off of water and flow of sediments directly into the water bodies (Nallah/ River/ Pond etc.). The collected water should be utilized for watering the mine area, roads, green belt development, plantation etc. The drains/ sedimentation sumps etc. shall be de-silted regularly, particularly after monsoon season, and maintained properly.

vii. Check dams of appropriate size, gradient and length shall be constructed around mine pit and OB dumps to prevent storm run-off and sediment flow into adjoining water bodies. A safety margin of 50% shall be kept for designing of sump structures over and above peak rainfall (based on 50 years data) and maximum discharge in the mine and its adjoining area which shall also help in providing adequate retention time period thereby allowing proper settling of sediments/ silt material. The sedimentation pits/ sumps shall be constructed at the corners of the garland drains.

viii. The top soil, if any, shall temporarily be stored at earmarked site(s) within the mine lease only and should not be kept unutilized for long. The physical parameters of the top soil dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan and as per the guidelines framed by DGMS w.r.t. safety in mining operations shall be strictly adhered to

maintain the stability of dumps. The topsoil shall be used for land reclamation and plantation purpose.

VII. Transportation

i. No Transportation of the minerals shall be allowed in case of roads passing through villages/habitations. In such cases, PP shall construct a "bypass" road for the purpose of transportation of the minerals leaving an adequate gap (say at least 200 meters) so that the adverse impact of sound and dust along with chances of accidents could be mitigated. All costs resulting from widening and strengthening of existing public road network shall be borne by the PP in consultation with nodal State Govt. Department. Transportation of minerals through road movement in case of existing village/ rural roads shall be allowed in consultation with nodal State Govt. Department only after required strengthening such that the carrying capacity of roads is increased to handle the traffic load. The pollution due to transportation load on the environment will be effectively controlled and water sprinkling will also be done regularly. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Project should obtain Pollution Under Control (PUC) certificate for all the vehicles from authorized pollution testing centers.

ii. The Main haulage road within the mine lease should be provided with a permanent water sprinkling arrangement for dust suppression. Other roads within the mine lease should be wetted regularly with tanker-mounted water sprinkling system. The other areas of dust generation like crushing zone, material transfer points, material yards etc. should invariably be provided with dust suppression arrangements. The air pollution control equipments like bag filters, vacuum suction hoods, dry fogging system etc. shall be installed at Crushers, belt-conveyors and other areas prone to air pollution. The belt conveyor should be fully covered to avoid generation of dust while transportation. PP shall take necessary measures to avoid generation of fugitive dust emissions.

VIII. Green Belt

i. After excavation of the land will be backfilled & returned to the land owners. The equivalent area of the 7.5 meter safety green belt which is about 3.153 hectare will be brought in nearby villages in consulatation with Collector/Gram Panchayat. The whole Green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.

ii. The Project Proponent shall carryout plantation/ afforestation in backfilled and reclaimed area of mining lease, around water body, along the roadsides, in community areas etc. by planting the native species in consultation with the State Forest Department / Agriculture Department / Rural development department / Tribal Welfare Department / Gram Panchayat such that only those species be selected which are of use to the local people. The CPCB guidelines in this respect shall also be adhered. The density of the trees should be around 2000-2500 saplings per Hectare. Adequate budgetary provision shall be made for protection and care of trees.

iii. The Project Proponent shall make necessary alternative arrangements for livestock feed by developing grazing land with a view to compensate those areas which are coming within the mine lease. The development of such grazing land shall be done in consultation with the State Government. In this regard, Project Proponent should essentially implement the directions of the

Hon'ble Supreme Court with regard to acquisition of grazing land. The sparse trees on such grazing ground, which provide mid-day shelter from the scorching sun, should be scrupulously guarded/ protected against felling and plantation of such trees should be promoted.

iv. The Project Proponent shall undertake all precautionary measures for conservation and protection of endangered flora and fauna and Schedule-I species during mining operation.

IX. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

X. Waste Management

i. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

ii. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

iii. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

XI. Public Hearing and Human Health Issues

i. The Project Proponent shall appoint an Occupational Health Specialist for Regular as well as Periodical medical examination of the workers engaged in the mining activities, as per the DGMS guidelines. The records shall be maintained properly. Project Proponent shall also carryout Occupational Health check-ups in respect of workers like BP, diabetes, habitual smoking, etc. The check-ups shall be undertaken once in six months and necessary remedial/ preventive measures be taken. A status report on the same may be sent to MoEF&CC Regional Office and DGMS on half-yearly basis.

ii. The Project Proponent must demonstrate commitment to work towards 'Zero Harm' from their mining activities and carry out Health Risk Assessment (HRA) for identification workplace hazards and assess their potential risks to health and determine appropriate control measures to protect the health and well being of workers and nearby community. The proponent shall maintain accurate and systematic records of the HRA. The proponent shall also create awareness and educate the nearby community and workers for Sanitation, Personal Hygiene, Hand washing, not to defecate in open, women Health and Hygiene (Providing Sanitary Napkins), hazard of tobacco and alcohol use. The Proponent shall carryout base line HRA for all the category of workers and thereafter every five years.

iii. The Project Proponent shall ensure that Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.

iv. The activities proposed in Action plan prepared for addressing the issues raised during the Public Hearing shall be completed as per the budgetary provisions mentioned in the Action Plan and within the stipulated time frame.

The Status Report on implementation of Action Plan shall be submitted to the concerned Regional Office of the Ministry along with District Administration.

XII. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1[st] May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. After the the government land was provided by the Collector District Sarguja, Eco park will be developed as per the submitted DPR (Detailed Project Report). As per proposal (Eco park, Detailed Project Report) submitted following activities shall be carried out:

S.No.	Particulars	Area/length (Sqm/Mtr)	Unit	Rate	Amount (Rs.)
1	Lawn	2,970	1	30	89,100
2	Childrens Park	3,075	1	150	4,61,250
3	Rose Garden	3,162	1	80	2,52,960
4	Butterfly Garden	3,098	1	80	2,47,840
5	Flower Garden	6,940	1	50	3,47,000
6	Pathway	6,730	1	45	3,02,850
7	Street light	673 (10 Mtr Per Pathway)	673	1,200	8,07,600
8	Chain link Fencing (Boundary Fencing)	880 Mtr (Running 4m Size)	7,371.72	78	5,75,000
9	Lake	4,750	1	200	9,50,000
10	Dense Forest	6,780	1	50	3,39,000
11	Wooden Pagoda	114	3	95,000	2,85,000
12	Toilets	6	2	70,000	1,40,000
13	Fruit Orchard	3,747	1	45	1,68,615
14	Guard Room	25	1	1,80,000	1,80,000
15	Reception Counter	25	1	50,000	50,000
16	Salary of the guard cum gardner for watch, ward & caring of plants upto 5 years	--	--	10,000 per month	6,00,000
	Total				57,96,215

ii. The Project proponent shall complete the Corporate Environmental Responsibility activity within 03 years.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur, Atal Nagar / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vii. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

XII. Additional Conditions

i. The Project Proponent shall prepare digital map (land use & land cover) of the entire lease area once in five years purpose of monitoring land use pattern and submit a report to concerned Regional Office of the MoEF&CC.

ii. The project proponent shall conduct the biodiversity study of the project area and affected area in the surrounding and submit the biodiversity study report.

iii. Project proponent shall submit the detail proposals of garland drain, check dams & drainage study alongwith required mitigation measures.

iv. Project proponent shall submit the Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures to be taken within six months.

v. The Project Authorities should inform to the Regional Office regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.

vi. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Mine, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

vii. A separate 'Environmental Management Cell' with suitable qualified manpower should be set-up under the control of a Senior Executive. The Senior Executive shall directly report to Head of the Organization. Adequate number of qualified Environmental Scientists and Mining Engineers shall be appointed and submit a report to RO, MoEF&CC.

viii. Local persons shall be given employment during mining, development and operation of the site.

ix. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition , this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

x. Local persons shall be given necessary training and employment during development and operation of the plant. The project proponent shall ensure skill development of local people.

xi. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

xii. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

xiii. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

xiv. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xv. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur, Atal Nagar as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xvi. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xvii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xviii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xix. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xx. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory or not fulfilled.

xxi. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xxii. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur, Atal Nagar shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xxiii. In pursuant to Ministry's O.M No 22-34/2018-IA.III dated 16.01.2020 to comply with the direction made by Hon'ble Supreme Court on 08.01.2020 in W.P. (Civil) No 114/2014 in the matter Common Cause vs Union of India, the mining lease holder shall after ceasing mining operations, undertake regrassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to other mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc.

xxiv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement)

Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xxv. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xxvi. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR BAUXITE MINING OF TOTAL CAPACITY - 4,29,000 TON PER YEAR (ROM CAPACITY - 3,07,500 TON PER YEAR (SALEABLE BAUXITE CAPACITY - 1,99,875 TON PER YEAR, WASTE BAUXITE CAPACITY - 1,07,625 TON PER YEAR) & OVER BURDEN CAPACITY - 1,21,500 TON PER YEAR) BY M/S CHHATTISGARH MINERAL DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED AT VILLAGE - SALGI, TEHSIL - BODLA, DISTRICT- KABIRDHAM OVER AN AREA OF 42.048 HECTARES

I. Statutory Compliance:

i. This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/ judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble NGT and any other Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.

ii. The Project proponent complies with all the statutory requirements and judgement of Hon'ble Supreme Court dated 2nd August,2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of Common Cause versus Union of India & Ors before commencing the mining operations.

iii. The State Government concerned shall ensure that mining operation shall not be commenced till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgement of Hon'ble Supreme Court dated 2nd August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of Common Cause versus Union of India & Ors.

iv. This Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal NBWL Clearance from MoEF&CC subsequent to the recommendations of the Standing Committee of National Board for Wildlife, if applicable to the Project.

v. The mining lease holders shall, after ceasing mining operations, undertake re-grassing the mining area and any other which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc.

vi. Project Proponent (PP) shall obtain Consent to Operate after grant of EC and effectively implement all the conditions stipulated therein. The mining activity shall not commence prior to obtaining Consent to Establish / Consent to Operate from the concerned State Pollution Control Board/Committee.

vii. The PP shall adhere to the provision of the Mines Act, 1952, Mines and Mineral (Development & Regulation), Act, 2015 and rules & regulations made there under. PP shall adhere to various circulars issued by Directorate General Mines Safety (DGMS) and Indian Bureau of Mines from time to time.

viii. The Project Proponent shall obtain consents from all the concerned land owners, before start of mining operations, as per the provisions of MMDR Act, 1957 and rules made there under in respect of lands which are not owned by it.

ix. The Project Proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA.II (M), dated 29th October, 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".

x. The Project Proponent shall obtain necessary prior permission of the competent authorities for drawl of requisite quantity of surface water and from CGWA for withdrawal of ground water for the project.

xi. This environmental clearance is subject to the condition that the project proponent shall do all the mining activities itself and not to auction / tender to others.

II. Air Quality Monitoring And Preservation

i. The Project Proponent shall install a minimum of 3 (three) online Ambient Air Quality Monitoring Stations with 1 (one) in upwind and 2 (two) in downwind direction based on long term climatological data about wind direction such that an angle of 120° is made between the monitoring locations to monitor critical parameters, relevant for mining operations, of air pollution common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) as per the methodology mentioned in NAAQS Notification No. B-29016/20/90/PCI/I, dated 18.11.2009 covering the aspects of transportation and use of heavy machinery in the impact zone. The ambient air quality shall also be monitored at prominent places like office building, canteen etc. as per the site condition to ascertain the exposure characteristics at specific places. The above data shall be digitally displayed in front of the main Gate of the mine site.

ii. Effective safeguard measures for prevention of dust generation and subsequent suppression (like regular water sprinkling, metalled road construction etc.) shall be carried out in areas prone to air pollution wherein high levels of PM_{10} and $PM_{2.5}$ are evident such as haul road, loading and unloading point and transfer points. The Fugitive dust emissions from all sources shall be regularly controlled by installation of required equipments/ machineries and preventive maintenance. Use of suitable water-soluble chemical dust suppressing agents may be explored for better effectiveness of dust control system. It shall be ensured that air pollution level conform to the standards prescribed by the MoEFCC/ Central Pollution Control Board.

iii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognised under Environment (Protection) Act, 1986.

iv. The project proponent shall submit monthly summary report of air quality monitoring and manual monitoring of air quality /fugitive emissions to Regional Office of MoEF&CC, Zonal office of CPCB and Regional Office of SPCB along with six-monthly monitoring report.

v. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for all the dust generating points including fugitive dust from all vulnerable sources, so as to comply prescribed stack emission and fugitive emission standards.

vi. The project proponent use leak proof trucks/dumpers carrying ore and other raw materials and cover them with tarpaulin.

vii. Wind shelter fence shall be provided on the storage area.

viii. Design the ventilation system for adequate air changes as per ACGIH document for all tunnels, motor houses, Oil Cellars.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. In case, immediate mining scheme envisages intersection of ground water table, then Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal clearance from CGWA. In case, mining operation involves

intersection of ground water table at a later stage, then PP shall ensure that prior approval from CGWA and MoEFCC is in place before such mining operations. The permission for intersection of ground water table shall essentially be based on detailed hydro-geological study of the area.

ii. Regular monitoring of the flow rate of the springs and perennial nallahs flowing in and around the mine lease shall be carried out and records maintain. The natural water bodies and or streams which are flowing in an around the village, should not be disturbed. The Water Table should be nurtured so as not to go down below the pre-mining period. In case of any water scarcity in the area, the Project Proponent has to provide water to the villagers for their own use. A provision for regular monitoring of water table in open dug well located in village should be incorporated to ascertain the impact of mining over ground water table. The Report on changes in Ground water level and quality shall be submitted on six-monthly basis to the Regional Office of the Ministry, CGWA and State Groundwater Department / State Pollution Control Board.

iii. The Project Proponent shall regularly monitor and maintain records w.r.t. ground water level and quality in and around the mine lease by establishing a network of existing wells as well as new piezo-meter installations during the mining operation in consultation with Central Ground Water Authority/ State Ground Water Department (if any). The Report on changes in Ground water level and quality shall be submitted on six-monthly basis to the Regional Office of the Ministry, CGWA and State Groundwater Department / State Pollution Control Board.

iv. The Project Proponent shall undertake regular monitoring of natural water course/ water resources/ springs and perennial nallahs existing/ flowing in and around the mine lease and maintain its records. The project proponent shall undertake regular monitoring of water quality upstream and downstream of water bodies passing within and nearby/ adjacent to the mine lease and maintain its records. Sufficient number of gullies shall be provided at appropriate places within the lease for management of water. PP shall carryout regular monitoring w.r.t. pH and included the same in monitoring plan. The parameters to be monitored shall include their water quality vis-a-vis suitability for usage as per CPCB criteria and flow rate. It shall be ensured that no obstruction and/ or alteration be made to water bodies during mining operations without justification and prior approval of MoEF&CC. The monitoring of water courses/ bodies existing in lease area shall be carried out four times in a year viz. pre- monsoon (April-May), monsoon (August), post-monsoon (November) and winter (January) and the record of monitored data may be sent regularly to Ministry of Environment, Forest and Climate Change and its Regional Office, Central Ground Water Authority and Regional Director, Central Ground Water Board, State Pollution Control Board and Central Pollution Control Board. Clearly showing the trend analysis on six-monthly basis.

v. Quality of polluted water generated from mining operations which include Chemical Oxygen Demand (COD) in mines run-off, acid mine drainage and metal contamination in runoff shall be monitored along with Total Suspended Solids (TDS), Dissolved Oxygen (DO), pH and Total Suspended Solids (TSS). The monitored data shall be uploaded on the website of the company as well as displayed at the project site in public domain, on a display board, at a suitable location near the main gate of the Company. The circular No. J-20012/1/2006-IA.II (M) dated 27.05.2009 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change may also be referred in this regard.

v. The Project Proponent shall plan, develop and implement rainwater long term basis to augment ground water resources in the area in consultation with Central Ground Water Board/ State Groundwater Department. A report on amount of water recharged needs to be submitted to Regional Office MoEF&CC annually.

vi. Industrial waste water (workshop and waste water from the mine) should be properly collected and treated so as to conform to the notified standards prescribed from time to time. The standards shall be prescribed through Consent to Operate (CTO) issued by concerned State Pollution Control Board (SPCB). The workshop effluent shall be treated after its initial passage through Oil and grease trap.

vii. The water balance/water auditing shall be carried out and measure for reducing the consumption of water shall be taken up and reported to the Regional Office of the MoEF&CC and State Pollution Control Board/Committee.

ix. The project proponent shall provide the slime disposal facility with impervious lining and collection wells for seepage. The water collected from the slime pond shall be treated and recycled.

x. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Domestic effluent shall be properly treated to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

xi. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

xii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

xiii. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area.

xiv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

xv. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

IV. Noise and vibration monitoring and prevention

i. The peak particle velocity at 500m distance or within the nearest habitation, whichever is closer shall be monitored periodically as per applicable DGMS guidelines.

ii. The illumination and sound at night at project sites disturb the villages in respect of both human and animal population. Consequent sleeping disorders and stress may affect the health in the villages located close to mining operations. Habitations have a right for darkness and minimal noise levels at night. Project Proponent must ensure that the biological clock of the Villages is not disturbed; by orienting the floodlights/ masks away from the villagers and keeping the noise levels well within the prescribed limits for day /night hours.

iii. The Project Proponent shall take measures for control of noise levels below 85 dBA in the work environment. The worker engaged in operations of HEMM etc. should be provided with ear plugs /muffs. All personnel including laborers working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices along with adequate training, awareness and information on safety and health aspects. The Project Proponent shall be held responsible in case it has been found that workers/ personals/ laborers are working without personal protective equipment.

iv. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar as a part of six-monthly compliance report.

v. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Mining plan

i. The Project Proponent shall adhere to the working parameters of mining plan which was submitted at the time of EC appraisal wherein year-wise plan was mentioned for total excavation i.e. quantum of mineral, waste, over burden, inter burden and top soil etc.. No change in basic mining proposal like mining technology, total excavation, mineral & waste production, lease area and scope of working (viz. method of mining, overburden & dump management , O.B & dump mining, mineral transportation mode, ultimate depth of mining etc.) shall not be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which entail adverse environmental impacts, even if it is a part of approved mining plan modified after grant of EC or granted by State Govt. in the form to Short Term Permit (STP), Query license or any other name.

ii. The Project Proponent shall get the Final Mine Closure Plan along with Financial Assurance approved from Indian Bureau of Mines/Department of Mining & Geology as required under the Provision of the MMDR Act, 1957 and Rules/ Guidelines made there under. A copy of approved final mine closure plan shall be submitted within 2 months of the approval of the same from the competent authority to the concerned Regional Office of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for record and verification.

iii. The land-use of the mine lease area at various stages of mining scheme as well as at the end-of-life shall be governed as per the approved Mining Plan. The excavation vis-a-vis backfilling in the mine lease area and corresponding afforestation to be raised in the reclaimed area shall be governed as per approved mining plan. PP shall ensure the monitoring and management of rehabilitated areas until the vegetation becomes self- sustaining. The compliance status shall be submitted half-yearly to the MoEF&CC and its concerned Regional Office.

VI. Land reclamation

i. The Overburden (O.B.) generated during the mining operations shall be stacked at earmarked OB dump site(s) only and it should not be kept active for a long period of time. The physical parameters of the OB dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan as per the guidelines/circulars issued by D.G.M.S w.r.t. safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of top soil/OB dumps. The topsoil shall be used for land reclamation and plantation.

ii. The reject/waste generated during the mining operations shall be stacked at earmarked waste dump site(s) only. The physical parameters of the waste dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan as per the guidelines/circulars issued by DGMS w.r.t. safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of waste dumps.

iii. The reclamation of waste dump sites shall be done in scientific manner as per the Approved Mining Plan cum Progressive Mine Closure Plan.

iv. The slope of dumps shall be vegetated in scientific manner with suitable native species to maintain the slope stability, prevent erosion and surface run off. The selection of local species regulates local climatic parameters and help in adaptation of plant species to the microclimate. The gullies formed on slopes should be adequately taken care of as it impacts the overall stability of dumps. The dump mass should be consolidated with the help of dozer/ compactors thereby ensuring proper filling/ leveling of dump mass. In critical areas, use of geo textiles/ geo-membranes / clay liners / Bentonite etc. shall be undertaken for stabilization of the dump.

v. The Project Proponent shall carry out slope stability study in case the dump height is more than 30 meters. The slope stability report shall be submitted to concerned regional office of MoEF&CC.

vi. Catch drins, settling tanks, siltation ponds of appropriate size shall be constructed around the mine working, mineral yards and Top Soil/OB/Waste dumps to prevent run off of water and flow of sediments directly into the water bodies (Nallah/ River/ Pond etc.). The collected water should be utilized for watering the mine area, roads, green belt development, plantation etc. The drains/ sedimentation sumps etc. shall be de-silted regularly, particularly after monsoon season, and maintained properly.

vii. Check dams of appropriate size, gradient and length shall be constructed around mine pit and OB dumps to prevent storm run-off and sediment flow into adjoining water bodies. A safety margin of 50% shall be kept for designing of sump structures over and above peak rainfall (based on 50 years data) and maximum discharge in the mine and its adjoining area which shall also help in providing adequate retention time period thereby allowing proper settling of sediments/ silt material. The sedimentation pits/ sumps shall be constructed at the corners of the garland drains.

viii. The top soil, if any, shall temporarily be stored at earmarked site(s) within the mine lease only and should not be kept unutilized for long. The physical parameters of the top soil dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan and as per the guidelines framed by DGMS w.r.t. safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of dumps. The topsoil shall be used for land reclamation and plantation purpose.

XIV. Transportation

i. No Transportation of the minerals shall be allowed in case of roads passing through villages/habitations. In such cases, PP shall construct a "bypass" road for the purpose of transportation of the minerals leaving an adequate gap (say at least 200 meters) so that the adverse impact of sound and dust along with chances of accidents could be mitigated. All costs resulting from widening and strengthening of existing public road network shall be borne by the PP in consultation with nodal State Govt. Department. Transportation of minerals through road movement in case of existing village/ rural roads shall be allowed in consultation with nodal State Govt. Department only after required strengthening such that the carrying capacity of roads is increased to handle the traffic load. The pollution due to transportation load on the environment will be effectively controlled and water sprinkling will also be done regularly. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Project should obtain Pollution Under Control (PUC) certificate for all the vehicles from authorized pollution testing centers.

ii. The Main haulage road within the mine lease should be provided with a permanent water sprinkling arrangement for dust suppression. Other roads within the mine lease should be wetted regularly with tanker-mounted water sprinkling system. The other areas of dust generation like crushing zone, material transfer points, material yards etc. should invariably be provided with dust suppression arrangements. The air pollution control equipments like bag filters, vacuum suction hoods, dry fogging system etc. shall be installed at Crushers, belt-conveyors and other areas prone to air pollution. The belt conveyor should be fully covered to avoid generation of dust while transportation. PP shall take necessary measures to avoid generation of fugitive dust emissions.

VII. Green Belt

i. After excavation of the land will be backfilled & returned to the land owners. The equivalent area of the 7.5 meter safety green belt which is about 3.20 hectare will be brought in nearby villages in consultation with Collector/Gram Panchayat. The whole Green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.

ii. The Project Proponent shall carryout plantation/ afforestation in backfilled and reclaimed area of mining lease, around water body, along the roadsides, in community areas etc. by planting the native species in consultation with the State Forest Department / Agriculture Department / Rural development department / Tribal Welfare Department / Gram Panchayat such that only those species be selected which are of use to the local people. The CPCB guidelines in this respect shall also be adhered. The density of the trees should be around 2000-2500 saplings per Hectare. Adequate budgetary provision shall be made for protection and care of trees.

iii. The Project Proponent shall make necessary alternative arrangements for livestock feed by developing grazing land with a view to compensate those areas which are coming within the mine lease. The development of such grazing land shall be done in consultation with the State Government. In this regard, Project Proponent should essentially implement the directions of the Hon'ble Supreme Court with regard to acquisition of grazing land. The sparse trees on such grazing ground, which provide mid-day shelter from the

scorching sun, should be scrupulously guarded/ protected against felling and plantation of such trees should be promoted.

iv. The Project Proponent shall undertake all precautionary measures for conservation and protection of endangered flora and fauna and Schedule-I species during mining operation.

XV. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

XVI. Waste Management

i. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

ii. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

iii. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

XVII. Public Hearing and Human Health Issues

i. The Project Proponent shall appoint an Occupational Health Specialist for Regular as well as Periodical medical examination of the workers engaged in the mining activities, as per the DGMS guidelines. The records shall be maintained properly. Project Proponent shall also carryout Occupational Health check-ups in respect of workers like BP, diabetes, habitual smoking, etc. The check-ups shall be undertaken once in six months and necessary remedial/ preventive measures be taken. A status report on the same may be sent to MoEF&CC Regional Office and DGMS on half-yearly basis.

ii. The Project Proponent must demonstrate commitment to work towards 'Zero Harm' from their mining activities and carry out Health Risk Assessment (HRA) for identification workplace hazards and assess their potential risks to health and determine appropriate control measures to protect the health and well being of workers and nearby community. The proponent shall maintain accurate and systematic records of the HRA. The proponent shall also create awareness and educate the nearby community and workers for Sanitation, Personal Hygiene, Hand washing, not to defecate in open, women Health and Hygiene (Providing Sanitary Napkins), hazard of tobacco and alcohol use. The Proponent shall carryout base line HRA for all the category of workers and thereafter every five years.

iii. The Project Proponent shall ensure that Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.

iv. The activities proposed in Action plan prepared for addressing the issues raised during the Public Hearing shall be completed as per the budgetary provisions mentioned in the Action Plan and within the stipulated time frame. The Status Report on implementation of Action Plan shall be submitted to the concerned Regional Office of the Ministry along with District Administration.

XVIII. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. After the the government land was provided by the Collector District Kabirdham, Eco park will be developed as per the submitted DPR (Detailed Project Report). As per proposal (Eco park, Detailed Project Report) submitted following activities shall be carried out.

S.No.	Particulars	Area/length (Sqm/Mtr)	Unit	Rate	Amount (Rs.)
1	Lawn	2,970	1	30	89,100
2	Childrens Park	3,075	1	150	4,61,250
3	Rose Garden	3,162	1	80	2,52,960
4	Butterfly Garden	3,096	1	80	2,47,680
5	Flower Garden	6,946	1	50	3,47,300
6	Pathway	6,730	1	45	3,02,850
7	Street light	673 (10 Mtr Per Pathway)	673	1,200	8,07,600
8	Chain link Fencing (Boundary Fencing)	660 Mtr (Running 4m Size)	1,371.72	70	5,75,000
9	Lake	4,750	1	200	9,50,000
10	Dense Forest	6,760	1	50	3,38,000
11	Wooden Pagoda	114	3	95,000	2,85,000
12	Toilets	6	2	70,000	1,40,000
13	Fruit Orchard	3,747	1	45	1,68,615
14	Guard Room	25	1	1,80,000	1,80,000
15	Reception Counter	25	1	50,000	50,000
16	Salary of the guard cum gardner for watch, ward & caring of plants upto 5 years	-	-	10,000 per month	6,00,000
	Total				57,95,355

ii. The Project proponent shall complete the Corporate Environmental Responsibility activity within 03 years.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and

not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur, Atal Nagar / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vii. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

XIX. Additional Conditions

i. The Project Proponent shall prepare digital map (land use & land cover) of the entire lease area once in five years purpose of monitoring land use pattern and submit a report to concerned Regional Office of the MoEF&CC.

ii. The project proponent shall conduct the biodiversity study of the project area and affected area in the surrounding and submit the biodiversity study report.

iii. Project proponent shall submit the detail proposals of garland drain, check dams & drainage study alongwith required mitigation measures.

iv. Project proponent shall submit the Ground Vibration Study alongwith required mitigation measures to be taken within six months.

v. The Project Authorities should inform to the Regional Office regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.

vi. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Mine, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

vii. A separate 'Environmental Management Cell' with suitable qualified manpower should be set-up under the control of a Senior Executive. The Senior Executive shall directly report to Head of the Organization. Adequate number of qualified Environmental Scientists and Mining Engineers shall be appointed and submit a report to RO, MoEF&CC.

viii. Local persons shall be given employment during mining, development and operation of the site.

ix. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition , this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

x. Local persons shall be given necessary training and employment during development and operation of the plant. The project proponent shall ensure skill development of local people.

xi. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

xii. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

xiii. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral

parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

xiv. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xv. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur, Atal Nagar as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xvi. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xvii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xviii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xix. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xx. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory or not fulfilled.

xxi. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xxii. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur, Atal Nagar shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xxiii. In pursuant to Ministry's O.M. No. 22-34/2018-IA.III dated 16.01.2020 to comply with the direction made by Hon'ble Supreme Court on 08.01.2020 in W.P. (Civil) No 114/2014 in the matter Common Cause vs Union of India, the mining lease holder shall after ceasing mining operations, undertake regrassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to other mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc.

xxiv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme

Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xxv. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xxvi. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

परिशिष्ट–04

मेसर्स आर. डी. [illegible]
([illegible] लाईम स्टोन क्वारी, पार्टनर– श्री [illegible])
की खसरा क्रमांक 326/2, 326/3, 326/4, 326/5 एवं 326/1, कुल लीज क्षेत्र 1.041 हैक्टेयर, ग्राम–[illegible], तहसील–डोंगरगांव, जिला–राजनांदगांव में चूना पत्थर (प्रधान खनिज) उत्खनन कुल क्षमता 20,000 टन (8,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.041 हैक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन कुल क्षमता 20,000 टन (8,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर उसकी मुनारें लगवाई जाएं।

2. यदि खदान [illegible] विभाग द्वारा अधिसूचित किसी अभ्यारण्य में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं समुचित व्यवस्था किया जाए।

4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।

5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार के दूषित जल को किसी नदी अथवा प्राकृतिक जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा प्राकृतिक जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्तारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

6. खनि पट्टा धारक खनन संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापन इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे वह चारा, वनस्पति, जीवों आदि के उपयोग हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माइन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

7. भू-जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

8. किसी चिमनी / वेन्ट / फ्यूजिटिव स्त्रोतों से पर्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ

तथा खदान का बेंच निर्धारण व्यवस्थित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, पिट, लोडिंग क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं द्वारा कॉम्पेक्ट जल छिड़काव नियमित एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन / रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। ग्रीन बेल्ट का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

9. खदानी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई खनन का कार्य / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में 3 पंक्तियों में सघन वृक्षारोपण किया जाए एवं संरक्षण किया जाए।

11. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुन: उद्धार हेतु अथवा खदानी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।

12. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट मैटर) को पृथक से पूर्व से चिन्हांकित स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

13. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट मैटर) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भराव (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का पुन: उपयोग अथवा उचित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के प्राकृतिक जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु गारलैंड ड्रेन तथा उचित स्थल पर सिल्टिंग पॉन्ड / सेटलिंग टैंक की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

15. खनिज का परिवहन तिरपोलिन से ढके वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्तावित कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

			Following activities at Nearby Village-Banhardi	
30	2%	0.60	Plantation with fencing at land provided by gram panchayat	2.28
			Total	**2.28**

17. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्ययोजना 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित पंचायत के प्रस्ताव के कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जायेगी।

18. सी.ई.आर. के अंतर्गत वृक्षारोपण (फेंसिंग, गैप एवं अन्य) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 200 नग पौधों के लिए राशि 18,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 10,000 रूपये, खाद एवं सिंचाई के लिए राशि 15,000 रूपये तथा रख-रखाव के लिए राशि 24,000 रूपये अर्थात इस प्रकार कुल राशि 67,000 रूपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 1,41,800 रूपये आगामी पांच वर्षों हेतु पर्यावरण मद का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

19. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोजेक्ट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए। तत्पश्चात् सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

20. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु खदान पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/प्लांट के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

21. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (खदान लगभग 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 500 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

22. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशम, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 250 नग पौधों का रोपण (कुल 750 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसे कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 6 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

23. रोपित किये जाने वाले पौधों में क्रमांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित अर्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।

24. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

25. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) रीडिंग एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाविष्ट करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में उत्खनित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य कराया नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

27. परियोजना के भिन्न–भिन्न स्थानों में चतुर्दिशीय धूल उत्सर्जन होगा, उन स्थानों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्जर्वेशन नियम (Minerals Conservation Rule) की तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DBA एवं रात्रि के समय 70 DBA से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मियों को इयरप्लग / मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उपचार उपलब्ध भी कराया जाए।

31. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत नियंत्रित ब्लास्टिंग लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में हो।

32. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर से ऊपर असंतृप्त क्षेत्र में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

33. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

35. कार्य स्थल पर यदि प्रवासित श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे कर्मियों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् हटाया जा सके।

36. श्रमिकों के लिए कार्य स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

37. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस करना आवश्यक है।

38. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं उत्पादन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / नियमों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की आवश्यकता में परिवर्तन अथवा निर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्तें जोड़ने अथवा उल्लंघन / निरस्तीकरण की कार्यवाही को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

41. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

42. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की छः मासिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

43. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आंकड़ों का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

44. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन प्रस्तुत नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

45. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय

और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा जैव चिकित्सा वेस्ट अधिनियम, 1986 (यथा संशोधित) के अधीन निरसित की जा सकती है।

46. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी परिवर्तन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी तत्काल सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा पर विचार कर शर्तों को जोड़ने अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

47. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-उद्योग एवं व्यापार केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

48. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

**मेसर्स मोहभट्ठा लाईम स्टोन खदान (प्रो.– श्रीमती सिमरिता साहू)
को खसरा क्रमांक 802, 803 एवं 804, कुल लीज क्षेत्र 0.482 हेक्टेयर,
ग्राम–मोहभट्ठा, तहसील–पथरिया, जिला–मुंगेली में चूना पत्थर (गौण खनिज)
उत्खनन कुल क्षमता 4,700 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने
वाली शर्तें**

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.482 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन कुल क्षमता 4,700 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करवाकर पक्के मुनारे लगवाया जाए।
2. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
5. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार के दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनरुपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
6. खनि पट्टा धारक खनन संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनरुद्धार इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे घास, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग (यदि किया जाता हो तो) हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उपयोग आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
8. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट स्त्रोतों से पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइन्ट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उत्तम दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों से

विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, पिट, संग्रहण क्षेत्र, खुदाई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जक बिन्दुओं हेतु कॉन्टेन्ट जल छिड़काव सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। विभिन्न हॉलिंग रोड का नियमित सुनिश्चित किया जाए।

9. खदानों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

10. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई खनन कार्य / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में 3 पंक्तियों में सघन वृक्षारोपण किया जाए एवं संरक्षण किया जाए।

11. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज़) करने में किया जाए। ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को लीज क्षेत्र के बाहर पृथक से भण्डारित करने की अनुमति नहीं होगी।

12. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से निर्धारित स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा ढलान 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

13. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनर्भरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का पुनः उपयोग अथवा उचित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के बरसाती जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु गाईड वॉल तथा खनन क्षेत्र में सिल्टिंग पोंड / गारलैण्ड ड्रेन की व्यवस्था आवश्यक रूप से की जाए।

15. खनिज का परिवहन तिरपालयुक्त ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन वाहन की क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रावधान कर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना में सम्मिलित किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
22.43	2%	0.448	Following activities at	

			Government Middle School **Village- Mohbhatta**	
			Installation of UV water filter and its AMC	0.30
			Running water arrangement in toilet	0.17
			Books related to Environment Conservation and Almira for Books	0.10
				0.87

17. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्ययोजना 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित स्कूल के प्राचार्य से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की समयबद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक [illegible] होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

18. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्यों के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपोनेन्ट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए। तत्पश्चात् [illegible] अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

19. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आते हैं, तब उन्हें खदान/उद्योग/परिसर के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

20. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (जैसे लगभग 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र, सीमा रेखा, ओवरबर्डन डम्प आदि) में स्थानीय प्रजाति के 200 पौधों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। उक्त पौधों का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

21. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, शीशम आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 नग पौधों का रोपण (कुल 400 नग पौधों) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसा कांटेदार तार से बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

22. रोपित किये जाने वाले पौधों में नम्बरिंग (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटैग (Geotag) फोटोग्राफ सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ जमा करें।

23. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

24. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सहित एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

26. परियोजना से भिन्न-भिन्न स्थानों से प्रदूषित जल उत्सर्जित होगा, उन स्थानों पर निर्धारित जल निकास की व्यवस्था किया जाए।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले कार्यों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

30. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग क्रियान्वित किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

31. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर से ऊपर अनुमोदित प्रस्ताव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

32. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन्स एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

34. कार्य स्थल पर यदि प्रवासित श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिन्हें परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् हटाया जा सके।

35. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

36. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ परीक्षण कराना आवश्यक है।

37. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / नियमों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

39. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कार्ययोजना में परिवर्तन अथवा निर्धारित शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्तें जोड़ने अथवा उत्पादन / निष्कासन के मात्रा को और कम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

40. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रकाशित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

41. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

42. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आंकड़ा का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के विशेषज्ञों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

44. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन निर्धारित की जा सकती है।

45. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा उन विचलन का शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्धारित करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

46. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-उद्योग एवं व्यापार केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

47. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री श्याम मेटल्स

(नीलकेन्द्री लाईम स्टोन माईन, पार्टनर – श्री संजय अग्रवाल)

की खसरा क्रमांक 383, 384, 385(पार्ट), 394/1, 394/2, 395/1, 395/2, 396, 397, 398, 399(पार्ट), 401, 402/1, 402/2, 403/3(पार्ट), 437 एवं 438(पार्ट), कुल लीज क्षेत्र 4.98 हेक्टेयर, ग्राम–नीलकेन्द्री, तहसील–पाटन, जिला–दुर्ग में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 4.98 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 50,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर उसकी पूर्ति कराया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
3. खदान हेतु प्रस्तुत खनिज इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन मार्ग तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
4. खदान हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थानों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उन्हीं स्थानों पर प्रतिवर्ष मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार के दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनर्उपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोत में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाजल का उचित व्यवस्था में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक

किया जाएगा, जिसमें वह भाग, अवस्थिति, जोता आदि के वर्णन हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

9. किसी सिलिका / रेत / पाईराइट सोर्स के पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर के कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइन्ट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। ड्रिलिंग स्थलों, रोड, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं तथा कन्वेयर पर स्प्रिंकलर सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विन्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

10. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।

12. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई खनन का कार्य / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

13. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।

14. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर उत्खनन अनुज्ञा निर्धारित स्थान पर अस्थायी रूप संग्रहित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनर्भराव के लिए किया जाए।

15. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / निम्न ग्रेड खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से निर्धारित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

16. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / निम्न ग्रेड खनिज (वेस्ट रॉक) को खदान के पश्चात बने गढ्ढों में पुनर्भराव (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का पुनः उपयोग अथवा उचित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पिट तथा डम्प क्षेत्र में सिल्टेशन पौन्ड / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

18. खनिज का परिवहन ढंकी हुई वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव का कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना में सम्मिलित किया जाए–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities at **Village-Godpendri**	
110	2%	2.20	Plantation with fencing around TALAB & 5 year AMC	16.71
			Total	**16.71**

20. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही प्राथमिक (6 माह में अधिकतम) रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आवश्यक उत्तरदायित्व होगा।

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत ग्राम–गोडपेन्ड्री के तालाब के चारों तरफ नीम, आम, जामुन एवं करंज के विभिन्न प्रजातियों के रोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्ष/पौधों के लिए राशि **48,868** रूपये, फेंसिंग के लिए राशि **4,94,400** रूपये, खाद के लिए राशि **4,650** रूपये, सिंचाई के लिए राशि 1,20,000 रूपये तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 1,21,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 7,87,018 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि **8,84,768** रूपये हेतु पंचवर्षीय व्यय का विवरण प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

22. सी.ई.आर., सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, कार्यों के रख–रखाव एवं सुचारू संचालन कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराइटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, कार्यों के रख–रखाव एवं सुचारू संचालन का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

23. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आवें, तब उन्हें खदान/प्रक्षेत्र/स्थल के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

24. उत्खनन हेतु निर्दिष्ट क्षेत्र (खदान सीमा) 7.5 मीटर चौड़ा बेल्ट, हरित पट्टी, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,050 पौधों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाईन के अनुसार किया जाए।

25. **ग्रामपंचायत के अनापत्ति पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2022-23 में कम से कम 250 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, जामुन आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 1,000 पौधों का रोपण (कुल 2,050 पौधे) खदान के बाहर क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसे कांटेदार तार से बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। 6 फीट से 8 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**

26. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

27. वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

28. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टि हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

29. लीज क्षेत्र के अंदर स्थापित/प्रस्तावित क्रशर पर वेब कैमरा (एक माह का स्टोरेज कैपेसिटी सहित) लगाया जाए।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, अन्यथा इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की प्रतिबद्धता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

32. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए, पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं उचित व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा डस्ट प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

33. उत्खनन प्रविधित भू-जल स्तर के ऊपर अनुमोदित उत्खनन में की जाएगी एवं उत्खनन प्रविधित भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन्स एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

36. कार्य स्थल पर यदि अधिकतर श्रमिक बाहर से लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् हटाया जा सके।

37. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर आवश्यक पेयजल, चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

38. श्रमिकों का समय-समय पर व्यवसायजनित रोगों हेतु परीक्षण कराना आवश्यक है।

39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार खनिज योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अतिरिक्त सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / नियमों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की कार्ययोजना में परिवर्तन अथवा निर्धारित शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्तें जोड़ने अथवा उल्लंघन / निरस्तीकरण की कार्यवाही को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रकाशित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट **www.seiaacg.org** पर भी किया जा सकता है।

43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।

44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर वांछित किए गए जानकारी एवं आंकड़े का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों / अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन प्रस्तुत नहीं करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इसके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन निर्धारित की जा सकती है।

47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्धारित करने बाबत् निर्णय लिया जा सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उसके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-उद्योग एवं व्यापार केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. | अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.